



भारतके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
काप्रतिवेदन

31 मार्च 2013 कोसमाप्तवर्षकेलिए

राज्यकेवित्त



हिमाचलप्रदेशसरकार

भारतके नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
काप्रतिवेदन

31 मार्च 2013 कोसमाप्तवर्षकेलिए

राज्यकेवित्त

हिमाचलप्रदेशसरकार

विषय सूची		
विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त		
परिचय	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.3	13
पूंजीगत प्राप्तियां	1.4	19
लोक लेखा प्राप्तियां	1.5	20
संसाधनों का उपयोग	1.6	21
व्यय की गुणवत्ता	1.7	27
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	28
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.9	33
ऋण प्रबंधन	1.10	37
राजकोषीय असंतुलन	1.11	45
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.12	49
निष्कर्ष	1.13	49
सिफारिशें	1.14	50
अध्याय- II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	51
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	51
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	52
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	2.4	60
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.5	60
संसाधनों का पूर्वानुमान	2.6	61
चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम	2.7	61
कोषों के निरीक्षण के परिणाम	2.8	66
निष्कर्ष	2.9	69
सिफारिशें	2.10	70
अध्याय- III : वित्तीय विवरण		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	71
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	72
प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण	3.3	73
दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि	3.4	74
मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.5	75
बहुपरियोजन लघु शीर्ष-800 का परिचालन	3.6	76
निष्कर्ष	3.7	76
सिफारिशें	3.8	77

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट -1	राज्य रूपरेखा		
	क: सामान्य आंकड़े	1.1	79
	ख: वित्तीय आंकड़े	1.1	79
परिशिष्ट -1.1	क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	80
	ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	81
परिशिष्ट -1.2	भाग क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्य पद्धति	-	82
	भाग ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	84
परिशिष्ट -1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.1, 1.3, 1.9.2	85
परिशिष्ट -1.4	भाग क: वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1.1	90
	भाग ख: 31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1.1, 1.9.1	93
परिशिष्ट -1.5	लिंग बजटिंग	1.1.4	95
परिशिष्ट -1.6	2012-13 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	97
परिशिष्ट -1.7	केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार की लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं को दर्शाती विवरणी	1.8.2.2	99
परिशिष्ट -1.8	लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश की स्थिति	1.8.2.2	101
परिशिष्ट -2.1	विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के चार मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.3.1	106
परिशिष्ट -2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ से अधिक था	2.3.3	107
परिशिष्ट -2.3	विगत वर्षों के प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितिकरण अपेक्षित है	2.3.7	108
परिशिष्ट -2.4	2012-13 के दौरान प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितिकरण अपेक्षित है	2.3.8	109
परिशिष्ट -2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.9	110
परिशिष्ट -2.6	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.9	111

परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट -2.7	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.10	112
परिशिष्ट -2.8	वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.12	116
परिशिष्ट -2.9	वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाला विवरण	2.3.12	117
परिशिष्ट -2.10	30 मार्च 2013 को ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाता विवरण	2.3.12	118
परिशिष्ट -2.11	वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹20 लाख) अथवा इससे अधिक	2.3.13	119
परिशिष्ट -2.12	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.15	120
परिशिष्ट -2.13	(i) 2008-13 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति	2.4.1	121
परिशिष्ट -2.14	31 मार्च 2013 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	122
परिशिष्ट -2.15	पेंशन भोगी शीर्षों के अंतर्गत व्यय का अवर्गीकरण (जांच प्रतिवेदन 2011-12)	2.8.4	123
परिशिष्ट -3.1	31 मार्च 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	3.1	124
परिशिष्ट -3.2	स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की प्रास्थिति दर्शाने वाली विवरणी	3.2	129
परिशिष्ट -3.3	दुर्विनियोजन/हानि तथा चोरी आदि के मामलों का विभागवार/ अवधिवार ब्यौरा	3.4	130
परिशिष्ट -3.4	चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा	3.4	131
परिशिष्ट -3.5	गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत उच्चत शीर्ष की स्थिति	3.5	132
परिशिष्ट -3.6	2012-13 के दौरान लघु शीर्ष 800—'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण	3.5	133
परिशिष्ट -4	शब्दावली		134

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-I व अध्याय-II में 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।
3. वित्तीय रिपोर्टिंग का अध्याय-III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों से सम्बन्धित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा प्रास्थिति को दर्शाता है।
4. विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से अंतर्विष्ट प्रतिवेदन पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन का लक्ष्य, जो वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, सरकार के वित्तीय प्रबन्धन/स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विभागों के निष्पादन पर राज्य सरकार को समय पर जानकारी प्रदान करना है। विश्लेषण को एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, जिसे 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया तथा 2012-13 के बजट आकलनों में राज्य सरकार द्वारा प्रकल्पित लक्ष्यों के साथ सफलताओं की तुलना करने हेतु प्रयास किया गया है।

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा दर्शायी गई है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों से अंतर्विष्ट है।

अध्याय-I वित्त लेखों पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह बजट मार्ग की बजाय किसी अन्य मार्ग के वचनबद्ध व्यय तथा उधारों के स्वरूप के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित की गई केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त वर्णन के अतिरिक्त प्रवृत्तियों की अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय- II विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा जिस ढंग से आबंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया है को प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विभिन्न रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली की हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई अनुपालना की एक सूची है। दुर्विनियोजन/हानि के मामले जो सरकारी विभागों में नियंत्रण की अपर्याप्तता दर्शाते हैं, का भी इस अध्याय में वर्णन किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारशें

राजकोषीय शुद्धिपथ: राज्य का 2011-12 में ₹ 645 करोड़ का राजस्व अधिशेष था, जो चालू वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा बन गया। राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2979 करोड़ हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत था जो तीन प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन से अधिक था। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 2276 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ गया तथा राजस्व प्राप्तियां ₹ 1055 करोड़ बढ़ गई, किन्तु कर-भिन्न राजस्व भारी रूप से ₹ 538 करोड़ (28 प्रतिशत) कम हो गया।

2012-13 के दौरान राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में उल्लिखित सरकार के कुल बकाया ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात, बजट तथा मध्यवर्ती राजकोषीय योजना विवरणियों के संदर्भ में क्रमशः 44.4 प्रतिशत, 40.10 प्रतिशत तथा 41.03 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति की थी। तथापि, राज्य द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में उल्लिखित राजस्व घाटा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणियों में उल्लिखित राजकोषीय घाटे से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

राजकोषीय दायिताएं: विगत वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत के विकास के साथ चालू वर्ष के अन्त में राजकोषीय दायिताएं ₹ 30442 करोड़ थी, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत थी।

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियों की उपेक्षा करना: 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य बजट के माध्यम से निधियों का अंतरण करने की बजाय ₹ 1202 करोड़ की निधियों का सीधे विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरण किया। भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में एक भी अभिकरण नहीं है तथा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित तथा भारत सरकार द्वारा सीधे रूप से निधिक मुख्य स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक विशिष्ट वर्ष में वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि का निर्धारण करने के लिए कोई भी पहले से तैयार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली: भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की गई निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और अद्यतन सूचना का राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा वैधीकरण किया जाना चाहिए।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: वर्ष 2008-13 के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारिताओं में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल 3.18 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने केन्द्रीय सरकार/वित्तीय संस्थाओं से इसकी उधारी पर 8.28 प्रतिशत औसत ब्याज की अदायगी की। सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए। निवेशों में धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार को उपयुक्त पग उठाने पर विचार करना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाओं हेतु कार्य योजना: 31 मार्च 2013 को 12 अपूर्ण योजनाएं थी, जिन्हें ₹115 करोड़ के संचित वास्तविक व्यय से जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण किया जाना था। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सात परियोजनाओं में ₹ 35.01 करोड़ की अधिक लागत आई तथा शेष परियोजनाओं में संशोधित लागत उपलब्ध नहीं थी। सरकार को सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि लोग समय पर परिकल्पित लाभों को प्राप्त कर सकें।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन: हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीन कम्पनियों में परिसम्पत्तियों का अंतरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत सैक्टर सुधार अंतरण स्कीम 2010 अधिसूचित की। जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में विचार किया गया था, सही अर्थों में विखंडन नहीं किया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित वितरण कार्यकलापों सहित 13 संचरण लाइनों के अतिरिक्त अभी भी सभी विद्यमान उत्पादन तथा संचरण नेटवर्क का प्रबन्धन/प्रचालन कर रहा है। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किए गए ₹ 1021.78 करोड़ के निवेश के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 885.59 करोड़ की हानियां संचित की थी।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण: अत्यधिक व्यय करने तथा बिना प्रावधान के व्यय करने, बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए निधियों का आहरण करने तथा निधियों का अनावश्यक आहरण करने के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाएं सुदृढ़ नहीं रही। कई मामलों में प्रत्याशित बचतों (बजट के उपयोग में कमी) को या तो अभ्यर्पित नहीं किया गया था अथवा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किया गया, जिससे इन निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने हेतु कोई गुंजाइश नहीं रही। कई विभागों द्वारा आवश्यकता से अधिक निधियों का आहरण करने, उचित स्पष्टीकरण के बिना पुनर्विनियोजन करने तथा निधियों के प्रावधान के बिना व्यय करने के द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई। सार आकस्मिक बिलों को दीर्घकाल से समायोजित नहीं किया गया।

वित्तीय रिपोर्टिंग: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं से प्राप्त ऋणों तथा अनुदानों के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब किया गया तथा चोरी, हानि एवं दुर्विनियोजन के कई मामले थे, जिनमें विभागीय तथा अपराधिक छानबीन अपेक्षित थी। अगस्त 2013 तक 10 स्वायत्त निकायों ने वर्ष 2012-13 के अपने लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे।

अध्याय- I

राज्य सरकार के वित्त

1.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत सरकार द्वारा किये गये राज्यों के वर्गीकरण पर आधारित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है। जहां बिना विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केन्द्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता का अनुपात 30 प्रतिशत अनुदान तथा 70 प्रतिशत ऋण है, वहीं हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विशेषाधिकार के रूप में वित्तीय सहायता का अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण है।

इसके बावजूद विगत दशक में राज्य ने पर्याप्त आर्थिक विकास देखा है तथा वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद¹ की मिश्रित विकास दर लगभग 13.28 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट-1)।

यह अध्याय चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार के वित्त का विस्तृत परिदृश्य दर्शाता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय सकल योगों में मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। वर्ष 2011-12 में ₹ 645 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ का राजकोषीय घाटा बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2979 करोड़ (परिशिष्ट 1.3) हो गया तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत था। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 में संशोधित) में तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है तथा इसके उत्तर में जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पूर्व में हरियाणा व उत्तराखंड तथा पूर्व में चीन स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र (55673 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से यह 17वां सब से बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह 20वां सब से बड़ा राज्य है। जैसाकि परिशिष्ट-1 में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या 2001 में 0.61 करोड़ से बढ़कर 2011 में 0.69 करोड़ हो गई, जिससे 13 प्रतिशत की एक दशक वृद्धि हुई। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या की प्रतिशतता 10 प्रतिशत थी, जो अखिल भारतीय औसत (27.50 प्रतिशत) से कम थी। 2012-13 में चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 72076 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 76.50 प्रतिशत (2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 83.78 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो गई। वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 82611 थी।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक दी गई कालावधि में राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजारी मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की

¹ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह राज्य की जनसंख्या के जीवन स्तर को इंगित करता है। प्रचलित मूल्यों परराज्य तथा भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियांतालिका 1.1 में इंगित की जाती है।

तालिका 1.1

सकल राज्य उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियां

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बाजारी मूल्यों पर भारत का सकल राज्य उत्पाद(करोड़ों में)	5630063	6477827	7795313	8974947	10028118
सकल राज्य उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.89	15.05	20.34	15.13	11.73
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ों में)	41483	48188	56355	63812	72076(अ)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	22.1	16.16	16.95	13.23	12.95

स्रोत: आर्थिक तथा सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

1.1.1 वर्ष 2012-13 के दौरान चालू राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में चालू वर्ष (2012-13) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.4 चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण तथा समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.2

2012-13 में राजकोषीय प्रचालनों का सारांश

(₹ करोड़)

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -क: राजस्व							
कर राजस्व	4108	4626	सामान्य सेवाएं	5690	6571	47	6618
कर-भिन्न राजस्व	1915	1377	सामाजिक सेवाएं	5147	4853	1278	6131
संघीय करों/शुल्कों का भाग	1999	2282	आर्थिक सेवाएं	3049	2664	754	3418
भारत सरकार से अनुदान	6521	7313	सहायता अनुदान तथा अंशदान	12	7	--	7
राजस्व प्राप्तियां	14543	15598	राजस्व व्यय	13898	14095	2079	16174

प्राप्तियां	2011-12	2012-13	संवितरण	2011-12	2012-13		
	कुल	कुल		कुल	आयोजनेत्तर	योजनागत	योग
प्रवर्ग -ख: पूंजीगत तथा अन्य							
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--	--	पूंजीगत परिव्यय	1810	96	1859	1955
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	25	21	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	493			469
लोक ऋण प्राप्तियां	1984	3371	लोक ऋण की चुकौती	1128	--	2117	2117
आकस्मिकता निधि	--	--	आकस्मिकता निधि	--	--	--	--
लोक लेखा प्राप्तियां	9237	9146	लोक लेखा संवितरण	8526			8285
अथ रोकड़ शेष	635	569	अंत रोकड़ शेष	569			(-)295
योग	26424	28705	योग	26424			28705

स्रोत: वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1055 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कर-राजस्वों (₹ 518 करोड़), संघीय करों/शुल्कों का भाग (₹ 283 करोड़), सहायता अनुदानों (₹ 792 करोड़) में हुई वृद्धि तथा कर-भिन्न राजस्व में कमी (₹ 538 करोड़) का शुद्ध परिणाम था।
- कर-भिन्न राजस्व 2011-12 में ₹ 1915 करोड़ से ₹ 538 करोड़ घट कर 2012-13 में ₹ 1377 करोड़ हो गया। कर-भिन्न राजस्व में कमी ब्याज प्राप्ति, वन तथा वन्य जीवन विभाग तथा विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।
- विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आता है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में राजस्व प्राप्तियां सात प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय सारभूत रूप से 16 प्रतिशत बढ़ा।
- राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2276 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आयोजनेत्तर व्यय में तथा योजनागत व्यय में क्रमशः ₹ 1898 करोड़ तथा ₹ 378 करोड़ थी। सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 928 करोड़, ₹ 984 करोड़ और ₹ 369 करोड़ की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को वेतन संशोधन के बकायों तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता की किस्तोंकी अदायगी के कारण थी।
- पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹ 145 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 80 करोड़) तथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत (₹ 64 करोड़) के कारण थी, जबकि सामान्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय स्थिर रहा। वसूलियों तथा ऋणों व अग्रिमों का संवितरण विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ चार करोड़ (16 प्रतिशत) तथा ₹ 24 करोड़ (पांच प्रतिशत) कम हो गया।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों में क्रमशः ₹ 1387 करोड़ (70 प्रतिशत) तथा ₹ 989 करोड़ (88 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- वर्ष 2012-13 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 91 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 241 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी आई।
- अथ तथा अंत नकद शेष में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 66 करोड़ तथा ₹ 864 करोड़ की कमी आई।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

राज्य द्वारा अपनाए गए राजकोषीय नीति सुधारों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दरें प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास तथा ठोस राजकोषीय प्रबंधन की नीति।
- वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के लिए मध्यवर्ती राजकोषीय नीति से सम्बन्धित रणनीति अर्थात् राज्य की अपनी कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों में निरन्तर उत्फुल्लता बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के माध्यम से वित्तीय संसाधनों पर बल तथा विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम उधार लेना।
- राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य उर्जा की बिक्री के माध्यम से वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- दृढ़ आर्थिक विकास की वृद्धि के माध्यम से घाटों से सम्बन्धित लक्ष्यों को प्राप्त करना।

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्रति मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों पर राज्य सरकार का निष्पादन।

तालिका 1.3 मुख्य राजकोषीय परिवर्तन

राजकोषीय परिवर्तन	2012-13						
	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में किए गए प्रक्षेप	वास्तविक आँकड़े	वास्तविक आँकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन		
					राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	पंचवर्षीय राजकोषीय योजना/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण के प्रक्षेप
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण करें	0.55	--	(-)0.80	--	(-)245.45	--
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	3.00	2.88	3.00	4.13	37.67	43.40	37.67
सरकार के कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (प्रतिशत में)	44.40	40.10	41.03	39.70	(-) 10.58	(-)0.99	(-)3.24

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे


वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व घाटा (राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति का अन्तर) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत था तथा वर्ष 2012-13 के बजट प्राक्कलनों के प्रति 45 प्रतिशत अधिक था। राज्य सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम में प्रस्तावित राजस्व अधिशेष का अनुरक्षण नहीं कर सकी। राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में उल्लिखित क्रमशः तीन, 2.88 तथा तीन प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 4.13 प्रतिशत था।

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में निर्धारित क्रमशः 44.4, 40.10 तथा 41.03 के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2012-13 के दौरान कुल बकाया ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 39.70 था। तथापि, राजकोषीय असंतुलनों में कोई सुधार नहीं था, क्योंकि 2011-12 की राजस्व अधिशेष (₹ 645 करोड़) स्थिति से चालू वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य का राजस्व घाटा (₹ 576 करोड़) था तथा राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2979 करोड़ हो गया।

1.1.3 बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष के प्रक्षेपों का विवरण अथवा आय तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध करवाते हैं। समूचे आर्थिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय नीतियों के प्रभावशाली कार्यान्वयन के संदर्भ में राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन की शुद्धता का महत्व व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। बजट प्राक्कलनों से विचलन कई कारणों जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में होते हैं और कुछ सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं, से अपेक्षित राजकोषीय उद्देश्यों तथा आशाओं की प्राप्ति न करने को इंगित करता है। 2012-13 के कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय प्राचलों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए जाते हैं:

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय प्राचल: बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आंकड़े



स्रोत: आय तथा व्यय (जनवरी 2013) तथा वित्त लेखे 2012-13 की समीक्षा

जैसा कि चार्ट 1.1 से देखा जाएगा, अनेक प्राचलों के मामले में बजट प्राक्कलनों तथा वास्तविक आंकड़ों में व्यापक परिवर्तन थे। वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹ 745 करोड़ (4.56 प्रतिशत) कम थी तथा राजस्व व्यय ₹ 205 करोड़ (1.28 प्रतिशत) अधिक था, जिसके फलस्वरूप बजट में अनुमानित ₹ 374 करोड़ के राजस्व अधिशेष के प्रति ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹ 1041 करोड़ अधिक था, जबकि अनुमानित प्राथमिक अधिशेष ₹ 920 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया। अनुमानित ₹ 2003 करोड़ के कर-भिन्न राजस्व के प्रति 2012-13 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक वसूली ₹ 626 करोड़ (31 प्रतिशत) कम थी। ₹ 2250 करोड़ की अनुमानित ब्याज अदायगियों के प्रति चालू वर्ष के दौरान की गई वास्तविक अदायगियां ₹ 2370 करोड़ थी।

पूँजीगत व्यय के मुख्य अपवाद जो बजट प्राक्कलनों में अधिक दर्शाए गए थे, सहित राज्य के बजट ने राजस्व व्यय, ब्याज भुगतानों तथा राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटों को कम अनुमानित किया था। राजस्व प्राप्तियों को इसके संघटकों के तथा कर-भिन्न राजस्व सहित अधिक आंका गया था।

1.1.4 लिंग बजटिंग

14 नवम्बर 2008 को सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग में लिंग बजटिंग कक्ष का गठन किया गया, किन्तु सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग का दो विभागों महिला तथा शिशु कल्याण तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक कार्य में द्विशाखन के उपरांत 2013 में महिला तथा शिशु कल्याण विभाग में लिंग बजटिंग कक्ष का गठन किया गया। महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु 100 प्रतिशत की आवंटन सीमा तक 10 स्कीमों में थी तथा तीन स्कीमों में आंशिक आवंटन की थी, जिनका उल्लेख परिशिष्ट 1.5 में किया गया है।

1.1.5 बजट में मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना

2012-13 का बजट प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया था कि वित्तीय बाधाएं होने के बावजूद विकास की गति धीमी नहीं होगी। सरकार ने ₹ 130 करोड़ के प्रावधान के साथ इमदादी मूल्यों पर सभी राशन कार्ड धारकों को तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा नमक देने वाली स्कीम जारी रखी। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रभुत्व वाले वास क्षेत्रों में संरचनात्मक लुप्तियों को दूर करने के लिए ₹ 10 करोड़ के बजट आवंटन के साथ "गुरु रविदास नागरिक सुविधा स्कीम" बनाई गई। ₹ 147 करोड़ के बजट प्रावधान से 277817 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जानी थी। 2012-13 के दौरान इन स्कीमों पर सरकार के मुख्य नीति प्रारम्भ कार्य तथा बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्ययतालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका1.4

मुख्य नीतियां बनाने के लिए पहल करना, बजट प्रावधान तथा व्यय

(₹ करोड़)

क्र०सं०	स्कीम का नाम	बजट प्रावकलन	संशोधितप्रावकलन	व्यय	संशोधित प्रावकलनों के प्रति व्यय की प्रतिशतता
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	146.32	158.39	156.90	99
2	अटल स्कूल वर्दी योजना	प्रावधान नहीं	28.63	28.63	100
3	पं० दीन दयाल किसान बागवान समृद्धि योजना	50.00	43.84	43.68	100
4	अटल स्वास्थ्य सेवा योजना	10	10	10	100
5	गुरु रवि दास नागरिक सुविधा स्कीम	10	10	10	100
6	बेटी है अनमोल	2.21	3.71	4.17	112

स्रोत: अनुदानों के लिए मांग, विनियोजन लेखे तथा विभागीय आंकड़े।

सरकार द्वारा जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना एक अग्रता प्राप्त क्षेत्र समझा गया। ₹ 146.32 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 156.90 करोड़ का व्यय किया गया है। तथापि, प्रत्यक्ष उपलब्धियों में दो प्रतिशत की कमी थी, जो पेंशनभोगियों की मृत्यु अथवा अपात्रता के कारण प्रत्येक तिमाही के दौरान लाभग्राहियों के अस्थायी रिक्त लेखों के कारण थी तथा तदनंतर तिमाही में नए आवेदकों के साथ प्रतिस्थापित किए गए, जो नियमित प्रक्रिया है।

‘अटल स्कूल यूनीफार्म योजना’ स्कीम के अंतर्गत बजट भाषण में मुख्यमंत्री के द्वारा ₹ 60 करोड़ का बजट परिव्यय आख्यापित किया गया जिसके अंतर्गत बिना किसी आय सीमा के भेदभाव के 10 वीं कक्षा तक के सभी राजकीय स्कूल विद्यार्थियों को स्कूल यूनीफार्म के दो सैटों का वितरण किया जाना था। ₹ 28.63 करोड़ का व्यय किया गया तथा सभी 511728 लक्षित विद्यार्थियों को 1023456 यूनीफार्म के सैट प्रदान किए गए, जिससे 100 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति की गई।


किसानों तथा बागवानों की आर्थिक स्थिति में क्रान्ति लाने के लिए वर्ष 2012-13 का बजट प्रस्तुत करते समय बजट भाषण में पंडित दीन दयाल कृषि बागवान समृद्धि योजना स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा ₹ 50 करोड़ के बजट परिव्यय का आख्यापन किया गया। किसान बागवान समृद्धि योजना भाग-I(पोली हाऊस) तथा भाग-II(माइक्रो सिंचाई) के अंतर्गत ₹ 43.84 करोड़ के संशोधित बजट के प्रति ₹ 43.68 करोड़ का व्यय किया गया तथा 100 प्रतिशत के लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। तथापि, अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत ₹ 6.32 करोड़ अभ्यर्पित किए गए।

1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो भाग हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं। राजस्व प्राप्तियां कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्वों, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का हिस्सा तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियां अपनिवेशों से आगमों, ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजारी ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से ऋणों व अग्रिमों जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंतर्निष्ठ है। इसके अतिरिक्त संवितरण के बाद लोक लेखों में उपलब्ध निधि का भी सरकार द्वारा घाटे को पोषित करने हेतु उपयोग किया जाता है। तालिका 1.1 वार्षिक वित्त लेखों में अभिलिखित वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य की आय तथा संवितरणों को दर्शाती है, जबकि चार्ट 1.2, 2008-13 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है।


निम्नवत फ्लोचार्ट वर्ष 2012-13 के संसाधनों के संघटक तथा उप-संघटक दर्शाता है।



जैसाकि उपर्युक्त फ्लोचार्ट से स्पष्ट है, ₹ 28136 करोड़ की कुल प्राप्तियां 55 प्रतिशत की राजस्व प्राप्तियों, 33 प्रतिशत की लोक लेखा प्राप्तियों तथा 12 प्रतिशत की पूंजीगत प्राप्तियों से समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों

में भारत सरकार से सहायता अनुदान का शेयर, कर राजस्व, संघीय करों तथा शुल्कों का राज्य का शेयर तथा कर-भिन्न राजस्व क्रमशः 47 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत था।

(₹ करोड़)



विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां नौ प्रतिशत बढ़ कर ₹ 25789 करोड़ से ₹ 28136 करोड़ ही गई, जिसमें से 55 प्रतिशत (₹ 15598 करोड़) राजस्व प्राप्तियों से आए। 2008-11 के दौरान राज्य की कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का शेयर लगभग स्थिर (51-52 प्रतिशत) रहा, जो 2011-12 में बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया, किन्तु चालू वर्ष के दौरान फिर एक प्रतिशत कम हो गया। दूसरी ओर 2008-13 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों (बाजारी उधार तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशिष्ट प्रतिभूतियों) तथा लोक लेखा प्राप्तियां कुल प्राप्तियों के 44 तथा 49 प्रतिशतके मध्य थी।

राजस्व प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 9308 करोड़ से शीघ्रतापूर्वक 68 प्रतिशत बढ़ कर 2012-13 में ₹ 15598 करोड़ हो गई, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 2270 करोड़ से बढ़ कर (49 प्रतिशत) 2012-13 में ₹ 3392 करोड़ हो गई। लोक लेखा प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 6760 करोड़ से जल्दी बढ़कर 2011-12 में ₹ 9237 करोड़ हो गई, किन्तु 2012-13 में घट कर ₹ 9146 करोड़ हो गई। 2008-13 की अवधि के दौरान लोक लेखा प्राप्तियां 33 तथा 37 प्रतिशत के मध्य थी।

1.2.2 भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के बाहर के राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक सैक्टरों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों² को निधियों का अंतरण कर रही है। जैसाकि वर्तमान तंत्र में इन

² परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

निधियों का अंतरण राज्य बजट/राज्य कोष पद्धति के माध्यम से नहीं होता है, अतः इनका राज्य के वित्त लेखों में उल्लेख नहीं मिलता है।

2012-13 के दौरान ₹ 1202 करोड़ की केन्द्रीय निधियां (परिशिष्ट 1.6) सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गईं। भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य कार्यक्रम जहां पर निधियां सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गईं, का उल्लेख तालिका 1.5 में किया जाता है।

तालिका 1.5

राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियां

(₹ करोड़)

कार्यक्रम/स्कीम	राज्य का कार्यान्वयन अभिकरण	2012-13 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित की गई निधियां	कुल उपलब्ध निधियों में से प्रयुक्त की गई राशि*	विगत वर्ष की तुलना में विकास/मानवीय क्षेत्रों में सुधार अनुपात
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण	361.30	492.70	2011-12 में 4831578 श्रमदिन सहित 48043 घरों को रोजगार दिया गया, जबकि 2012-13 में 4068202 श्रमदिन सहित 40394 घरों को रोजगार दिया गया।
सर्वशिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	107.37	253.09	वर्ष 2012-13 में 116952 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सैट वितरित किए गए जबकि वर्ष 2011-12 में 163401 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सैट वितरित किए गए।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	102.24	139.10	2011-12 में 2557 बासक्षेत्र आवृत्त किए गए, जबकि 2012-13 में यह संख्या 2544 थी।
ग्रामीण आवास इन्दिरा आवास योजना	परियोजना निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अभिकरण	29.00	30.64	वर्ष 2012-13 में 6283 घर पूर्ण किए गए, जबकि 2011-12 में 5972 घर पूरे किए गए।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हिमाचल प्रदेश राज्य प्राथमिक शिक्षा सोसायटी	20.35	37.42	2012-13 में 20 स्कूल भवन पूरे किए गए, जो स्कीम के प्रारम्भ में संस्वीकृत किए गए थे।
		620.26	952.95*	

* विगत वर्ष के अथ शेष तथा अन्य प्राप्तियों भी समाविष्ट है।

स्रोत: सी0पी0एम0एस0 तथा विभागीय आंकड़े

₹ 361.30 करोड़ की राशि (कुल अंतरित की गई निधियों का 30 प्रतिशत, ₹ 107.37 करोड़ (8.93 प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान के लिए तथा ₹ 102.24 करोड़ (8.5 प्रतिशत) की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए दी गई। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा 2012-13 के दौरान ₹ 1202 करोड़ सीधे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए गए, जिससे राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 28136 करोड़ से बढ़ कर ₹ 29338 करोड़ हो गई। भारत सरकार द्वारा सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को अंतरित की गई निधियों का अनुश्रवण करने के लिए राज्य में कोई अभिकरण नहीं है और राज्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली और भारत सरकार द्वारा सीधे निधिक की जाने वाली मुख्य प्लेगशिप स्कीमों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों पर एक विशेष वर्ष में वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई सुनिश्चित करने के लिए पहले से तैयार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन तथा प्रभावशीलता की संक्षिप्त परिस्थिति का उल्लेख उत्तरवर्ती परिच्छेदों में किया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण जलापूर्ति की समस्या के महत्व को मध्यदृष्टि रखते हुए भारत सरकार 1972-73 से केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास भी जुटा रही है। ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में संशोधित (अप्रैल 2009) किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को संपोषित आधार पर पीने तथा खाना बनाने के लिए तथा अन्य घरेलू मूल आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है।

पेयजल आपूर्ति स्कीमों की प्रास्थिति

निष्पादनार्थ प्रारम्भ की गई 3359 स्कीमों (मार्च 2009से पूर्व चल रही:1154, 2009-10: 545, 2010-11: 758, 2011-12: 623 तथा 2012-13: 279) में से 370 चल रही अपूर्ण स्कीमों के अतिरिक्त 31 मार्च 2013 तक 2989 स्कीमों पूर्ण की जा चुकी थी।

भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियां प्रयुक्त न करना - ₹ 36.76 लाख

2009-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत ₹ 609.98 करोड़ की निधियां प्रदान की गई तथा इनके प्रति ₹ 3.30करोड़ का ब्याज प्रोदभूत हुआ। इसमें से बचत खाते में जुलाई 2013 को पड़े ₹ 36.74 करोड़ के अप्रयुक्त बकाया के अतिरिक्त राज्य सरकार ₹ 576.54 करोड़ प्रयुक्त कर चुकी थी।

वास क्षेत्रों की आवृत्ति

दिशानिदेशों के अनुसार प्रतिदिन की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या को प्रति व्यक्ति 40 लीटर पेयजल प्रदान किया जाना था। राज्य के 53201 वास क्षेत्रों में से 4651 वास क्षेत्रों के अतिरिक्त 48550 वास क्षेत्रों (राज्य सांख्यिकीय:2012-13) अर्थात् 91 प्रतिशत में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किया गया था।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो केन्द्र तथा राज्य में 75:25 (2012-13 से 50:50) के अनुपात में लागत शेयरिंग के साथ 2009-10 में सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भ की गई। स्कीम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की पहुंच तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। 20 स्कूल भवनों का समापन किया गया तथा ₹ 1.21 करोड़ प्रारम्भिक क्रियाकलापों जैसे जनशक्ति संसाधनों, कार्यशालाएं आयोजित करने आदि पर व्यय किए गए।

वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

2012-13के दौरान हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी के पास ₹ 37.38 करोड़(अथ शेष: ₹ 7.84 करोड़) भारत सरकार अंशदान:₹ 20.35 करोड़, राज्य सरकार शेयर: ₹ 6.79 करोड़, अन्य प्राप्तियां:

2.40 करोड़) उपलब्ध थे, जिसमें से ₹ 37.42 करोड़ व्यय किए जा चुके थे तथा ₹ 0.04 करोड़ की आधिक्य राशि अनावर्ती अनुदान से व्यय की गई।

स्कूल अवसंरचना का सृजन

- i) वर्ष 2009-10(69) तथा 2011-12 (45) के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 114 नए स्कूल भवन संस्वीकृत किए गए। 2011-12 के दौरान संस्वीकृत 45 स्कूलों में से अगस्त 2013 तक राज्य केवल 35 नए स्कूलों को अधिसूचित कर सका।

संस्वीकृत किए गए 114 कार्यों में से 81 स्कूल भवनों (2010-11: 64 तथा 2011-12:17) के निर्माणार्थ अनुबंध किए गए तथा शेष 33 कार्य भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रारम्भ नहीं किए जा सके। 2010-11 में हस्ताक्षरित 64 अनुबंधों में से अगस्त 2013 तक केवल 20 स्कूलों का निर्माण पूर्ण किया गया था तथा 29 स्कूलों का निर्माण प्रगति पर था। शेष 15 मामलों में से 14 मामलों में स्थल उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा एक स्कूल को अधिसूचना से हटा दिया गया था जो निधियों के धीमे उपयोग को दर्शाता है तथा 17 स्कूल भवनों जिनके लिए 2011-12 के लिए अनुबंध किया गया था, में से कोई कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।

- ii) उसी वित्त वर्ष में राशि व्यय करने के निदेशों सहित राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यालयों के सुदृढीकरण, जनशक्ति संसाधनों, कार्यशालाएं आयोजित करने, आदि जैसे प्रारम्भिक कार्यों के लिए 2009-10 के दौरान ₹ 1.60 करोड़ (भारत सरकार से ₹ 1.20 करोड़ तथा राज्य सरकार से ₹ 0.40 करोड़) निस्तारित किए गए। अगस्त 2013 तक विभाग केवल ₹ 1.21 करोड़ प्रयुक्त कर सका, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.39 करोड़ अप्रयुक्त रहे। विभाग ने बताया कि भारत सरकार ने मार्च 2012 के उपरांत निधियों का व्यय करने के लिए अनुमत नहीं किया था, अतः निधियां प्रयुक्त नहीं की जा सकी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग संस्वीकृति के दो वर्ष बाद भी निधियां प्रयुक्त नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप लाभभोगी अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे।


- iii) राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने 2009-10 (₹ 33.39 करोड़) तथा 2012-13 (₹ 48.87 करोड़) के दौरान अनावर्ती अनुदान के अंतर्गत ₹ 82.26 करोड़ प्राप्त किए, जिसके प्रति ₹ 41.55 करोड़ निष्पादन अभिकरणों (स्कूल प्रबंधन विकास समितियां ₹ 10.32 करोड़), हिमाचल शहरी विकास अभिकरण (₹ 14.48 करोड़) तथा भारत संचार निगम लिमिटेड (₹ 16.75 करोड़) को निस्तारित किए गए, जिससे मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 40.71 करोड़ अप्रयुक्त रहे। विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 13.66 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए थे तथा निर्माण अभिकरणों से निर्माण कार्य तीव्रता से करने तथा ₹ 27.90 करोड़ की शेष राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का अनुरोध किया गया था।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वित्त लेखों के विवरण -11में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है। राजस्व प्राप्तियां राज्य के अपने कर तथा कर-भिन्न राजस्वों, केन्द्रीय कर अंतरणों तथा सरकार के सहायता अनुदानों से समाविष्ट हैं।

2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा संघटन का परिशिष्ट 1.3 में उल्लेख किया जाता है तथा इन्हें चार्ट 1.3 में भी इंगित किया जाता है।

(₹ करोड़)



राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि की दर पर 2008-09 में ₹ 9308 करोड़ से 2012-13 में तीव्रता से बढ़कर ₹ 15598 करोड़ हो गई, किन्तु 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में केवल सात प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012-13 के दौरान 38 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां करों तथा कर भिन्न राजस्व से समाविष्ट राज्य के अपने संसाधनों से आए तथा शेष 62 प्रतिशत केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के राज्य के शेयर तथा शुल्कों (15 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (47 प्रतिशत) से समाविष्ट केन्द्रीय करों द्वारा अंशदान के रूप में आए।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरण 2011-12 में ₹ 1999 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2282 करोड़ होकर ₹ 283 करोड़ (14 प्रतिशत) बढ़ गए तथा वर्ष के दौरान ये राजस्व प्राप्तियों के 15 प्रतिशत से अंतर्विष्ट थे। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹ 33 करोड़,) निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर (₹ 91 करोड़) सीमा शुल्कों (₹ 32 करोड़) तथा सेवा कर (₹ 95 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान 2011-12 में ₹ 6521 करोड़ से 2012-13 में ₹ 7313 करोड़ हो जाने से ₹ 792 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पादसे सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों का तालिका1.6 में उल्लेख किया जाता है।

तालिका1.6

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	9308	10346	12711	14543	15598
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	1.82	11.15	22.86	14.41	7.25
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद(प्रतिशत)	22.44	21.47	22.56	22.79	21.64
उत्फुल्लता अनुपात³					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्फुल्लता	0.08	0.69	1.35	1.09	0.56
राज्य के अपने कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उत्फुल्लता	0.26	0.56	1.33	0.97	(-)0.03
राज्य के अपने करों के संदर्भ में राजस्व उत्फुल्लता	0.32	1.24	1.02	1.12	(-)21.97

2008-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर में 1.82 प्रतिशत से 22.86 प्रतिशत तक संगत वृद्धि थी, किन्तु यह 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 14.41 प्रतिशत तथा 7.25 प्रतिशत तक गिर गई। यद्यपि 2012-13 में राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में कर प्राप्ति 2011-12 की तुलना में दो प्रतिशत बढ़ गई, किन्तु इस अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व ने चार प्रतिशत की गिरावट दर्शायी। विद्युत सैक्टर (₹ 509 करोड़), ब्याज प्राप्तियां (₹ 45 करोड़), वानिकी तथा वन्य जीवन (₹ 43 करोड़), विविध सामान्य सेवाएं (₹ 31 करोड़) आदि मुख्य क्षेत्र थे, जिन्होंने 2011-12 की तुलना में चालू वर्ष में गिरती हुई प्रवृत्ति दर्शायी।

2010-11 तथा 2011-12 के अतिरिक्त 2008-13 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम थी। इसके अतिरिक्त 2010-11 में राज्य के अपने करों का प्रफुल्लता अनुपात 0.26 प्रतिशत से बढ़कर 1.33 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2011-13 की अवधि के दौरान घट कर क्रमशः 0.97 तथा (-)0.03 हो गया।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

क्योंकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के शेयर का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधनों की गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निर्धारण अपने करों तथा कर-भिन्न स्रोतों से समाविष्ट अपने संसाधनों के संदर्भ में किया गया।

³ परिशिष्ट 4 की शब्दावली में संदर्भित।

वर्ष 2012-13 के राज्य के वास्तविक कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों द्वारा किया गया निर्धारण तालिका 1.7 में दिया जाता है।

तालिका 1.7

प्रक्षेपों/प्राक्कलनों से सम्बन्धित वास्तविक आंकड़ों का प्रतिशत परिवर्तन

(₹ करोड़)

	13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप	वास्तविक आंकड़े	के संदर्भ प्रतिशत परिवर्तन		
					13वें वित्त आयोग के प्रक्षेप	बजट आंकलन	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण प्रक्षेप
कर राजस्व	4080	5057	4631	4626	13.38	(-) 8.52	(-) 0.11
कर भिन्न राजस्व	1356	2003	2095	1377	1.55	(-) 31.25	(-) 34.27

स्रोत: वित्त विभाग तथा वित्त लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपों से 13.38 प्रतिशत तथा 1.55 प्रतिशत अधिक था, जबकि कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व दोनों बजट प्राक्कलनों से 8.52 प्रतिशत तथा 31.25 प्रतिशत कम था।

1.3.1.1 कुल प्राप्तियां

मुख्य करों तथा शुल्कों के संदर्भ में सकल संग्रहण तालिका 1.8में दिया जाता है।

तालिका 1.8

राज्य के अपने संसाधनों के संघटक

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1246	1487 (19)	2101 (41)	2477 (18)	2728 (10)
राज्य आबकारी	432	500 (16)	562 (12)	707 (26)	810 (15)
वाहन कर	136	134 (- 1)	163 (22)	176 (8)	196 (11)
स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस	98	113 (15)	133 (18)	155 (17)	173 (12)
भू-राजस्व	20	15 (- 25)	5 (- 67)	18 (260)	24 (33)
माल तथा यात्री कर	62	89 (44)	93 (4)	94 (1)	101 (7)
अन्य कर ⁴	248	236 (- 5)	586 (148)	481 (- 18)	594 (23)
योग	2242	2574 (15)	3643 (42)	4108 (13)	4626 (13)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इंगित करते हैं।

वर्ष 2011-12 जिसमें वार्षिक वृद्धि क्रमशः 10,15,11 तथा 12 प्रतिशत थी की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बिक्री कर, व्यापार आदि, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस क्रमशः ₹ 251 करोड़, ₹ 103 करोड़, ₹ 20 करोड़ तथा ₹ 18 करोड़ बढ़ गए।

⁴विद्युत पर कर एवं शुल्क: 2008-09: ₹79 करोड़; 2009-10: ₹39 करोड़; 2010-11: ₹302 करोड़; 2011-12: ₹185 करोड़; 2012-13: ₹262 करोड़; अन्य कस्तुओं पर कर एवं शुल्क: 2008-09: ₹169 करोड़; 2009-10: ₹197 करोड़; 2010-11: ₹284 करोड़; 2011-12: ₹296 करोड़; 2012-13: ₹332 करोड़

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व की स्थिति तालिका 1.9 में दी जाती है।


तालिका 1.9
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर

(₹ करोड़)

राजस्व शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज प्राप्तियां	78	77 (-1)	70 (-9)	115 (64)	70 (-39)
लाभांश तथा लाभ	90	74 (-17)	64 (-14)	86 (34)	100 (16)
अन्य कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां जिनमें से -	1588	1633 (3)	1561 (-4)	1714 (10)	1207 (-30)
विविध सामान्य सेवाएं	5	1(-80)	2(50)	40(1900)	9(-78)
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	57	84(47)	82(-2)	104(27)	112(8)
वानिकी तथा वन्य जीवन	55	72(31)	65(-10)	107(65)	64(-40)
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	14	17(21)	31(82)	26(-16)	46(77)
लोक निर्माण कार्य	23	31(35)	35(13)	42(20)	40(-15)
जलापूर्ति तथा स्वच्छता	18	20(11)	26(30)	31(19)	34(10)
अन्य	1416	1408(-1)	1320(-6)	1364(3)	902(-34)
योग	1756	1784 (2)	1695 (-5)	1915 (13)	1377 (-28)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/घाटा इंगित करते हैं।

विगत वर्ष की तुलना में 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः एक प्रतिशत तथा नौ प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली ब्याज प्राप्तियां 2011-12 में बढ़ कर 64 प्रतिशत हो गई, किन्तु इनमें 2012-13 में पुनः 39 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई है। 2009-10 तथा 2010-11 में लाभांशों तथा लाभों की 19 तथा 12 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि थी, जो 2011-12 में 34 प्रतिशत बढ़ गई और 2012-13 में भारी रूप से 16 प्रतिशत गिर गई। अन्य कर-भिन्न राजस्व भी 2011-12 में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से भारी रूप से 2012-13 में (-)30 प्रतिशत गिर गए। विविध सामान्य सेवाएं (-78 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्य जीवन (-40 प्रतिशत) तथा लोक निर्माण कार्य (-15 प्रतिशत) मुख्य कर-भिन्न शीर्ष थे जहां वृद्धि में कमी आई। इस प्रकार विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (-) 28 प्रतिशत थी, जिसे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।



लोक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार द्वारा 21 लोक क्षेत्र उपक्रमों (तीन 619 (ख) कम्पनियों सहित) में ₹ 3399.01 करोड़ (पूँजीगत तथा दीर्घकालीन ऋण) का निवेश किया गया है, जिसका विवरण तालिका 1.10 में दिया गया है।

तालिका 1.10
निवेश का विवरण

(₹ करोड़)

लोक क्षेत्र उपक्रम का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			सकल योग
	पूँजीगत	दीर्घवधि ऋण	योग	पूँजीगत	दीर्घवधि ऋण	योग	
कार्यशील लोक क्षेत्र के उपक्रम	1608.24	1141.19	2749.43	560.88	11.80	572.68	3322.11
गैर-कार्यशील लोक क्षेत्र के उपक्रम	16.75	60.15	76.90	--	--	--	76.90
योग	1624.99	1201.34	2826.33	560.88	11.80	572.68	3399.01

19 कम्पनियों (एक गैर-कार्यशील कम्पनी कृषि-उद्योग पैकेजिंग इन्डिया लिमिटेड सहित) में से तीन कम्पनियाँ निर्माण अवस्था पर हैं तथा इन कम्पनियों के लाभ तथा हानि से सम्बन्धित लेखे तैयार नहीं किए जा रहे हैं।

इन कम्पनियों के नवीनतम उपलब्ध लेखों के अनुसार 9 कम्पनियों ने 20.93 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 6 कम्पनियों ने ₹ 425.16 करोड़ की हानि उठाई तथा केवल एक कम्पनी हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.35 करोड़ का लाभांश घोषित किया है, जो इसकी प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत है।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तालिका 1.11 में दिए गए हैं।

तालिका 1.11
भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
गैर-योजना अनुदान	2311	2052	2634	2647	2526
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	1700	2731	2680	3342	4179
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5	5	1	27	28
केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	456	339	343	505	580
योग	4472	5127	5658	6521	7313
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	-2.08	14.64	10.36	15.25	12.15
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	48	50	45	45	47

2008-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल सहायता अनुदान ₹ 4472 करोड़ से बढ़ कर ₹ 7313 करोड़ हो गए। विगत वर्ष की तुलना में 2009-13 की अवधि के दौरान 15, 10, 15 तथा 12

प्रतिशत की वृद्धि थी, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 45 तथा 50 प्रतिशत के मध्य थी। 2012-13 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदानों का गैर-योजना अनुदानों, राज्य योजना स्कीमों तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों का अंशदान 35, 57 तथा आठ प्रतिशत था।

1.3.3 केन्द्रीय कर अंतरण

तेरहवें वित्त आयोग के परिच्छेद 8.17 तथा 8.38 के अनुसार 0.781 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय करों के निवल आगम में राज्यों के आंतरिक ऋण (30.5 प्रतिशत से 32 प्रतिशत से उठाए गए) हिमाचल प्रदेश राज्य को सौंपे जाने थे। 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 की अवधियों के दौरान संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार ₹ 1715 करोड़, ₹ 1999 करोड़ तथा ₹ 2282 करोड़ की राशियों के वास्तविक केन्द्रीय कर अंतरण राज्य द्वारा प्राप्त किए गए। 2011-12 के दौरान ₹ 19 करोड़ के आधिक्य (वास्तविक संशोधित प्राक्कलन) को 2012-13 की वास्तविक प्राप्तियों (₹ 2301 करोड़) में से कटौती कर दी गई। सम्बन्धित कर शीर्षों के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/कमी नहीं थी।

1.3.4 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों का इष्टतम उपयोग

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की सिफारिशों पर राज्य को अंतरण की उपयोगिता का विवरण तालिका 1.12 में दिया जाता है।

तालिका 1.12
अंतरण तथा व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

क्र०स०	अंतरण	वित्त आयोग की सिफारिशें	राज्य सरकार द्वारा वास्तविक निस्तारण	सम्बन्धित राजस्व शीर्षों के अंतर्गत व्यय *	प्रयुक्त की गई राशि
1	स्थानीय निकाय				
सामान्य क्षेत्र	पंचायती राज संस्थाओं को मूल अनुदान	70.20	35.11	35.11	--
	निष्पादन अनुदान	48.45	50.57	50.57	--
विशेष क्षेत्र	पंचायती राज संस्थाओं को मूल अनुदान	30.00	15.00	15.00	--
	निष्पादन अनुदान	30.00	30.00	30.00	--
	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान (मूल)	10.96	10.96	10.96	--
	सामान्य निष्पादन अनुदान	6.48	6.48	6.48	--
2	राज्य विशिष्ट अनुदान	20.00	20.00	20.00	--
3	प्रारम्भिक शिक्षा	23.00	23.00	23.00	--
4	आपदा राहत		94.32	89.14	5.18
5	सड़कें तथा पुल		93.75	93.75	
	योग	239.09	379.19	374.01	5.18

स्रोत: विभागीय आंकड़े

* शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए अनुदानों को व्यय माना गया।

ज्यों ही राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों को निधियां निस्तारित की जाती हैं, तो उसे राज्य स्तर पर व्यय माना जाता है। वित्त आयोग की ₹ 239.09 करोड़ की सिफारिशों के प्रतिवर्ष

2012-13 में ₹ 379.19 करोड़ का निस्तारण किया गया। ₹ 379.19 करोड़ के वास्तविक निस्तारण में से ₹ 5.18 करोड़ को अप्रयुक्त छोड़ते हुए सम्बन्धित राजस्व शीर्ष के अंतर्गत व्यय ₹ 374.01 करोड़ था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन में प्रवृत्तियां तालिका 1.13 में दी जाती है।

तालिका 1.13

पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटन में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
पूंजीगत प्राप्तियां	2270	2587	3130	2009	3392
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	646	-	-
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	21	34	73	25	21
लोक ऋण प्राप्तियां	2249	2553	2411	1984	3371
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21.63	13.52	(-) 5.56	(-) 17.71	69.91
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	(-) 19.23	61.90	114.71	(-) 65.75	(-) 16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	22.10	16.16	16.95	13.23	12.95
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21.06	13.96	20.99	(-) 35.81	68.84

पूंजीगत प्राप्तियां 2008-09 में ₹ 2270 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 3392 करोड़ हो गई। प्रतिवेदन के वर्ष 2012-13 के दौरान विगत वर्ष (2011-12) की तुलना में पूंजीगत प्राप्तियों ने ₹ 69 प्रतिशत की वृद्धि की दर के साथ ₹ 1383 करोड़ की वृद्धि अभिलिखित की। चालू वर्ष के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली चार करोड़ घट गई, जबकि ऋणों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि की दर क्रमशः 69.91 प्रतिशत तथा (-)16 प्रतिशत थी।

1.4.1 ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार ने पशुपालन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक, आदि जैसी संस्थाओं/संगठनों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए थे। 2011-12 के दौरान वसूल किए गए ₹ 25 करोड़ की तुलना में राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान ₹ 21 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम वसूल किए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के रूप में ₹ 14 करोड़ प्राप्त किए गए, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ सात करोड़ कम थे।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों (बाजारी ऋण वित्त संस्थानों व बैंकों से उधार) से ऋण प्राप्तियां

2012-13 के दौरान ₹ 3239 करोड़ की राशि प्राप्त की गई जो बाजारी ऋणों: ₹ 2360 करोड़ नाबार्ड से ऋण: ₹ 400 करोड़, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगमसे ऋण: ₹ आठ करोड़ तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां: ₹ 471 करोड़ से अंतर्विष्ट थी।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण और अग्रिम

विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के ऋणों और अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.14 में दी जाती है।

तालिका 1.14
भारत सरकार से ऋण और अग्रिमों की स्थिति

(₹ करोड़)

	2010-11	2011-12	2012-13
अथ शेष	984	961	947
वर्ष के दौरान जोड़	39	80	132
वर्ष के दौरान निस्तारण	62	94	61
अंत शेष	961	947	1018
कुल व्यय की प्रतिशतता	6	6	5

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार ने राज्य योजना स्कीमों के लिए खण्ड ऋणों के रूप में ₹ 131.66 करोड़, राज्य गैर-योजना स्कीमों के लिए भवन निर्माणार्थ ₹ 0.11 करोड़ तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अन्य ऋणों के रूप में ₹ 0.04 करोड़ से अंतर्विष्ट राज्य को ऋण तथा अग्रिमों के रूप में ₹ 132 करोड़ प्रदान किए।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियां

कुल लेन-देनों के संदर्भ में लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेप, उचंत, जमा, आदि जैसी प्राप्तियां तथा संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत संस्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और ये राज्य विधानसभा द्वारा मत की शर्ताधीन नहीं है। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरणों के बाद बकाया सरकार के पास वह निधि उपलब्ध होती है, जिसका सरकार उपयोग कर सकती है। लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.15 में किया जाता है।

तालिका 1.15
लोक लेखा प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
लोक लेखा प्राप्तियां					
क. लघु बचतें, भविष्य निधि, आदि	1572	1659	2166	2100	2832
ख. आरक्षित निधि	464	295	433	285	188
ग. जमा तथा अग्रिम	1111	1224	1630	1780	1571
घ. उचंत तथा विविध	257	346	414	362	502
ङ जमा	3356	3297	3864	4710	4053
योग	6760	6821	8507	9237	9146

जैसा कि उक्त तालिका से स्पष्ट है, लोक लेखा प्राप्तियां 2009-10 में ₹ 6821 करोड़ से संगत रूप से बढ़ कर 2012-13 में ₹ 9146 करोड़ हो गई थी। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 में लघु बचतों,


भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 732 करोड़ बढ़ी, जबकि इस अवधि के दौरान जमा तथा अग्रिम तथा प्रेषण क्रमशः ₹ 209 करोड़ तथा ₹ 657 करोड़ घट गए।

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आबंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुख्य व्यय उत्तरदायित्व उनके द्वारा सौंपे जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के कार्य ढांचे में घाटों अथवा उधारों के माध्यम से वित्तपोषित सार्वजनिक व्यय उठाने में बचत बाधाएं आती हैं। अतः यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धता तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत पर नहीं है, विशेषतः जब व्यय सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु किया गया हो।


1.6.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन


चार्ट-1.5 विगत पांच वर्षों (2008-13) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है तथा 'अर्थ व्यवस्था वर्गीकरण' व 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' की दृष्टि से इसका संघटन क्रमशः चार्ट 1.6 तथा चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।



- राज्य का कुल व्यय 14 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2008-09 में ₹ 11607 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 18598 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में वृद्धि ₹ 2397 करोड़ (15 प्रतिशत) थी। कुल व्यय में वृद्धि, राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 2276 करोड़ तथा ₹ 145 करोड़ की वृद्धि के कारण थी, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 24 करोड़ घट गए।

- **राजस्व व्यय** :2008-09 से 2012-13 तक राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर बढ़ा। यह चालू वर्ष के दौरान ₹ 13898 करोड़ से ₹ 16174 करोड़ हो कर ₹ 2276 करोड़ (16.38 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 928 करोड़, ₹ 984 करोड़ तथा ₹ 369 करोड़ बढ़ गया।
- **पूंजीगत व्यय**:पूंजीगत व्यय 2008-09 में ₹ 2079 करोड़ से 14 प्रतिशत घटकर 2010-11 में ₹ 1789 करोड़ हो गया किन्तु तत्सम्बन्धी विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में यह ₹ 21 करोड़ (एक प्रतिशत) तथा ₹ 145 करोड़ (आठ प्रतिशत) बढ़ गया। शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति (₹ 145 करोड़), सामाजिक सेवाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास (₹ 223 करोड़), आर्थिक जलापूर्ति सेवाओं के अन्तर्गत विद्युत परियोजनाएं (₹ 264 करोड़) तथा परिवहन (₹ 734 करोड़) लाभकारी सेक्टर थे जिनमें, 2012-13 के दौरान पूंजीगत व्यय किया गया था। तथापि, कुल व्यय के संदर्भ में पूंजीगत व्यय का शेयर संगत रूप से 2008-09 में 17.91 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 10.51 प्रतिशत हो गया।
- ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का ₹ 469 करोड़ (तीन प्रतिशत) था, जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 24 करोड़ घट गया।





व्यय के इन संघटनों के सापेक्ष शेयर ने इंगित किया कि व्यय के मुख्य संघटकों में अंतवर्ष परिवर्तन थे। सामान्य सेवाओं (ब्याज अदायगियों सहित) जिसे गैर-विकासात्मक माना जाता है 2008-09 में 34.31 प्रतिशत से घट कर 2010-11 में 33.53 प्रतिशत हो गया, किन्तु 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः 35.57 प्रतिशत तथा 35.98 प्रतिशत बढ़ गया। दूसरी ओर, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं दोनों पर विकासात्मक व्यय 2011-12 में 61.32 प्रतिशत के प्रति 2012-13 में 61.46 प्रतिशत था। 2012-13 के दौरान सामान्य सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं का शेयर मुख्यतः सामान्य शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (19 प्रतिशत), पेंशन व अन्य सेवानिवृति लाभ (15 प्रतिशत) तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण (पांच प्रतिशत) पर व्यय के संदर्भ में था।

1.6.2 राजस्व व्यय

चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 21.64 प्रतिशत थी, जबकि राजस्व व्यय 22.44 प्रतिशत था। राज्य का राजस्व घाटा ₹ 576 करोड़ था, जो चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत था।

राज्य के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

विद्युत उत्पादन

31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों में ₹ 1438.25 करोड़ का निवेश कर चुकी है, जिसमें से ₹ 352.68 करोड़ तथा ₹ 63.79 करोड़ का निवेश क्रमशः हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित में किया गया था। ये दोनों कम्पनियां निर्माण अवस्था पर हैं और इन्हें अभी वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा किए गए ₹ 1021.78 करोड़ के निवेश के प्रति कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार ₹ 885.59 करोड़ की हानियां संचित की थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना

2003 से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का संस्थापन राज्य के विद्युत कार्यों का प्रबंधन करने हेतु था। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का विखंडन करने हेतु तीन कम्पनियों हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित एक उत्पादन उपयोगिता, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित एक संचरण उपयोगिता तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एक वितरण उपयोगिता का क्रमशः दिसम्बर 2006, अगस्त 2008 तथा दिसम्बर 2009 में गठन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तीनों कम्पनियों में परिसम्पत्तियों का अंतरण करने हेतु हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार अंतरण स्कीम, 2010 (जून 2010) अधिसूचित की।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को पहले से अंतरित की गई सभी परिसम्पत्तियां, सम्पत्तियां, सम्पत्तियों के लाभ तथा आकस्मिक निधियां हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित में निहित रहेंगी। तथापि, वितरण कार्यकलापों सहित 475.950 मेगावाट की कुल उत्पादन प्रतिष्ठापन क्षमता वाली 20 जल विद्युत परियोजनाओं का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया जाएगा तथा 986 मेगावाट उत्पादन क्षमता की केवल छः नई जलविद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित को निर्माणार्थ अंतरित की गई थी।

संचरण लाईनों (वितरण पद्धति अथवा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के विद्यमान अथवा भविष्य के बिजली घरों से समर्पित लाइनों का अनिवार्य भाग न होने के कारण) से सम्बन्धित सभी परिसम्पत्तियां तथा देयताएं हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को निहित/अंतरित रहेंगी। तदनुसार 66 के0वी0 तथा इसके ऊपर (278.860 सी0के0 एम) की 13 विद्यमान संचरण लाईनें 2009-11 के मध्य हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित को अंतरित की गई।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित वितरण क्रियाकलापों सहित अभी भी 13 संचरण लाइनों के अतिरिक्त अपने सभी विद्यमान उत्पादन तथा संचरण नेटवर्कों का प्रबंधन/प्रचालन कर रहा है। दो कम्पनियों (हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) के लेखों को 2012-13 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिनमें कम्पनी ने ₹ 885.59 करोड़ की संचित हानियां दर्शायी हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रकल्पित विखंडन को सही अर्थों में प्राप्त नहीं किया गया।

शिक्षा

राज्य सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा में निर्माण कार्यकलापों पर वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 113.06 करोड़, ₹ 25.82 करोड़ तथा ₹ 65.76 करोड़ का निवेश किया। निदेशक, उच्च शिक्षा ने बताया कि 2010-13 की अवधि के दौरान संस्वीकृत सभी कार्य प्रगति पर थे (सितम्बर 2013)।

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में निर्माण कार्यकलापों पर 2010-13 की अवधि के दौरान निवेश क्रमशः ₹ 30.95 करोड़, ₹ 9.35 करोड़ तथा ₹ 11.51 करोड़ था।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार का राजस्व लेखा पर प्रतिबद्ध व्यय ब्याज भुगतानों, वेतनों तथा मजदूरियों, पेंशनों तथा इमदादों से समाविष्ट था। तालिका 1.16 तथा चार्ट 1.8 इन संघटकों पर 2008-13 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं।


तालिका 1.16
प्रतिबद्धित व्यय के संघटक

(₹ करोड़)

प्रतिबद्धित व्यय के संघटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
वेतन तथा मजदूरियां, जिनमें से	3940	4788	5951	6215	7255*
आयोजनेत्तर शीर्ष	3813	4645	5784	5981	6999
योजनागतशीर्ष	127	143	167	234	256
ब्याज भुगतान	1894	1956	1950	2130	2370
पेंशनों पर व्यय	1154	1348	2105	2217	2747
इमदादें	369	403	439	465	567
योग	7357	8495	10445	11027	12939

* वेतन: ₹ 7066 करोड़; मजदूरी: ₹ 189 करोड़

(₹ करोड़)



वेतन तथा मजदूरियां

2012-13 के दौरान वेतनों तथा मजदूरियों पर व्यय राजस्व प्राप्तियों के 47 प्रतिशत से अधिक था। यह 2011-12 में ₹ 6215 करोड़ से 17 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 में ₹ 7255 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन व्यय ₹ 1018 करोड़ (17 प्रतिशत) बढ़ गया, जबकि विगत वर्ष की तुलना में योजना शीर्ष में वेतन व्यय ₹ 22 करोड़ (नौ प्रतिशत)

बढ़ा। 2008-13 के दौरान आयोजनेत्तर वेतन व्यय कुल व्यय के 96 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था। चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यवर्ती राजकोषीय योजना विवरण (₹ 6285 करोड़) में किए गए प्रक्षेपों से ₹ 781 करोड़ बढ़ गया, जिस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतानों पर व्यय 2008-09 में ₹ 1154 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2747 करोड़ हो गया तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 530 करोड़ तक बढ़ गया, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा 24 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। पेंशन भुगतानों पर 2012-13 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 18 प्रतिशत लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु पेंशन भुगतानों पर वास्तविक व्यय तेरहवें वित्त आयोग में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 1748 करोड़) से बढ़ गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतानों में 2008-09 में ₹ 1894 करोड़ से 2012-13 में ₹ 2370 करोड़ तक 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान ₹ 240 करोड़ की वृद्धि हुई। उधारों का मुख्य स्रोत पांच से 13.99 प्रतिशत तक की परिवर्ती ब्याज दरों पर बाजार ऋण हैं। चालू वर्ष हेतु ब्याज भुगतान तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपणों (₹ 2039 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणों के प्रक्षेपणों (₹ 2250 करोड़) से बढ़ गए।

ब्याज भुगतान 2008-09 में ₹ 1894 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 1956 करोड़ हो गए किन्तु 2010-11 में ₹ 1950 करोड़ की कमी हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान ब्याज भुगतान ₹ 2130 करोड़ थे, जबकि चालू वर्ष में इसने विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 240 करोड़ की वृद्धि दर्शाई।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के अलाभप्रद वर्गों को उपदान/परिदान उपलब्ध करवाना कोई असामान्य बात नहीं। उपदानों का वितरण प्रत्यक्ष रूप में ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप में भी लोगों को आर्थिक रूप से लोक सेवा उपलब्ध करवाना है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेशों पर अपर्याप्त प्रतिफल तथा सरकार द्वारा मुहैया सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की निकृष्ट वसूली उपदानों के परोक्ष वर्ग में आती है।

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि को उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2008-09 में ₹ 369 करोड़ से 2012-13 में ₹ 567 करोड़ तक 54 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत तक बढ़ गए और यह राजस्व प्राप्तियों का लगभग चार प्रतिशत था। उपदानों के मुख्य संघटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹ 154 करोड़); परिवहन (₹ 97 करोड़); विद्युत (₹ 220 करोड़) तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जातियां एवं अल्पसंख्यक मामले (₹ 20.18 करोड़) थे।

2012-13 में ₹ 567 करोड़ का उपदान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में किये गये (₹ 510 करोड़) प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.6.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये सहायता अनुदानों की विस्तृत स्थिति तालिका 1.17 में दी गई है।

तालिका 1.17
स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किए गए सहायता अनुदानों का विवरण
(₹ करोड़)

क्रमांक	संस्था का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाएं	203.49	231.14	311.25	314.89	405.62
2.	नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	82.46	115.92	92.26	122.94	174.09
3.	पंचायती राज संस्थाएं	188.45	217.92	256.28	263.95	282.09
4.	विकास अभिकरण	44.45	48.61	52.14	46.72	38.72
5.	अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	4.85	41.25	48.11	69.70	87.77
6.	अन्य संस्थाएं	58.55	63.25	89.35	162.89	214.82
	योग	582.25	718.09	849.39	981.09	1203.11
	राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में सहायता	6.17	6.44	6.09	7.06	7.43

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को 2008-13 की अवधि में दिये गए अनुदानों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹ 222.02 करोड़ (22.62 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2008-13 की अवधि के दौरान 6.09 प्रतिशत तथा 7.43 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता अनुदानों में तीव्र वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 90.73 करोड़), नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं (₹ 51.15 करोड़) तथा अन्य संस्थाओं (₹ 51.93 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवाएं प्रदान करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता तथा इसकी प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय- निष्कर्ष सम्बन्धों का निर्धारण)में सम्मिलित है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व व्यय की विकासात्मक कार्यकलापों पर व्यय प्रतिशतता 59 प्रतिशत थी, जबकि गैर विकासात्मक व्यय की प्रतिशतता 41 प्रतिशत थी। विगत वर्ष 2011-12 की अपेक्षा वर्ष 2012-13 में राजस्व व्यय में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक कार्यकलापों में व्यय में वृद्धि की प्रतिशतता क्रमशः 17 प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत रही। राज्य के कुल योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 87 प्रतिशत एवं 11 प्रतिशत थी।

1.7.2 व्यय उपयोग की दक्षता

तालिका 1.18 के अनुसार, विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2012-13 के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं मजदूरी में क्रमशः ₹ 516 करोड़ (14 प्रतिशत) एवं ₹ 306 करोड़ (20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जबकि सामाजिक सेवाओं में परिचालन एवं अनुसंधान व्यय में ₹ 73 करोड़ (29 प्रतिशत) की वृद्धि तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ तीन करोड़ की कमी हुई। 2011-13 की अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं में कुल व्ययके अनुपात में पूंजीगत व्यय क्रमशः 0.02 तथा 0.8 पर स्थिर रहा।

तालिका 1.18
विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2011-12			2012-13		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुसंधान		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुसंधान
सामाजिक सेवाएं	0.02	3622	251	0.02	4138	324
आर्थिक सेवाएं	0.08	1526	860	0.08	1832	857

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय हि0प्र0 से वाऊचर स्तर कम्प्यूटराइजेशन सिस्टम

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

अनुवर्ती राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन के कार्य ढांचे में राज्य से इसके राजकोषीय घाटे (तथा उधार) को न केवल निम्न स्तरों पर रखने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन हेतु राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने के लिए तथा उधार निधियों की लागत को वसूल करने के लिए अपेक्षित पग उठाने की आवश्यकता है, ताकि इसे अन्तर्निहित उपदान के रूप में बजट से वहन न किया जाए तथा

वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता लाने हेतु अपेक्षित पग उठाएं। यह प्रवर्ग चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्ययों का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रदर्शित करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2013 तक अपूर्ण परियोजनाओं से सम्बंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.19 में दी गई है।

तालिका 1.19

अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31 मार्च 2013 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	9	38.04	74.36*	73.05	35.01
भवन एवं सड़क (लोक निर्माण)	3	62.68	--	42.21	--
योग	12	100.72	74.36	115.26	35.01

स्रोत: वित्त लेखे

* सात परियोजनाओं की संशोधितलागत उपलब्ध है।

सभी अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल सात परियोजनाओं की संशोधित लागतें उपलब्ध थी, जिनकी ₹ 35.01 करोड़ की अधिक लागत आई। यह परियोजनाएं जुलाई 2005 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य पूरी की जानी थी। विलम्ब विश्लेषणों से सात वर्षों तक की समय वृद्धि का पता चला। 2010-13 की अवधि के दौरान कोई भी परियोजना परित्यक्त नहीं की गई।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2013 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹ 2767 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.20)।

तालिका 1.20

निवेश प्रतिफल

(₹ करोड़)

निवेश/प्रतिफल/उधार लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	औसत 2008-13
वर्षांत में निवेश	2369	2663	2864	2448	2767	--
प्रतिफल (लाभांश ब्याज)	89.58	73.49	64.11	85.65	100.09	--
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.78	2.76	2.24	3.50	3.62	3.18
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.19	8.59	7.78	7.80	8.08	8.28
ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	5.41	5.83	5.54	4.30	4.46	5.10

स्रोत: वित्त लेखे

मुख्य निवेश छ: सांविधिक निगमों/बोर्डों (₹ 1011.48 करोड़), 21 सरकारी कम्पनियों (₹ 603.41 करोड़) तथा एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सतलुज जल विद्युत निगम (₹ 1068.14 करोड़) में किया गया। सरकारी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता, जिन्होंने नवीनतम अन्तिम रूप से दिए गए लेखों के अनुसार हानियां संचित की थी वे हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 653.45 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (₹ 127.43 करोड़), हिमाचल प्रदेश एगो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (₹ 78.04 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹ 70.01 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (₹ 3.11 करोड़) थे।

किए गए निवेशों पर 2012-13 में सरकार ने ₹ 100.09 करोड़ का प्रतिफल उपार्जित किया, जो 2011-12 के ₹ 14.44 करोड़ से कहीं अधिक है। 2008-13 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल 3.18 प्रतिशत था, जबकि इस अवधि के दौरान उधारों पर अदा किए गए ब्याज की औसत दर 8.28 प्रतिशत थी। चालू वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की औसत दर तथा प्रतिफल के मध्य अन्तर 4.46 प्रतिशत था।

1.8.2.1 रूग्ण/अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अठारह सरकारी कम्पनियां तथा दो सांविधिक निगम आते हैं। इनमें से एगो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड एक अक्रियाशील कम्पनी है, जिसमें सरकार ने 1994-95 तक इक्विटी के रूप में ₹ 16.75 करोड़ निवेश किए थे, जो ₹ 17.72 करोड़ की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 94.52 प्रतिशत है। वर्ष 2011-12 के अंतिम रूप से तैयार किये गये लेखाओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष 2011-12 के वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 0.24 करोड़ की हानि उठाई तथा 31 मार्च 2012 तक संचित हानियां ₹ 78.04 करोड़ थीं। कम्पनी का शुद्ध ऋणात्मक मूल्य ₹ 60.32 करोड़ था।

राज्य सरकार के निर्देशों पर (सितम्बर 2009), कम्पनी की गुम्मा कार्टन फैक्ट्री में प्रतिष्ठापित संयंत्र तथा मशीनरी अगस्त 2010 के दौरान विक्रय कर दिए गए तथा राज्य सरकार ने कम्पनी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित कर दिया। वर्तमान में कम्पनी में दैनंदिन का काम देखने के लिए केवल तीन कर्मचारी हैं।

संयंत्र और मशीनरी को निपटाने के बाद राज्य सरकार ने एगो इण्डस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड को निष्क्रिय कम्पनी घोषित कर दिया (2 अप्रैल 2012) तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए प्रबन्धन को आगामी पग उठाने के लिए कहा, जिसके लिए मामला कम्पनी, राज्य सरकार तथा पंजीयक, कम्पनी के विचाराधीन था। प्रबन्धन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी (सितम्बर 2013)।

1.8.2.2 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में एवं संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक वस्तुओं तथा सेवाओं के शीघ्र वितरण में निजी क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु अपूर्व एवं नवीन पद्धति प्रस्तुत करती हैं। मार्च 2013 तक हाथ में ली गई 19 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में से चार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी थी तथा 15 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थी जैसा कि परिशिष्ट 1.7 में वर्णित है। लेखापरीक्षा में 19 सार्वजनिक निजी

भागीदारी परियोजनाओं में से छः⁵सार्वजनिक निजी भागीदारी अनुबंधों की नमूना जांच की गई। अनुबंधों के महत्वपूर्ण पहलू जैसे परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण, राजस्व हिस्सेदारी तथा आकस्मिक देयताओं को परिशिष्ट 1.8 में शामिल किया गया है। नमूना जांचित तीन रज्जु मार्ग परियोजनाओं में से दो परियोजनाओं (न्युगल तथा जाखू) के मामले में परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण शून्य मूल्य पर होना है, जबकि सोलंग परियोजना के मामले में परिसम्पत्तियों को मूल्यहास पुस्तांकित मूल्य पर हस्तांतरित किया जाना है। दो परियोजनाओं (सोलंग तथा जाखू) में परिचालन तथा अनुरक्षण के लिए निष्पादन गारण्टी प्राप्त करने का प्रावधान था लेकिन इस तरह की धारा न्युगल परियोजना के मामले में शामिल नहीं की गई। तीन पार्किंग कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं की संवीक्षा ने बर्खास्तगी या फोर्स मेजयुर की स्थिति में प्रदाता प्राधिकरण के लिए आकस्मिक देयताओं के प्रावधान को दर्शाया, लेकिन 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित माध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में इन देयताओं को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है तालिका 1.21 में 31 मार्च 2013 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.21

राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत	2010-11	2011-12	2012-13
अथशेष	329	483	951
वर्ष के दौरान दी गई राशि	227	493	469
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	73	25	21
अंत शेष	483	951	1399
निवल वृद्धि	154	468	448
ब्याज प्राप्तियां	11	21	14
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियां	2.28	2.21	1.19
विगत वर्ष के बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियां	8.22	8.06	8.39
प्राप्त ब्याज एवं प्रदत्त ब्याज की औसत दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.94	(-) 5.85	(-) 7.20

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2013 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹ 1399 करोड़ थी। उधार दिए गए ₹ 469 करोड़ के प्रति चालू वर्ष के दौरान केवल ₹ 21 करोड़ लौटाए गए, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ चार करोड़ की कमी दर्ज की गई। 2012-13 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्युत क्षेत्र कम्पनियों (₹ 442.53 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किए जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अन्तर था। 2010-12 के दौरान कमी

⁵ संजौली, छोटा शिमला और लिफ्ट स्थित तीन पार्किंग कॉम्प्लेक्स, न्युगल (पालमपुर) स्थित रज्जुमार्ग, रज्जुमार्ग-सह-स्काई-सेंटर परियोजना, सोलांग (कुल्लू) तथा जाखू रज्जुमार्ग (शिमला)।

लगभग स्थिर थी, परन्तु 2012-13 के दौरान इसमें 1.35 प्रतिशत गिरावट आई। 2012-13 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्ति का प्रतिफल 1.19 प्रतिशत प्राप्त किया। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर औसत 8.39 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

वर्ष 2012-13 के दौरान दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की स्थिति तालिका 1.22 में दी गई है।

तालिका 1.22
ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़)

ऋणी इकाइयां	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशी	शर्तों एवं प्रतिबंध	
			ब्याज की दर	ऋण स्थगन अवधि अगर कोई है
हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	1	0.19	ब्याज मुक्त	7 वर्ष
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	1	5.00	ब्याज मुक्त	जब तक निगम की परिसम्पत्तियों का निपटान किया गया
साख निगम (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	1	0.85	शर्तों एवं निबंधनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है	
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	3	381.17	10 प्रतिशत	10 वर्ष
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण एवं विकास निगम सीमित	3	61.36	10 प्रतिशत	10 वर्ष
हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम	1	11.80	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
सरकारी कर्मचारी	3	8.21	उपलब्ध नहीं	
योग	13	468.58		

₹ 468.58 करोड़ में से ₹ 16.99 करोड़ की राशि के ऋण ब्याज मुक्त, ₹ 442.53 करोड़ के ऋण 10 प्रतिशत की दर पर तथा ₹ 0.85 करोड़ के ऋण शर्तों एवं निबंधनों को अन्तिम रूप दिये बिना दिये गये। इसके अतिरिक्त, ₹ 8.21 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिये गये।

1.8.3.1 शर्तों एवं प्रतिबंधनों को अन्तिम रूप दिये बिना ऋणों को संस्वीकृत करना/उधार देना

वर्ष 2012 के अक्टूबर माह में बिना बजटीय प्रावधान के तथा ऋण के लिए आवश्यक शर्तों एवं निबंधनों जैसे ऋण स्थगन, ऋण की किस्तों की संख्या, ब्याज की दर तथा ऋण चुकाने में चूक की स्थिति में ब्याज की दर इत्यादि के ₹ 4.80 करोड़ की राशि का ऋण मंहगाई भत्ते के रूप में कर्मचारियों को अदा करना था जिसके लिए राज्य सरकार ने गारण्टी दी थी, 23 अक्टूबर 2012 को हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के पक्ष में हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के ऋण पत्रों की क्षतिपूर्ति के रूप में संस्वीकृत किया गया तथा उद्योग निदेशक द्वारा मुख्य शीर्ष-“6885-01-190-01- हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त निगम को ऋण” (मांग संख्या 18) के अन्तर्गत शिमला पूंजी कोष के वाउचर संख्या 01 के द्वारा आहरित किया गया। उपरोक्त के अलावा, वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 के दौरान विभिन्न इकाईयों को ₹ 7.50 करोड़ का ऋण दिया गया था जिसके लिए शर्तें तथा निबंधन अभी निर्धारित करने थे।

⁶ शिमला नगर निगम: ₹ दो करोड़, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित : ₹ 0.50 करोड़ तथा प्रधान सचिव, बहुउद्देश्य परियोजना एवं विद्युत: ₹ पांच करोड़।

ऐसा इंगित किए जाने पर (मार्च 2013), सरकार ने हिमाचल प्रदेश वित्त निगम को दिए गए ऋण की शर्तों तथा निबंधनों को अन्तिम रूप दिया (जून 2013)। शेष ऋणों के बारे में नियम एवं शर्तें लगाने हेतु कार्रवाई की जाए।

1.8.4 'चैक तथा बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख के लिए मुख्य शीर्ष 8670-चैक तथा बिल एक मध्यवर्ती लेखा शीर्ष है जिसका अन्ततः शोधन किया जाना होता है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष उन चैकों की राशि को दर्शाते हैं, जिनका नकदीकरण नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सभी कोष वास्तविक समय सकल समायोजन प्रणाली का संचालन करते हैं जहां सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं। परिणामस्वरूप, दिल्ली स्थित संचालित राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए ₹ 9.89 करोड़ मूल्य के चैकों द्वारा की गई गैर समायोजित राशि का भुगतान दिल्ली कोष से सम्बन्धित था जिसका अभी नई प्रणाली में परिवर्तित किया जाना था।

1.9 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग ख)** 31 मार्च 2013 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2012 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आन्तरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखों एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3** में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन **तालिका 1.23** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.23

राजकोषीय देयताएं - मूल मापदण्ड

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	21819	23713	26415	28228	30442
वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.36	8.68	11.39	6.86	7.84

निम्न के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	52.60	49.21	46.87	44.23	42.24
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	234.41	229.20	207.81	194.10	195.16

*आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2008-09 में ₹ 21819 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 30442 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹ 20765 करोड़) में बाजार ऋण (₹ 11809 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹ 1018 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 7938 करोड़, जिनमें भारत सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹ 5349 करोड़) समाविष्ट हैं।

लोक लेखा देयताओं (₹ 9677 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹ 7850 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसे निक्षेप (₹ 1602 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹ 226 करोड़) समाविष्ट हैं।

2012-13 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर आठ प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2008-09 में 52.60 प्रतिशत से निरन्तर घटकर 2012-13 में 42.24 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2011-12 के दौरान 1.95 गुणा की तुलना में 2012-13 के अन्त तक राजस्व प्राप्तियों के 1.95 गुणा थी।

1.9.3 आरक्षित निधि के अन्तर्गत लेन-देन

31 मार्च 2013 तक आरक्षित निधि में अंतशेष ₹ 225.70 करोड़ (साख) था। इसमें से ब्याज वाली आरक्षित निधि ₹ 9.05 करोड़ (साख) थी तथा इस निधि का ब्याज रहित अंश ₹ 216.65 करोड़ (साख) था। प्रचालित किये जा रहे मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/आरक्षित निधि नवीकरण (₹ 0.01 करोड़) तथा 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 9.04 करोड़) थे। ब्याज रहित आरक्षित निधियों के लिए 8226-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि (₹ 1.53 करोड़), 8229-विकास एवं कल्याण निधि (₹ 215.10 करोड़) तथा 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि (₹ 0.08 करोड़) लेखा शीर्ष प्रचालित किये गये थे।

समेकित शोधन निधि: 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को उनके द्वारा उपलब्ध करवाए गए खुले बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक समेकित शोधन निधि का सृजन करना अपेक्षित है। राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि विगत वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया खुले बाजार ऋणों का 0.5 प्रतिशत निधि में वार्षिक अंशदान दे। 31 मार्च 2012 तक बकाया देयताएं ₹ 28227.52 करोड़ थी। अगर यहां एक समेकित शोधन-निधि होती, तो राज्य सरकार की 2012-13 में निधि के प्रति देयताएं ₹ 141.14 करोड़ (बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) होती। तथापि, राज्य सरकार ने कोई समेकित शोधन निधि नहीं बनाई। उत्तर में वित्त विभाग ने बताया

(सितम्बर 2013) कि राज्य सरकार ने इस तरह की निधि नहीं बनाई थी क्योंकि पूर्व में चुकौती करने में कोई चूक नहीं हुई थी और भविष्य में इस तरह की चूक का आधार नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि बारहवें वित्त आयोग की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार ऐसी निधि का सृजन करने के लिए आबद्ध थी।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि:तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्य के 90:10 के आनुपातिक अंशदान से राज्य सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन करना होता है। यदि राज्य के पास राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अन्तर्गत पर्याप्त शेष नहीं है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से भारत सरकार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाती है। दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में से प्राकृतिक आपदाओं के लिए वास्तविक व्यय मुख्य शीर्ष 2245-राहत से सम्बन्धित लघु शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किये जाने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखा में प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लिए जरूरी होता है कि आवश्यक पुस्तांकित समायोजन करें ताकि निधि को व्यय के वर्ष में ही प्रयुक्त किया जा सके राज्य सरकारों द्वारा लोक लेखे से प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाना चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की प्राप्ति पर राज्य सरकार को आवश्यक समायोजनों को प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जिससे निधि स्वतः व्यय वर्ष में समाप्त हो जाए। मार्च 2012 में राज्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत प्राप्त ₹ 42.91 करोड़ प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के प्रति पुस्तांकित नहीं किए। इसके बदले, राज्य सरकार ने दिशा-निर्देशों के विपरीत राशि को 2012-13 में लोक लेखे को हस्तांतरित कर दिया।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 133.75 करोड़ प्राप्त किए, जो राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत प्राप्त ₹ 129.75 करोड़ के केन्द्रीय सरकार के भाग के 90 प्रतिशत से ₹ चार करोड़ अधिक थे। ₹ 14.86 करोड़ के इसके अपने भाग के प्रति राज्य सरकार ने ₹ 11.41 करोड़ जारी किए। ₹ 191.93 करोड़ (राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 3.86 करोड़ का अथशेष, 2012-13 हेतु राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 145.16 करोड़ तथा 2011-12 हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 42.91 करोड़) के संग्रह के प्रति राज्य सरकार ने 31 मार्च 2013 तक निधि में पड़े ₹ 9.04 करोड़ के शेष को छोड़कर वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में व्यय के प्रति ₹ 182.89 करोड़ समायोजित किए। इस बीच मार्च 2013 में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के अंतर्गत ₹ 45.98 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्राप्त की, जिसे सरकार ने दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय के प्रति समायोजित नहीं किया था।

1.9.4 अप्रचालनीय आरक्षित निधियां

दो आरक्षित निधियां अर्थात् मुख्य शीर्ष 8115-अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधियां-103-अवमूल्यन आरक्षित निधियां-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8226-

अवमूल्यन/नवीकरण आरक्षित निधि-101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की अवमूल्यन आरक्षित निधियां(₹ 1.53 करोड़)वर्ष 1970-71 से अप्रचालित रहीं।

1.9.5 आकस्मिक देयताएं

1.9.5.1 गारंटियों की स्थिति

यदि ऋणी जिसकी गारंटी दी गई है कोई चूक करता है तो राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटियां आकस्मिक देयतायें हैं। अधिकतम राशि, जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां, जैसाकि वित्त लेखे के विवरण-9 में दर्शाया गया है, का विवरण तालिका 1.24 में दिया जाता है।

तालिका 1.24
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़)

गारंटियां	2010-11	2011-12	2012-13
गारंटीकृत अधिकतम राशि	6232	6208	9455
गारंटियों की बकाया राशि	3910	3316	3353
वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशतता	49	43	61

मार्च 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2012-13 की समाप्ति पर ₹ 3353 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 23 प्रतिशत थी तथा 40 प्रतिशत की सीमा में थी। गारंटियों के प्राप्तकर्ता जिनके प्रति 31 मार्च 2013 को राशियां बकाया थी, पांच सांविधिक बोर्ड/निगम (₹ 3008 करोड़), छः सरकारी कम्पनियां (₹ 136 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹ 204 करोड़) तथा एक स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹ पांच करोड़) थे। वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा ₹ 3353 करोड़ राशि की 16 गारंटियां दी गईं। ₹ 0.06 करोड़ की प्राप्त की जानी वाली गारंटी फीस/कमीशन में से वस्तुतः ₹ 0.01 करोड़ प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान गारंटियों अथवा कंफर्ट से सम्बन्धित पत्र जारी होने के सम्बन्ध में सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी।

दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि तेरहवें वित्तायोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि,

राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है। उत्तर में वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि ऐसी निधि बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के किसी भी संगठन द्वारा किसी स्तर पर ऋण निर्वहन में चूक नहीं की गई थी।

1.10 ऋण प्रबन्धन

राजकोषीय घाटे को राज्य द्वारा सामान्यतः उधारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सकल ऋण वृद्धि 2010-11 में आठ प्रतिशत से 2011-12 में छः प्रतिशत कम हुई परन्तु 2011-12 के दौरान आठ प्रतिशत बढ़ गई। लोक ऋण चुकौती विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान 2009-10 में ₹ 867 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 2117 करोड़ हो गई तथा विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ₹ 989 करोड़ की तीव्र वृद्धि हुई। राज्य को 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा वहन करना पड़ा, जिसे वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 3371 करोड़ का लोक ऋण उठाकर वित्तपोषित किया गया।

1.10.1 ऋण रूपरेखा

विगतचारवर्षों के समय अनुक्रम में प्रति व्यक्ति ऋण चुकौती को निम्न तालिका 1.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25

प्रति व्यक्ति ऋण

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
जनसंख्या (करोड़ में)	0.6702	0.6767	0.6901	0.6971
कुल ऋण ⁷ (₹ करोड़ में)	23164	24961	26494	28615
प्रतिव्यक्ति ऋण (₹ में)	34562	36886	38392	41049

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

तालिका 1.25 प्रति व्यक्ति ऋण की 2009-10 में ₹ 34962 से 2012-13 में ₹ 41049 की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती थी।

1.10.2 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता का तात्पर्य एक समायावधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात का अनुरक्षण रखने से सम्बन्धित राज्य की दक्षता से है। अतः यह राज्य की ऋण निर्वहन दक्षता सूचित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त उन विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता⁸ को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह प्रवर्ग ऋण स्थिरीकरण⁹; गैर-ऋण-प्राप्तियों¹⁰ की पर्याप्तता; उधार

⁷ आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, सामान्य भविष्य निधि/सामूहिक बीमा योजना आदि।

⁸ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

⁹ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

निधियों¹¹ की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। वर्ष 2010-11 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण तालिका 1.26 में दिया जाता है।

तालिका 1.26
ऋण धारणीयता: सूचक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

ऋण धारणीयता के सूचक	2010-11	2011-12	2012-13
ऋण स्थिरता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा)	1462	2481	766
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ¹²	252	899	(-) 1346
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	752	(-)317	(-)155
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.153	0.146	0.152
राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (वर्षों में)			
0 – 1	952.61(5)	1496.44 (8)	1532.78(8)
1 – 3	3121.30(17)	3408.68 (17)	2945.74(14)
3 – 5	3346.47(18)	2853.82 (15)	4349.71(21)
5 – 7	3087.09(16)	4291.81 (22)	4380.07(21)
7 तथा इससे ऊपर	8146.89(44)	7459.94 (38)	7556.72(36)


लघु कोष्ठकों के आंकड़े लोक ऋण की प्रतिशतता को सूचित करते हैं

उपरोक्त तालिका 1.26 से प्रकट होता है कि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार वर्ष 2010-11: ₹ 1462 करोड़, 2011-12: ₹ 2481 करोड़ और 2012-13: ₹ 766 करोड़ धनात्मक था। राज्य सरकार की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि लोक ऋण का 43 प्रतिशत (8828 करोड़) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 57 प्रतिशत ऋण (₹ 11937 करोड़) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट 1.9 में प्रदर्शित है:

¹⁰परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

¹¹ परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें

¹²परिशिष्ट 4 में शब्दावली देखें



अपने व्यय देयताओं का निर्वहन करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ा, क्योंकि विगत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में राजकोषीय अधिशेष उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 2013 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा यह प्रदर्शित करती है कि लोक ऋण का 36 प्रतिशत सात वर्षों व इससे अधिक की परिपक्वता अवधि के अन्तर्गत था।

1.10.3 बाजार उधारों की समीक्षा

1.10.3.1 परिचय

राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सरकार की उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। उधारों का लेखांकन समेकित निधि (ई-लोक ऋण) के अंतर्गत किया जाता है। राज्य सरकार के आंतरिक ऋण तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम मुख्य भाग हैं। आंतरिक ऋणों का पुनः बाजार ऋणों तथा परक्राम्य ऋणों में विभाजन किया जाता है।

बाजार उधारों को केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबन्धन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की सहमति बिना कोई ऋण नहीं उठा सकती, यदि वे केन्द्र सरकार की ऋणी हैं। राज्य सरकारें दिनांकित प्रत्याभूतियां, विभिन्न अवधियों के राज्य विकास ऋणों को जारी करती है। वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान उठाए गए बाजार ऋणों की आवश्यकता और उपयोगिता का निर्धारण करना है।

1.10.3.2 बाजार उधारों की स्थिति

2008-09 से 2012-13 की अवधि के बाजार उधारों की वर्षवार स्थिति को तालिका 1.27 में इंगित की गई है।

तालिका 1.27
बाजार ऋणों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़)

वर्ष	बाजार ऋणों का अथशेष	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण	वर्ष के दौरान चुकाये गये बाजार ऋण	अंत शेष	अथशेष के सम्बन्ध में निवल वृद्धि	विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रतिशत वृद्धि
2008-09	5905.62	1912.01	159.61	7658.02	1752.41	29.67
2009-10	7658.02	1420.00	242.97	8835.05	1177.03	15.37
2010-11	8835.05	644.89	255.65	9224.29	389.24	4.40
2011-12	9224.29	1325.00	402.62	10146.68	922.39	10.00
2012-13	10146.68	2360.00	697.85	11808.83	1622.15	15.99

स्रोत: वित्त लेखे/वित्त विभाग

बाजार उधार 2008-09 के आरम्भ में ₹ 5905.62 करोड़ से 99.96 प्रतिशत बढ़कर 2012-13 के अंत तक ₹ 11808.83 हो गये। राज्य सरकार द्वारा बाजार उधारों में 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति दर्शाई गई परन्तु 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 680.11 करोड़ तथा ₹ 1035 करोड़ की वृद्धि दर्शाई गई।

1.10.3.3 ऋण धारणीयता सूचक

राज्य सरकार के ऋण धारणीयता सूचक तालिका 1.28 में दिये गये हैं।

तालिका 1.28
ऋण धारणीयता सूचक

(₹ करोड़)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल देयताएं	21818.96	23713.06	26414.74	28227.52	30442.43
लोक ऋण*	15427.23	17112.95	18654.37	19510.69	20765.02
सकल बाजार ऋण	7658.02	8835.05	9224.29	10146.68	11808.83
सकल देयताओं के प्रति बाजार ऋणों की	35.10	37.26	34.92	35.95	38.79

प्रतिशतता					
लोक ऋण के प्रति बाजार ऋण की प्रतिशतता	49.64	51.63	49.45	52.01	56.87
बाजारी ऋणों पर भारित औसत ब्याज दर- वित्तीय वर्षवार	7.81	8.36	8.45	8.87	8.77
बाजार ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज	472.08	592.50	678.40	706.56	849.54
चालू मूल्यों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	41483.00	48188.00	56355.00	63812.00	72076.00
प्रतिशत में सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	22.15	16.16	16.95	13.23	12.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर एवं ब्याज दर अनुपात	2.84:1	1.58:1	1.94:1	1.49:1	1.48:1
राजस्व प्राप्ति अनुपात के प्रति सकल ब्याज भुगतान	0.20:1	0.19:1	0.15:1	0.15:1	0.15:1
प्राथमिक अधिशेष (+) / घाटा (-)	(-)384.26	(-)828.06	(-)582.77	(+)496.65	(-)608.51
राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	(-)130.14	(-)804.65	(-)1235.44	(+)644.89	(-)576.13
राजकोषीय घाटा	2277.83	2783.91	2532.54	1633.05	2978.41
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता	52.60	49.21	46.87	44.23	42.24
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता	37.19	35.51	33.10	30.58	28.81
बकाया गारंटियां	2290.75	1949.23	3909.90	3316.43	3353.36
विगत वित्तीय वर्ष की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	9141.55	9307.99	10346.36	12710.61	14542.86
राजस्व प्राप्तियों के प्रति बकाया गारंटियों की प्रतिशतता	25.06	20.94	37.79	26.09	23.06

* आन्तरिक ऋण तथा भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं

सकलराज्य घरेलू उत्पाद के प्रति कुल देयताओं की प्रतिशतता 2008-09 में 52.60 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 42.24 प्रतिशत हो गई थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति लोक ऋण की प्रतिशतता 2008-09 में 37.19 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 28.81 प्रतिशत हो गई। लोक ऋण में बाजार ऋण का शेयर 2008-09 में 49.64 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 56.87 प्रतिशत हो गया।

1.10.3.4 बाजार ऋण का पार्श्व चित्र

विगत पांच वर्षों के दौरान उठाये गये बाजार ऋणों का पार्श्व चित्र तालिका 1.29 में दिया गया है।

तालिका 1.29
बाजार ऋण का पार्श्वचित्र

(₹ करोड़)

ऋण की अवधि	उठाये गये ऋण की राशि					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
3-5 वर्ष	--	--	---	---	600	600
5-7 वर्ष	---	---	---	---	400	400

>7 वर्ष	1912	1420	645	1325	1360	6662
वर्ष के दौरान दिया गया कुल ऋण	1912	1420	645	1325	2360	7662
31 मार्च तक कुल बकाया	7658.02	8835.05	9224.29	10146.68	11808.83	
कुल बकाया ऋण के प्रति वर्ष के दौरान उठाये गये ऋण की प्रतिशतता	24.96	16.07	6.99	13.05	19.99	

स्रोत: वित्त विभाग एवं वित्त लेखे

2008-13 के दौरान ₹ 7662 करोड़ के कुल बाजार उधारों में से 86.95 प्रतिशत ऋण 10 वर्षों की परिपक्व अवधि के थे। कम परिपक्व अवधि के ₹ 1000 करोड़ के ऋण केवल 2012-13 के दौरान ही उठाये गये हैं। वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि कम परिपक्व अवधि के ऋणों की ओर बदलाव राज्य सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का एक भाग था। यह समस्त वित्तीय पहलुओं जैसाकि अच्छी दरों, समग्र भविष्य भुगतानों, आदि के दृष्टिगत किया गया था।

1.10.3.5 बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि

प्रतिभूति सहित रेहनों की परिपक्वता से पूर्व बचा हुआ औसत समय, जिसे बाजारी उधारों की प्रतिशतता के द्वारा भारत किया जाता है, भारत औसत परिपक्वता कहलाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि की स्थिति तालिका 1.30 में दी गई है।

तालिका 1.30

बाजार ऋणों की भारत औसतन परिपक्व अवधि

(वर्षों में)

वर्ष	भारत औसतन परिपक्व अवधि	
	वर्ष के दौरान मामले	बकाया बाजार ऋण
2008-09	10	10.12
2009-10	10	10.08
2010-11	10	10.05
2011-12	10	10.01
2012-13	7.63	9.53

2008-09 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान बाजार उधारों की भारत औसतन परिपक्वता 10 वर्षों पर स्थिर थी, परन्तु 2012-13 में 3 से 5 वर्षों ₹ 2360 करोड़ में से ₹ 1000 करोड़) के अपेक्षाकृत कम परिपक्वता के बाजार ऋणों को उठाने के कारण यह 2012-13 के दौरान गिर कर 7.63 वर्ष हो गई। 2012-13 के अंत में बाजार उधारों के बकाया स्टॉक की भारत औसत परिपक्वता भी 2008-09 के अंत में 10.12 वर्षों से गिर कर 9.53 वर्ष हो गई।

1.10.3.6 बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति

2014-21 की अवधि के बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति की वर्षवार स्थिति तालिका 1.31 में दी गई है।

तालिका 1.31

बाजार ऋणों की परिपक्वता प्रवृत्ति (31 मार्च 2013 तक)

(₹ करोड़)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता राशि	बकाया बाजार ऋणों की प्रतिशतता के रूप में
2014-15	714.36	6.04
2015-16	785.55	6.65
2016-17	1237.35	10.47

2017-18	1799.01	15.23
2018-19	1912.00	16.19
2019-20	1420.00	12.02
2020-21	645.00	5.46

टिप्पणी: मार्च 2013 तक बकाया ऋण = ₹ 11808.83 करोड़

2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋणों के क्रमशः 15.23 प्रतिशत तथा 16.19 प्रतिशत के विमोचन पर विशेष दबाव सहित आगामी सात वर्षों में बकाया बाजार ऋणों की औसतन 10.29 प्रतिशत की परिपक्वता राशि अंतर्विष्ट थी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण, परक्राम्य ऋण, भारत सरकार से ऋण आदि जैसे अन्य उधारों सहित राज्य सरकार के समग्र ऋणों पर विचार करने के उपरांत समूचे भुगतान अनुपातिक रूप से बढ़ जाएंगे। तथापि, राज्य सरकार ने समूचे ऋण की परिपक्वता प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।

1.10.3.7 बाजार ऋणों का ब्याज दर पार्श्वचित्र

वर्षवार औसत ब्याज दरें जिन पर सरकार द्वारा 2008-13 की अवधि के दौरान बाजार ऋण प्राप्त किये गये थे तालिका 1.32 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.32

बाजार ऋणों का ब्याजदर पार्श्वचित्र

(₹ करोड़)

ब्याज दर (प्रतिशत)	वर्ष के दौरान उठाये गये बाजार ऋण					योग
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
5 के नीचे	-	-	-	-	-	-
5-5.99	-	-	-	-	-	-
6-6.99	200	-	-	-	-	200
7-7.99	700	-	-	-	-	700
8-8.99	1012	1420	645	1120	2360	6557
9-9.99	-	-	-	205	-	205
10-10.99	-	-	-	-	-	-
भारित औसतन ब्याज दर (प्रतिशत)	7.81	8.36	8.45	8.87	8.77	-

स्रोत: वित्त विभाग

बाजार ऋणों पर भारित औसतन ब्याज दर 2008-09 में 7.81 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 8.87 प्रतिशत हो गई तथा फिर 2012-13 में थोड़ी गिर कर 8.77 प्रतिशत हो गई। 2008-12 के दौरान 10 वर्षों के पूर्ववर्ती वर्षों की परिपक्वता की तुलना में 2012-13 में कमी तीन से पांच वर्षों की कम परिपक्वता वाले ऋण उठाने के कारण थी।

1.10.3.8 राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान

तालिका 1.33 विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतानों के अनुपात को प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.33

राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति ब्याज भुगतान

(₹ करोड़)

राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में सकल ब्याज भुगतान					
विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
ब्याज भुगतान	1893.57	1955.85	1949.77	2129.70	2369.90
राजस्व प्राप्तियां	9307.99	10346.36	12710.61	14542.86	15598.12
राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	20.34	18.90	15.34	14.64	15.19

स्रोत: वित्त लेखे

2008-12 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 20.34 प्रतिशत से गिरकर 14.64 प्रतिशत हो गई, परन्तु 2012-13 में थोड़ी सी बढ़कर 15.19 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार राज्य की समग्र ऋण वहन क्षमता में 2008-09 से 2011-12 के दौरान सुधार हुआ। तथापि, राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान की प्रतिशतता में 2012-13 के दौरान थोड़ी सी वृद्धि हुई।

1.10.3.9 बजट आकलनों से बाजार उधारों में परिवर्तन

बाजारऋणों के सम्बन्ध में 2008-09 से 2012-13 तक के वर्षों के बजट आकलनों तथा संशोधित आकलनों की नमूना जांच के दौरान बजट आकलन तथा बाजार उधारों की वास्तविक राशि में भिन्नता पाई गई, जिसे तालिका 1.34 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.34

बजट आकलन एवं वास्तविक बाजार उधार

(₹ करोड़)

वर्ष	बजट आकलनों के अनुसार बाजार उधार	वास्तविक बाजार उधार	बजट आकलन प्रतिशत के रूप में वास्तविक बाजार उधार
2008-09	2103.07	1912.01	90.92
2009-10	1593.49	1420.00	89.11
2010-11	1725.01	644.89	37.38
2011-12	1497.94	1325.00	88.45
2012-13	2551.11	2360.00	92.51

2008-13 की अवधि के दौरान बजट आकलनों की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक बाजार उधार 37.38 प्रतिशत तथा 92.51 प्रतिशत के मध्य रही, जो 2010-11 वर्ष के दौरान अवास्तविक बजट आकलनों को इंगित करते हैं। वित्त विभाग के अभिलेखों की छानबीन से पाया गया कि भिन्नता 2010-11 के दौरान राज्य भविष्य निधि, लघु बचतों तथा परक्राम्य ऋणों में अधिक अंशदान के कारण थी।

वित्त विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि वास्तविक उधार विभिन्न कारकों पर निर्भर थे जैसाकि भारत सरकार से संवैधानिक सहमति, वर्ष के दौरान उधारों के अन्य स्रोतों से निधियों का आगमन तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकता। तथापि, राज्य सरकार ने बजट आकलनों तथा वास्तविक बाजार उधारों के मध्य पाए जाने वाले परिवर्तनों के वर्षवार कारणों का उल्लेख नहीं किया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन


तीन मुख्य राजकोषीय प्राचल-राजस्व, राजकोषीय एवं मूल घाटा एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की मात्रा का प्रदर्शन करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा

इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के मध्य अंतर को प्रस्तुत करता है। घाटे का स्वरूप सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का सूचक है। इसके अतिरिक्त, विधि जिसमें घाटे को वित्तपोषित किया जाता है तथा जुटाये गये साधनों का उपयोग किया जाता है, इसकी राजकोषीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण संकेतक है। यह शाखा इन घाटों के वित्तपोषण की प्रवृत्ति, स्वरूप, मात्रा एवं विधि तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निश्चित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व के वास्तविक स्तर तथा राजकोषीय घाटे के निर्धारण को भी प्रस्तुत करता है।


1.11.1 घाटों की प्रवृत्तियां

चार्ट 1.10 एवं 1.11 2008-13 की अवधि के लिए घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं:

चार्ट 1.10: घाटे के सूचकों की प्रवृत्ति (₹ करोड़)



**चार्ट 1.11: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियां
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)**



चार्ट 1.10 एवं 1.11 दर्शाते हैं कि वर्ष 2011-12 के अतिरिक्त जब राज्य ने क्रमशः ₹ 645 करोड़ एवं ₹ 497 करोड़ का राजस्व एवं मूल अधिशेष पाया, 2008-13 के दौरान राजस्व, राजकोषीय एवं मूल सभी लेखों में भारी घाटे की स्थिति का अनुभव किया गया। 2008-09 में राज्य का ₹ 130 करोड़ का राजस्व घाटा था जो और कम हो कर 2010-11 में ₹ 1,235 करोड़ हो गया। 2011-12 में राजस्व अधिशेष की स्थिति से ₹ 374 करोड़ के राजस्व अधिशेष के बजट आकलन के प्रति राज्य को 2012-13 के दौरान ₹ 576 करोड़ के राजस्व घाटे की अनुभूति हुई। वर्ष 2012-13 के दौरान राजस्व घाटे के मुख्य कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन संशोधन तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता के बकायों के भुगतान के कारण राजस्व व्यय (16.37 प्रतिशत) में ₹ 2276 करोड़ की वृद्धि एवं विगत वर्ष की तुलना में ₹ 538 करोड़ (28 प्रतिशत) के कर-भिन्न राजस्व की कमी थी। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 1633 करोड़ से ₹ 1346 करोड़ बढ़कर 2012-13 के दौरान ₹ 2979 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा चालू वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.13 प्रतिशत था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये प्रक्षेपणों (अर्थात् 3 प्रतिशत) से अधिक था। 2011-12 में ₹ 497 करोड़ का मूल अधिशेष 2012-13 में 222 प्रतिशत का परिवर्तन सूचित करते हुए ₹ 609 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हुआ।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तीय स्वरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढांचे में एक रचनात्मक परिवर्तन हुआ है जैसा कि तालिका 1.35 में दर्शाया गया है।

तालिका1.35

राजकोषीय घाटे का संघटन तथा इसका वित्तीय ढांचा

(₹ करोड़)

	विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजकोषीय घाटे का अपघटन						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष	(-) 130 ((-)0.31)	(-) 805 ((-) 1.67)	(-)1,235 ((-)2.19)	(+) 645 (1.01)	(-) 576 ((-)0.80)
2	पूँजीगत व्यय	2079 (5.01)	1943 (4.03)	1789 (3.17)	1810 (2.84)	1955 (2.71)
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	69 (0.17)	36 (0.07)	154 (0.27)	468 (0.73)	448 (0.62)
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा*						
1	बाजार उधार	1752	1177	389	922	1662
2	भारत सरकार से ऋण	(-) 44	13	(-)23	(-) 13	71
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	60	396	650	127	286
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-) 406	78	526	(-) 180	(-) 764
5	लघु बचतों, भविष्य निधि आदि	515	546	888	636	1112
6	निक्षेप एवं अग्रिम	217	265	333	178	(-) 156
7	उचन्त एवं विविध	53	117	137	(-) 119	756
8	प्रेषण	(-) 2	75	48	(-) 127	(-) 174
9	अन्य	151	117	(-)416	209	185
10	समग्र अधिशेष/घाटा	(-) 2278	(-) 2784	(-)2532	(-) 1633	(-) 2979
कोष्ठकों के आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रतिशत इंगित करते हैं।						
*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरणों/बाह्य प्रवाह का निवल हैं।						

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य की राजकोषीय स्थिति में 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान भारी घाटे की अनुभूति हुई, जो 2010-11 तथा 2011-12 में घट कर क्रमशः ₹ 2532 करोड़ तथा ₹ 1633 करोड़ हो गए। 2012-13 के दौरान राज्य की राजकोषीय स्थिति बिगड़ गई तथा इसका घाटा ₹ 2979 करोड़ पर स्थिर था, जिसे बाजार से उधारों (₹ 1662 करोड़), लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि (₹ 1112 करोड़) तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधियों (₹ 286 करोड़) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों के द्वारा वित्तपोषित किया गया। 2012-13 के दौरान, बाजार उधारों तथा लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि सबमें घाटे के 93 प्रतिशत को वित्तपोषित किया गया, जिससे भविष्य में ब्याज का भार बढ़ेगा।

1.11.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे तथा राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) का अनुपात राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा जिस तक उधार निधियों का चालू उपभोग हेतु प्रयोग किया गया, को सूचित करता है।

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात सूचित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गई निधियां चालू उपभोग हेतु प्रयुक्त की गईं। इसके अतिरिक्त राजकोषीय घाटे के संदर्भ में राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात यह भी इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर कम हो रहा है तथा उधारों (राजकोषीय देयताएं) का कोई परिसम्पत्ति पृष्ठ पोषण नहीं है। 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.06 था, जो 2010-11 में सारभूत रूप से बढ़ कर 0.49 हो गया। 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात 0.19 था।

प्राथमिक घाटे (तालिका 1.36) का द्विभाजन पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण घाटे की मात्रा को इंगित करता है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को सुधारने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.36

प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का द्विभाजन

(₹ करोड़)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल मूलभूत व्यय (3+4+5)	प्राथमिक राजस्व अधिशेष (2-3)	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2008-09	9329	7544	2079	90	9713	1785	(-) 384
2009-10	10380	9195	1943	70	11208	1185	(-) 828
2010-11	13430	11996	1789	227	14012	1434	(-) 582
2011-12	14568	11768	1810	493	14071	2800	(+) 497
2012-13	15619	13804	1955	469	16228	1815	(-) 609

2008-09 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक व्यय की तुलना में अधिक थी, जो इस व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। 2008-09 से गैर-ऋण प्राप्ति प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में 2008-09 में ₹ 1785 करोड़ से गिर कर 2009-10 में ₹ 1185 करोड़ हो गई, परन्तु 2010-11 में ₹ 1434 करोड़ तथा 2011-12 में ₹ 2800 करोड़ की निरन्तर वृद्धि हुई, तथा चालू वर्ष 2012-13 के दौरान घट कर ₹ 1815 करोड़ हो गई।

कुल प्राथमिक व्यय 2008-13 की अवधि के दौरान ₹ 9713 करोड़ से ₹ 16228 करोड़ हो कर ₹ 6515 करोड़ बढ़ गया, जो 2008-09 में ₹ 7544 करोड़ से 2012-13 में ₹ 13804 करोड़ हो कर ₹ 6260 करोड़ बढ़ जाने तथा 2008-09 में ₹ 2079 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1955 करोड़ हो कर पूंजीगत व्यय में ₹ 124 करोड़ घट जाने के कारण था।

राज्य का 2008-09 में ₹ 384 करोड़ का प्राथमिक घाटा था, जो आगे 2009-10 में बढ़ कर ₹ 828 करोड़ हो गया। 2010-11 में सुधार के पश्चात 2011-12 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 497 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। तथापि, राज्य को 2012-13 में ₹ 609 करोड़ के मूलभूत घाटे की अनुभूति हुई। 2012-13 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यतः विगत वर्ष की तुलना में ₹ 2276 करोड़ (16.38 प्रतिशत) के राजस्व व्यय में सार्थक वृद्धि के कारण था।

1.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य के वित्त पर वर्ष 2008-09 से आगे पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, परन्तु राज्य सरकार ने वर्ष 2009-10 से आगे के प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अभी चर्चा की जानी थी।

1.13 निष्कर्ष

राज्य की राजकोषीय स्थिति का अध्ययन राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटों के राजकोषीय प्राचलों के अंतर्गत किया जाता है। राज्य ने विगत वर्ष के राजस्व अधिशेष (₹ 645 करोड़) के सापेक्ष के प्रति चालू वर्ष के दौरान ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा पाया। विगत वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 15598 करोड़) सात प्रतिशत बढ़ीं (₹ 1055 करोड़), जबकि राजस्व व्यय ₹ 2276 करोड़ (16 प्रतिशत) बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 645 करोड़ के राजस्व अधिशेष की तुलना में ₹ 576 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। राजस्व लेखा तेरहवें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में किये गये प्रक्षेपणों को पूरा नहीं कर सका।

2012-13 के दौरान विगत वर्ष का ₹ 497 करोड़ का प्राथमिक राजस्व अधिशेष ₹ 609 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया। 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा 4.13 प्रतिशत था, जो तीन प्रतिशत के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार नहीं था।

2012-13 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 प्रतिशत था, तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय भी राजस्व व्यय का 87 प्रतिशत था। योजनागत राजस्व व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष की अपेक्षा आठ प्रतिशत (₹ 1955 करोड़) की वृद्धि हुई। सरकारी निवेशों पर आय की कम दर तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर अपर्याप्त ब्याज लागत वसूली चिंता का विषय था। चालू वर्ष के दौरान ₹ 7066 करोड़ का वेतन व्यय मध्यम अवधिराजकोषीय योजना विवरण (₹ 6285 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से बढ़ गया था।

2012-13 के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट के माध्यम की बजाय सीधे ₹ 1202 करोड़ का अंतरण किया। इन निधियों के व्यय का अनुश्रवण करने के लिए कोई अभिकरण नहीं है।

आठ प्रतिशत की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएं ₹ 30442 करोड़ थी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42 प्रतिशत थी। कुल लोक ऋण में बाजार ऋणों का हिस्सा 2008-09 में 49.64 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 56.87 प्रतिशत हो गया। 2017-18 तथा 2018-19 वर्षों के दौरान बकाया ऋण के क्रमशः 15.23 प्रतिशत तथा 16.19 प्रतिशत विमोचन पर सार्थक दबाव सहित आगामी सात वर्षों में परिपक्व राशि बकाया बाजार ऋणों की 10.29 प्रतिशत थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लेखों को 2010-11 तक अंतिम रूप दिया जा चुका है जिनमें कम्पनी ने ₹ 885.59 करोड़ की संचित हानियां दर्शाई हैं। जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 में प्रकल्पित था, सच्चे अर्थों में विखंडन नहीं किया गया है।

जुलाई 2005 और दिसम्बर 2012 के मध्य पूर्ण की जाने वाली 12 परियोजनाएं जिनमें ₹ 115 करोड़ का अवरोधन था, 31 मार्च 2013 तक अधूरी थी।

विभिन्न इकाइयों को ₹ 7.50 करोड़ के ऋण अग्रिम दिये गये थे जिनकी वसूली के लिए निबन्धन एवं शर्तें छः वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद भी तय नहीं की गई थी।

1.14 सिफारिशें

सरकारद्वारा:

- अत्यधिक आकलनों से बचने के लिए बजट आकलनों में सुव्यवस्थित घटकों का सुदृढ़ीकरण करना;
- निधियों के उधारों को कम करने के लिए राज्य की अपनी प्राप्तियों के संग्रहण का सुदृढ़ीकरण करना;
- वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वचनबद्धताओं को खोजने के लिए एक पद्धति विकसित करना; तथा
- भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई निधियों के संदर्भ में प्राप्तियों तथा व्ययों पर आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली में सुधार करना।

अध्याय - II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत्त एवं प्रभारित व्यय के लेखे विनियोजन लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत्त मदों के संबंध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तविक रूप में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से संबन्धित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2012-13 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गई है।

तालिका 2.1

मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़)

व्यय स्वरूप	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत्त					
राजस्व	15137.16	677.38	15814.54	15635.58	(-) 178.96
पूंजी	2009.44	122.09	2131.53	2027.53	(-) 104.00
ऋण एवं अग्रिम	367.17	16.22	383.39	468.58	(+) 85.19
कुल दत्तमत्त	17513.77	815.69	18329.46	18131.69	(-) 197.77
प्रभारित					
राजस्व	2287.26	50.44	2337.70	2410.57	(+) 72.87
पूंजी	--	4.03	4.03	4.03	--
लोक ऋण- चुकाती	1937.30	--	1937.30	2116.96	(+) 179.66
कुल प्रभारित	4224.56	54.47	4279.03	4531.56	(+) 252.53
आकस्मिक निधि (अगर कोई है) से विनियोजन					
	--	--	--	--	--
सकल योग	21738.33	870.16	22608.49	22663.25	(+) 54.76

* निधियों के उपयोग में कमी

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत पूंजीबद्ध किया गया ₹ 54.76 करोड़ का समग्र व्यय आधिक्य, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत छः अनुदानों व तीन विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत छः अनुदानों व एक विनियोजन में ₹ 703.08 करोड़ के आधिक्य के परिणामस्वरूप था जिसे राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 26 अनुदानों तथा चार विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 22 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 648.32 करोड़ की बचत द्वारा प्रति संतुलित किया गया।

वर्ष के दौरान अनुदान के प्रति ₹ 25 करोड़ से अधिक की सार्थक बचतें पाई गईं जो भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व दत्तमत्त), शिक्षा (राजस्व दत्तमत्त) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व दत्तमत्त), कृषि (राजस्व दत्तमत्त), ग्रामीण विकास (राजस्व दत्तमत्त), विद्युत विकास (राजस्व दत्तमत्त), वित्त (राजस्व दत्तमत्त) और लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन (पूंजीगत दत्तमत्त) तथा अनुसूचित जाति उप-योजना (पूंजीगत दत्तमत्त) थी। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों जिनके प्रति आबंटनों की तुलना में सार्थक अधिक व्यय पाया गया वे लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन (राजस्व दत्तमत्त), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व दत्तमत्त), वित्त (राजस्व प्रभारित), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत दत्तमत्त), विद्युत विकास (पूंजीगत दत्तमत्त) और वित्त (वित्त प्रभारित) थे।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश द्वारा संबन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 1037 उप-शीर्षों के संबन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2013)। इसमें से 287 उप-शीर्षों (बचत: 182 उप-शीर्ष, आधिक्य: 105 उप-शीर्ष) के संबन्ध में भिन्नता हेतु स्पष्टीकरण प्रतीक्षित थे (सितंबर 2013)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 बचतें

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 29 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गईं तथा चार मामलों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 648.32 करोड़ की कुल बचतों में से चार अनुदानों से संबन्धित मात्र चार मामलों में ₹ 316 करोड़ (49 प्रतिशत) की पर्याप्त बचतें थीं जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक थी जैसा कि तालिका 2.2 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2

₹ 50 करोड़ से अधिक की बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें
राजस्व दत्तमत्त						
1.	08-शिक्षा	3108.58	75.83	3184.41	3064.42	119.99
2.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	901.74	21.14	922.88	860.77	62.11
3.	20-ग्रामीण विकास	377.89	28.10	405.99	333.30	72.69
पूंजीगत-दत्तमत्त						
4.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	533.17	19.11	552.28	491.07	61.21
योग		4921.38	144.18	5065.56	4749.56	316.00

स्रोत: विनियोजन लेखे

राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुदान के प्रति पर्याप्त बचतों (उपयोग में कमी) के लिए कारण नहीं बताए गए थे (सितंबर 2013)।

2.3.2 निरंतर बचतें

गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में चार मामलों में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें थी, जैसा कि तालिका 2.3 में वर्णित किया गया है।

तालिका 2.3
2008-13 के दौरान निरंतर बचतों सहित अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व-दत्तमत्त						
1.	03-न्याय प्रशासन	3.66	2.84	16.51	15.96	14.78
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	15.06	9.99	7.78	9.43	6.89
3.	20-ग्रामीण विकास	8.48	2.06	4.06	75.07	72.69
पूँजीगत-दत्तमत्त						
4.	29-वित्त	2.32	4.19	1.84	1.67	5.07

स्रोत: विनियोग लेखे

वर्ष 2011-12 (₹ 57.86 करोड़) 2012-13 (₹ 18.16 करोड़) के दौरान अनुदान संख्या 20-ग्रामीण विकास के अंतर्गत बचत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पाया गया था। इससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण इंगित हुआ। राज्य सरकार से इन निरंतर बचतों के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2013)।

2.3.3 अधिक व्यय

10 मामलों में ₹ 9781.61 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान (चार मामले) के 20 प्रतिशत से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 702.56 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट 2.2 और तालिका 2.4)।

तालिका 2.4

अनुदानों की सूची जहां प्रत्येक में व्यय ₹ एक करोड़ से अधिक था तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1387.90	1673.11	285.21	21
पूँजीगत-दत्तमत्त					
2.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	20.56	27.56	7.00	34
3.	21-सहकारिता	0.85	11.42	10.57	1244
4.	23-विद्युत विकास	393.56	481.09	87.53	22
योग		1802.87	2193.18	390.31	

स्रोत: विनियोजन लेखे

विभागों से अधिक व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2013)।

2.3.4 निरंतर अधिक व्यय

गत पांच वर्षों के दौरान दो मामलों में निरंतर अधिक व्यय था, जैसा कि तालिका 2.5 में इंगित किया गया है।

तालिका 2.5
2008-13 के दौरान निरंतर अधिक व्यय को इंगित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व-दत्तमत्त						
1.	10-लोक निर्माण, सड़कें, पुल एवं भवन	134.46	215.36	219.60	221.99	35.57
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	340.76	236.55	586.72	350.71	285.21

स्रोत: विनियोजन लेखे

निरंतर अधिक व्यय दर्शाता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण निष्प्रभावी था और बजट आकलन अवास्तविक आधार पर तैयार किए गए थे।

2.3.5 बिना प्रावधान के व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि 15 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के किन्हीं पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹ 37.32 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि तालिका 2.6 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.6
2012-13 के दौरान प्रावधान के बिना किया गया व्यय

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि	टिप्पणी
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन-			
1.	2245/80/102/01 (प्राकृतिक आपदाओं, आपदा ऊर्मुख क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं पर व्यय)	0.23	कारण प्रतीक्षित थे
07-पुलिस और सम्बद्ध संगठन-			
2.	2070/00/104/02 (राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो-जांच रेंज स्टाफ)	0.69	कारण प्रतीक्षित थे
11-कृषि			
3.	2402/102/10 (कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए छोटे व उपगत कृषकों को सहायता)	0.03	कारण प्रतीक्षित थे
13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता-			
4.	2215/01/001/01 (निर्देश)	0.30	कारण प्रतीक्षित थे
5.	2215/01/001/02 (निष्पादन)	0.60	
6.	2215/01/102/03 (ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम का अनुसंधान व मरम्मत)	0.09	
7.	4701/15/799/02 (माल विनिर्माण)	0.06	
8.	4701/16/799/01, 02 और 03 (माल, माल विनिर्माण और विविध अग्रिम)	0.22	
9.	4702/799/01, 02 और 03 (माल, माल विनिर्माण और विविध लोक निर्माण अग्रिम)	28.39	
19-सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण-			
10.	2235/60/200/11 (पेंशन भोगियों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति)	0.05	कारण प्रतीक्षित थे
11.	4235/02/800/02 (सैनिक विश्राम गृह और भक्तों का निर्माण)	0.08	
क्रमांक	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के	टिप्पणी

		व्यय की राशि	
29-वित्त-			
12.	7610/202/01 (मोटर कारों की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को ऋण)	0.01	कारण प्रतीक्षित थे
31-जनजातीय विकास-			
13.	2215/01/796.04, 05 और 06 (माल, माल विनिर्माण और विविध लोक निर्माण अग्रिम)	2.34	
14.	2405/796/03 (चंबा व भीटयाल के क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत मत्स्यपालन पर व्यय)	0.01	कारण प्रतीक्षित थे
15.	2702/80/796.08, 09 और 10 (माल, माल विनिर्माण और विविध अग्रिम)	4.22	
योग		37.32	

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

2.3.6 बजट अनुदान के व्यपगमन से बचने के लिए निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 5.71 (ग)(5) में यह अनुबद्ध है कि कोषागार से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाएगा बशर्ते यह अतिशीघ्र आहरण हेतु आवश्यक है। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहरित की गई राशियों को न तो किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया और न ही 2012-13 वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कोषागार में वापिस किया गया।

2.3.6.1 अप्रयुक्त निधियां

(i) निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मामले, शिमला ने जिला कल्याण कार्यालय, मण्डी के एक मंजिला विद्यमान भवन के ऊपर दो मंजिलें खड़ी करने के लिए ₹ 1.10 करोड़ का आहरण किया (जुलाई 2009), लेकिन बार-बार आकलनों का संशोधन और निविदाओं के रद्द किए जाने के कारण अगस्त 2013 तक निष्पादन अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अवासीय और शहरी विकास प्राधिकरण के पास राशि अप्रयुक्त पड़ी रही।

(ii) निदेशक, शहरी विकास, शिमला ने तीन¹ स्थानों पर पार्किंग स्थलों के निर्माण के लिए ₹ 1.04 करोड़ का आहरण किया था (अप्रैल 2008-अप्रैल 2009), लेकिन निर्माण स्थल का निर्धारण न करने, निविदा को रद्द किए जाने और कार्य के आरंभ न होने के कारण अगस्त 2013 तक यह राशि निष्पादन अभिकरणों के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

(iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन ने छः कार्यों² के निष्पादन हेतु ₹ 0.84 करोड़ का आहरण किया (मार्च 2009 - अगस्त 2010), लेकिन भूमि की अनुपलब्धता (पांच मामले) और निर्माण स्थल के संपूर्ण न किये जाने (एक मामला) के कारण मई 2013 तक यह राशि लोक निर्माण विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गगरेट में दो बाह्य रोगी विभागों और एक सम्मेलन कक्ष के निर्माण के लिए ₹ 0.39 करोड़ की राशि का आहरण (जून 2011) किया, लेकिन भूमि का चयन न करने के कारण यह राशि अगस्त 2013 तक लोक निर्माण विभाग के पास अप्रयुक्त पड़ी रही।

¹ चुवाड़ी (हिमाचल शहरी विकास प्राधिकरण): ₹0.26 करोड़; जोगिंदर नगर (लोक निर्माण विभाग): ₹0.46 करोड़; और ज्वालामुखी (नगर पंचायत): ₹0.32 करोड़

² सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (एक): ₹0.26 करोड़; उप-स्वास्थ्य केन्द्र (तीन): ₹0.33 करोड़; और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (दो): ₹0.25 करोड़

(v) लोक निर्माण विभाग के चार³ मण्डलों के अधिशाषी अभियंताओं ने 35 निर्माण कार्यों⁴ के निष्पादन के लिए ₹ 9.16 करोड़ की राशि आहरित की (मार्च 2012) और इसके साथ ही निधियों को अपने नियंत्रणाधीन अन्य मण्डलों⁵/उप मण्डलों⁶ को हस्तांतरित कर दिया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में, अप्रैल 2012 और अक्टूबर 2012 के मध्य सम्बंधित मण्डलों/उप मण्डलों से ₹ 8.83 करोड़ की राशि वापिस प्राप्त हुई और इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत रखा गया। इसके अतिरिक्त, सोलन मण्डल को हस्तांतरित की गई ₹ 1.18 करोड़ की राशि में से ₹ 0.33 करोड़ की राशि लौटाई नहीं गई और इसे जमा शीर्ष के अंतर्गत रखा गया था।

यह पाया गया कि सम्बंधित अधिशाषी अभियंता संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं कर सके और ₹ 5.31 करोड़ की कुल निधियां जमा शीर्ष के अंतर्गत उनके पास अप्रयुक्त पड़ी रही। वित्तीय वर्ष के अंत में अधिशाषी अभियंताओं द्वारा बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण किया गया था। कार्यकारी अभियंताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (जुलाई 2012-फरवरी 2013)।

2.3.7 नियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों से सम्बंधित प्रावधानों से अधिक का आधिक्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए राज्य विधायिका से अधिक अनुदान/विनियोजन को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमन हेतु अनुच्छेद के अंतर्गत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अधिक व्यय का विनियमन किया जाता है। तथापि, 2009-12 वर्षों हेतु ₹ 3877.95 करोड़ (परिशिष्ट 2.3) का अधिक व्यय विनियमित किया जाना था। लम्बित विनियमन हेतु अधिक व्यय की वर्षवार राशि को तालिका 2.7 में सारांशित किया गया है।

तालिका 2.7

विगत वर्षों से सम्बंधित प्रावधानों का अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन अपेक्षित है

(₹ करोड़)

वर्ष	संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन की स्थिति
	अनुदान	विनियोजन		
2009-10	19	1	887.80	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19	2	2237.64	
2011-12	6	1	752.51	09 जुलाई 2013 से चर्चा के लिए देय वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			3877.95	

³ बैजनाथ: ₹1.20 करोड़, धर्मशाला: ₹1.51 करोड़, कसौली: ₹1.18 करोड़ और शिमला-II: ₹5.27 करोड़

⁴ कार्यालय भवनों का निर्माण: सात; आवासीय भवनों का निर्माण: 13; सड़कों का निर्माण: चार

⁵ शिमला-III: ₹5.27 करोड़ और सोलन: ₹1.18 करोड़

⁶ बैजनाथ: ₹1.20 करोड़ और धर्मशाला: -I: ₹1.51 करोड़

2.3.8 वर्ष 2012-13 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित है

2012-13 के दौरान विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन की तुलना में 12 अनुदानों और चार विनियोजनों में कुल ₹ 703.08 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) का अधिक व्यय किया गया। संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का नियमन करना अपेक्षित है।

2.3.9 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान सात मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक प्राप्त समग्र ₹ 185.38 करोड़ (परिशिष्ट 2.5) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं गया। तीन मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹ 95.31 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹ 81.21 करोड़ (परिशिष्ट 2.6) के कुल अनावृत आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। वित्त विभाग द्वारा अनावृत आधिक्य में से ₹ 73.06 करोड़ (90 प्रतिशत) अकेला अनुदान संख्या 29-वित्त (राजस्व प्रभारित) में खर्च किया गया।

2.3.10 निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से अनुदान के अन्तर्गत निधियों का अंतरण है जहां बचतें दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता प्रत्याशित है। पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 146 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.7) में ₹ 10 लाख से अधिक बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से 43 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचत ₹ दो करोड़ से अधिक की थी। इसके अतिरिक्त 6003-109-11 शीर्ष (अन्य सहायक ऋण रजिस्टर उधार/अवसंरचना विकास बोर्ड), अनुदान संख्या 29-वित्त, के अंतर्गत ₹ 184.75 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जहां ₹ 1.23 करोड़ का पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

2.3.11 अस्पष्ट पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणी में स्पष्ट किया जाना चाहिए जैसे कि यदि “यात्रा भत्तों” के अन्तर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त यात्रा भत्ते का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत को वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 597 मदों का जहां पुनर्विनियोजन मांगा गया था, (विनियोजन लेखे/आदेशों में टिप्पण की गई 3611 मदों का 17 प्रतिशत)के सम्बंध में ऐसे पुनर्विनियोजन हेतु दिए गए कारण जैसे “प्रशिक्षण कार्यक्रमों का न करना/कम संचालन करना” “दैनंदिनी स्टाफ की अधिक/कम नियुक्ति,” “स्टाफ द्वारा अधिक/कम दौरा करना” तथा “किराया, दरों व कर बिलों की अधिक/कम प्राप्ति” सामान्य प्रकृति के थे।

2.3.12 पर्याप्त अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन न करने अथवा धीमें कार्यान्वयन से 30 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.8) के सम्बंध में पर्याप्त अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किया गया। इन 30 स्कीमों में ₹ 118.58 करोड़ राशि के कुल प्रावधान में से ₹ 89.21 करोड़ (75 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 13 स्कीमों (₹ 16.17 करोड़) (परिशिष्ट 2.9) में शत-प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित था।

इसके अतिरिक्त 16 मामलों में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण शामिल करके 30 मार्च 2013 तक ₹ 766.01 करोड़ अंतर्निहित था (परिशिष्ट 2.10)। मार्च 2013 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है जिसके कारण जरूरतमंद क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग नहीं हुआ।

2.3.13 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए अभ्यर्पण आदेश की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि आठ मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख अथवा अधिक) सम्बंधित शीर्षों के प्रति पाई गई वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करती है। इन मामलों में पाई गई ₹ 198.05 करोड़ की बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि ₹ 216.34 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.29 करोड़ (परिशिष्ट 2.11) के अभ्यर्पण के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2013)।

2.3.14 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण ना करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा अद्यतन 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹ 145.73 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹ 124.83 करोड़ अभ्यर्पित किये गये जैसा कि तालिका 2.8 में विवरणित है।

तालिका 2.8

अभ्यर्पित न किए गए ₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	11-कृषि	39.96	38.40	1.56
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	6.89	5.56	1.33
3.	31-जनजातीय विकास	24.05	15.04	9.01
पूँजीगत-दत्तमत्त				
4.	29-वित्त	5.07	4.86	0.21
5.	31-जनजातीय विकास	8.54	7.76	0.78
6.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	61.22	53.21	8.01
योग		145.73	124.83	20.90

2.3.15 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए।

इसके विपरीत 14 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 2.12) के सम्बन्ध में ₹ 10 करोड़ से अधिक का व्यय तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक मार्च 2013 के मास में खर्च किया गया। मुख्य शीर्षों, जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9
वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2013 के दौरान	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2245-प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में राहत	192.30	128.98	67	70.67	37
2.	2040-बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	3.40	2.20	65	2.20	65
3.	3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	7.18	6.18	86	6.18	86
4.	2216-आवास	6.47	3.37	52	3.37	52
5.	4216-आवास पर पूंजीगत व्यय	18.19	12.31	68	10.91	60
6.	2405-मतस्यपालन	19.69	11.07	56	11.07	56
7.	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	7.18	4.79	67	4.79	67
8.	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4.21	2.39	57	2.39	57
9.	6885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य ऋण	11.80	7.00	59	7.00	59
10.	4225-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6.27	4.16	66	3.06	49
11.	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	10.57	10.57	100	10.57	100
12.	3452-पर्यटन	19.69	10.42	53	6.59	33
13.	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय	15.55	8.33	54	6.92	45
योग		322.50	211.77	66	145.72	45

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

अतः वर्ष 2012-13 के दौरान पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों के प्रति कुल व्यय का 66 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त, नौ मामलों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय अकेले मार्च 2013 के महीने में किया गया।

इस प्रकार, वित्तीय नियमन की प्रवृत्ति के विपरीत वर्ष के अंत में विभाग द्वारा खर्च की गई पर्याप्त राशि व्यय के ऊपर स्वल्प वित्तीय प्रबंधन तथा प्रभावकारी नियंत्रण की कमी की सूचक थी।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

2.4.1 विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहरित सार आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष, जिसमें यह आहरित किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है। 31 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2013 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहरित ₹ 46.04 करोड़ में से 31 जुलाई 2013 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹ 18.12 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 27.92 करोड़ का बकाया शेष था। वर्षवार एवं विभागवार ब्यौरा परिशिष्ट 2.13 में दिया गया है।

यह देखा गया कि अधिकांश सार आकस्मिक बिलों का आहरण पेट्रोल, तेल व स्नेहकों पर व्यय, पुस्तकों की खरीद, औषधियों/वाहनों तथा कोचिंग कैम्पों के आयोजन हेतु किया गया। बकाया सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने का कारण सम्बन्धित विभागों के विभिन्न कर्मचारियों से वाउचरों/व्यय के विस्तृत लेखों की प्राप्ति न होना था।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि के डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2012-13 के आरम्भ में 15 जिला कोषों में 132 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे थे। इन 132 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में से वर्ष के दौरान नौ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे बन्द किए गए तथा दो व्यक्तिगत निक्षेप लेख खोले गए थे। 31 मार्च 2013 तक इन 125 लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹ 222.56 करोड़ (₹ 7.32 लाख के ऋण शेष वाले छः व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) के शेष वाले 48 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹ 0.89 करोड़ (₹ 2.09 लाख के ऋणात्मक शेष वाले सात व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) की राशि से अन्तर्ग्रस्त 77 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से

₹ 2.58 लाख के शेष वाले आठ व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।

- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। 13 मामलों (परिशिष्ट 2.14) में ₹ 9.41 लाख के प्रतिकूल शेष थे जिसके लिए जांच और संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

2.6 संसाधनों का पूर्वानुमान

व्यय नियंत्रण और रोकड़ व ऋण प्रबन्धन के लिए वास्तविक बजटीय आकलन बनाना महत्वपूर्ण है। विगत पांच वर्षों (2008-09 से 2012-13) के लिए राजस्व प्रक्षेपण की प्रवृत्ति तालिका 2.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.10

2008-09 से 2012-13 की अवधि हेतु राजस्व संसाधनों पर संशोधित आकलनों एवं वास्तविकों के मध्य अन्तर

(₹ करोड़)

क्रमांक	वर्ष	विवरण	संशोधित आकलन	वास्तविक	अन्तर	प्रतिशतता
1.	2008-09	कर राजस्व	3259	2242	(-) 1017	31
		कर-भिन्न राजस्व	1426	1756	330	23
2.	2009-10	कर राजस्व	3463	2574	(-) 889	26
		कर-भिन्न राजस्व	1787	1784	(-) 3	--
3.	2010-11	कर राजस्व	5122	3643	(-) 1479	29
		कर-भिन्न राजस्व	1745	1695	(-) 50	3
4.	2011-12	कर राजस्व	6341	4108	(-) 2233	35
		कर-भिन्न राजस्व	1835	1915	80	4
5.	2012-13	कर राजस्व	7350	4626	(-) 2724	37
		कर-भिन्न राजस्व	1902	1377	(-) 525	28

स्रोत: प्राप्तियों एवं वित्त लेखों के आकलन

2008-09 और 2011-12 के दौरान कर-भिन्न राजस्व को छोड़कर विगत पांच वर्षों के दौरान कर व कर-भिन्न प्राप्तियां निरंतर अत्यानुमानित की गई हैं। वास्तविक कर राजस्व पर अत्यानुमान का प्रतिशत 26 और 37 के मध्य था और कर-भिन्न राजस्व के सम्बंध में यह तीन और 28 के मध्य था।

2.7 चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा और निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालयों में अनुदान संख्या 8-शिक्षा के सम्बंध में बजटीय प्रक्रिया और नियंत्रण पर एक समीक्षा परिचालित की गई थी और पाये गये प्रमुख बिन्दुओं पर विवेचना निम्नवत् है:

2.7.1 बजट और व्यय

2012-13 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आबंटित निधियों और खर्च की समग्र स्थिति तालिका 2.11 में दी गई है।

तालिका 2.11

2012-13 के दौरान निधियों के आबंटन एवं किए गए व्यय की स्थिति

(₹ करोड़)

	सकल योग	किया गया व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
राजस्व प्रवर्ग	3184.84	3064.85	(-) 119.99
पूंजी प्रवर्ग	51.99	51.83	(-) 0.16
योग	3236.83	3116.68	(-)120.15

स्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा गया कि अनुदान (राजस्व प्रवर्ग: ₹ 3184.84 करोड़ तथा पूंजीगत प्रवर्ग: ₹ 51.99 करोड़) के अंतर्गत ₹ 3236.83 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति ₹ 3116.68 करोड़ का व्यय (राजस्व प्रवर्ग: ₹ 3064.85 करोड़ तथा पूंजीगत प्रवर्ग: ₹ 51.83 करोड़) किया गया परिणामतः ₹ 120.15 करोड़ की बचतें हुई जो इंगित करता है कि बजट प्राक्कलनों को वास्तविक आधार पर नहीं बनाया गया जैसा कि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7.2 निरंतर बचतें

तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ₹ 10 लाख से अधिक की निरंतर बचतें थी, जिसका ब्यौरा तालिका 2.12 में दिया गया है, जो अवास्तविक बजट आकलन को इंगित करती हैं।

तालिका 2.12

2012-13 के दौरान अनुदान संख्या-8-शिक्षा के अंतर्गत निरंतर बचतें

(₹ करोड़)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	बचत राशि		
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	2202-सामान्य शिक्षा	33.18	205.35	120.00
2.	2205-कला एवं संस्कृति	0.32	0.63	0.42
3.	4202-शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	30.56	1.44	0.16

प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया (सितम्बर 2013) कि अनुदान के अंतर्गत बचतें मुख्यतः गैर-योजनागत बजट में से योजनागत बजट की दायित्ताओं के अंतरण एवं रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण थी।

2.7.3 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट प्रबंधन के परिच्छेद 1.20 के अनुसार अनुपूरक अनुदान का अभिप्राय वह प्रावधान है जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित पूर्व राशि से अधिक के व्यय की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान विनियोजन में समाविष्ट किया जाता है।

यह देखा गया कि 2012-13 के दौरान मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत ₹ 3180.57 करोड़ (मूल ₹ 3105.25 करोड़ तथा अनुपूरक: ₹ 75.32 करोड़) के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 3060.57 करोड़ का व्यय किया गया। क्योंकि व्यय ₹ 3105.25 करोड़ के मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया, ₹ 75.32 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ। प्रधान सचिव (वित्त) ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013) किन्तु अनावश्यक अनुपूरक अनुदान हेतु कोई कारण नहीं बताए।

2.7.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट प्रबंधन के परिच्छेद 12.16-ग के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणियों में वर्णित किया जाना चाहिए जो वित्त विभाग के पास अद्यतन 10 फरवरी तक पहुंच जाने चाहिए।

यह देखा गया कि हिमाचल प्रदेश बजट प्रबंधन के प्रावधान के विपरीत अनुदान संख्या 8-शिक्षा के संदर्भ में वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम कार्य दिवस 30 मार्च 2013 को ₹ 88.71 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेशों को जारी किया गया जहां या तो व्यय हेतु गुंजाइश नहीं थी अथवा व्यय को पुनर्विनियोजन के प्रति पहले ही उस वर्ष के दौरान खर्च किया जा चुका था। यह दुर्बल वित्तीय प्रबंधन और व्यय पर अपर्याप्त नियंत्रण को इंगित करता है। ब्यौरा तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13
31 मार्च 2013 को पुनर्विनियोजन का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	बचतें			आधिक्य		
		योजना	गैर योजना	योग	योजना	गैर योजना	योग
1.	2059- लोक निर्माण	--	--	--	--	19.72	19.72
2.	2202-सामान्य शिक्षा	5093.35	3734.34	8827.69	7413.44	1413.15	8826.59
3.	2205-कला एवं संस्कृति	--	43.02	43.02	--	0.61	0.61
4.	2225-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	0.01	--	0.01	19.18	--	19.18
5.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.04	--	0.04	4.66	--	4.66
योग		5093.40	3777.36	8870.76 अथवा ₹ 88.71 करोड़	7437.28	1433.48	8870.76 अथवा ₹ 88.71 करोड़

स्त्रोत: वित्त विभाग द्वारा दी गई सूचना

प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया (अगस्त 2013) कि पुनर्विनियोजन वित्त विभाग द्वारा वर्ष के दौरान समय-समय पर किया गया है तथा समेकित आदेशों को वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को जारी किया गया। उत्तर में बजटीय नियंत्रणों की अपर्याप्तता प्रदर्शित होती है जो विभागीय प्राधिकारियों पर वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।

2.7.5 पुनर्विनियोजन के माध्यम से गैर-योजना निधियों से योजना की ओर प्रावधान का अंतरण

हिमाचल प्रदेश बजट प्रबंधन नियमावली के परिच्छेद 12.9.1 (V) के अनुसार योजना से गैर-योजना तथा विलोमतः निधियों का पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि तालिका 2.13 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के अंतर्गत गैर-योजना में ₹ 23.20 करोड़ की बचतें योजना के प्रति पुनर्विनियोजित की गई थी जो हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों के विपरीत थी। तथ्यों को स्वीकारते हुए (अगस्त 2013) प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया कि योजना परिव्यय के अन्तर्गत अधिक व्यय का विनियमन करने हेतु पुनर्विनियोजन को गैर-योजना से योजना में किया गया। उत्तर हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधान के समनुरूप नहीं है।

2.7.6 पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया व्यय

उन मामलों, जहां लगभग समस्त व्यय को अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया, का ब्यौरा तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका 2.14

ऐसे मामले जहां 2012-13 के दौरान व्यय केवल पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	प्रावधान	किया गया व्यय	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन द्वारा हुए व्यय की प्रतिशतता
माध्यमिक शिक्षा विभाग भवन के अनुरक्षण की योजना					
1.	2059-01-053-33 एसओओएन-एनपी	--	19.72	19.72	100
जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं पर व्यय की योजना					
2.	2202-01-107-04 एसओओएन-पी	0.06	374.10	374.05	100
मिड-डे मील योजना					
3.	2202-01-800-01 सीओओएन	0.04	4756.67	4756.63	100
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना					
4.	2202-02-109-05 सीओओएन	0.03	553.60	553.57	100
माध्यमिक स्तर पर अशक्तों के लिए शिक्षा पर व्यय की योजना					
5.	2202-02-109-14 सीओओएन	0.02	162.33	162.31	100
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना					
6.	2202-02-107-08 सीओओएन	0.02	245.23	245.22	100
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना					
7.	2202-02-107-09 सीओओएन	0.01	90.00	89.90	100
प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना की स्कीम					
8.	2202-02-107-15 राज्य-योजना	--	200.00	200.00	100
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति योजना					
9.	2225-03-277-06 राज्य-योजना	0.01	19.19	19.18	100
	योग	0.19	6420.84	6420.58	

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि नौ मामलों में 2012-13 के दौरान अनुदान के अंतर्गत समस्त व्यय राज्य विधान सभा से मांगों को अनुमोदित कराए बिना केवल पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया गया था।

2.7.7 अभिलेखों का अनुरक्षण

बजट प्राक्कलनों को बनाने तथा व्यय पर नियंत्रण करने हेतु अनुरक्षित किए जाने वाले निम्नांकित अभिलेखों को निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा और निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया:

निर्धारित स्थापना तथा आवर्ती आकस्मिक प्रभार को दर्ज करने की संस्वीकृति पंजिका; आबंटनों के प्रति विनियोजनार्थ खाता-बही लेखा; व्यय पंजिका; अवर्णित दायित्वों पर नजर रखने की दायित्व पंजिका।

प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया (अगस्त 2013) कि निदेशालयों को भविष्य में अपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण करने के निदेश दिए जाएंगे।

2.7.8 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट प्राक्कलनों को प्रस्तुत करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को सम्बद्ध लघु एवं विस्तृत शीर्षों हेतु बजट प्राक्कलनों का भेजा जाना अपेक्षित था जिसमें, जहां आवश्यक हो, उनके प्रस्तावों के कारणों को दर्शाने वाली व्याख्यात्मक टिप्पणी लगी हो।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा के अभिलेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2012-13 हेतु किन्हीं भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों ने उनके अधीन स्थापनाओं से सम्बन्धित बजट प्राक्कलनों को प्रस्तुत नहीं किया, जिससे निदेशालय स्तर पर बजट प्राक्कलनों को तैयार किया जाता। अतः, बजट प्राक्कलन तथ्यों के आधार पर तैयार नहीं किए गए। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा दोनों ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2013)। प्रधान सचिव (वित्त) ने बताया (अगस्त 2013) कि भविष्य में विभागाध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के निदेश दिए जाएंगे।

2.7.9 बजटीय विवरणियों की प्रस्तुती

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा बजट प्राक्कलन, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी, आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी तथा पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तावों को क्रमशः 25 अक्टूबर, 1 दिसम्बर, 15 जनवरी तथा 15 मार्च तक प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। तथापि, यह देखा गया कि निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु बजट प्राक्कलनों, आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी, आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी तथा पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्तावों को 15 व 107 दिनों के मध्य के विलम्ब के पश्चात् प्रस्तुत किया, जिसका विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है

तालिका 2.16

वित्त विभाग को प्रस्तुत की जाने वाली बजटीय विवरणियों का ब्यौरा

क्रमांक	विवरणी का नाम	विभाग	देय तिथि	प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब
1.	2012-13 के लिए बजट आकलन	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	25 अक्टूबर 2011	15 नवम्बर 2011	21
		निदेशक उच्चतर शिक्षा	25 अक्टूबर 2011	22 नवम्बर 2011	28
2.	2012-13 के लिए आधिक्य एवं अभ्यर्पण की विवरणी	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	01 दिसम्बर 2012	31 जनवरी 2013	61
		निदेशक उच्चतर शिक्षा	01 दिसम्बर 2012	17 जनवरी 2013	47
3.	2012-13 के लिए आधिक्य एवं अभ्यर्पण की अंतिम विवरणी	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	15 जनवरी 2013	02 मई 2013	107
		निदेशक उच्चतर शिक्षा	15 जनवरी 2013	02 मई 2013	107
4.	2012-13 के लिए पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव	निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा	15 मार्च 2013	30 मार्च 2013	15
		निदेशक उच्चतर शिक्षा	15 मार्च 2013	30 मार्च 2013	15

यह दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग द्वारा बजट प्राक्कलनों तथा अन्य बजटीय विवरणियों को प्रस्तुत करने की निर्धारित समय अनुसूची की पालना नहीं की गई।

2.7.10 व्यय की मासिक विवरणियों की प्रस्तुती

यह देखा गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशालयों के अंतर्गत किन्हीं भी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों ने निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा को अपनी मासिक व्यय की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की।

अतः आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय की मासिक विवरणियों की नियमित प्रस्तुती के अभाव में प्रपत्र संख्या-16 में व्यय की पंजिका का अनुक्षण नहीं किया जा सका तथा परिणामतः वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त विभाग को विभागाध्यक्षों द्वारा व्यय की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी उक्त अवधि के दौरान बजट प्रावधानों के प्रति व्यय पर नियमित नियंत्रण रखने में विफल रहे। प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया (अगस्त 2013) कि विभागों को भविष्य में आवश्यक कार्रवाई के निदेश दिए जाएंगे।

2.7.11 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियों की प्रस्तुती

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अंतर्गत यथा अपेक्षित मासिक दायित्व विवरणी विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग को महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि व्यय तथा सही बजट प्राक्कलनों को तैयार करने पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा तथा निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां नहीं भेजी थी।

2.8 कोषों के निरीक्षण के परिणाम

2.8.1 पेंशन लाभों की अधिक अदायगी

वर्ष 2011-12 हेतु महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जिला कोषों/उप-कोषों के निरीक्षण के दौरान पेंशन भुगतान अभिलेखों की नमूना जांच दर्शाती है कि तीन जिला कोषाधिकारियों तथा दो कोषाधिकारियों ने 12 पेंशनरों को ₹ 3.14 लाख तक का अधिक भुगतान किया जैसा कि तालिका 2.17 में विवरण दिया गया है।

सम्बन्धित पेंशनरों की पेंशन को कम न करने/पेंशन के रूपांतरित भाग की शीघ्र बहाली के कारण अधिक भुगतान हुआ।

तालिका 2.17

वर्ष 2011-12 के दौरान (2012-13 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन) पेंशन लाभ का अधिक भुगतान (महंगाई वेतन/अंतरिम राहत/पेंशन/रूपांतरण में राहत के सम्बन्ध में)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	परिच्छेद संख्या	अधिक भुगतान का स्वरूप	मामलों की संख्या	भुगतान		
					बैंक द्वारा	कोष द्वारा	कोषवार योग
1.	जिला कोष, हमीरपुर	2	रूपांतरण	1	-	कोष द्वारा	0.15
2.	उप-कोष, काजा	1	रूपांतरण	1	-	कोष द्वारा	0.57
3.	जिला कोष, शिमला	1	रूपांतरण	1	-	कोष द्वारा	0.19
4.	उप कोष, डोडरा क्वार	2	रूपांतरण	2	-	कोष द्वारा	0.88
5.	जिला कोष, नाहन	3	रूपांतरण	7	-	कोष द्वारा	1.35
योग				12	-		3.14

स्त्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2012-13 हेतु हिमाचल प्रदेश में कोषों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8.2 साख पत्र की तुलना में निधियों का अधिक आहरण

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली 2007 के नियम 5.121(क) में परिकल्पित प्रावधानों के अनुसार जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सम्बंधित बैंक को आवश्यक अनुदेश जारी करने चाहिए कि लोक निर्माण/सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों के अधिकारी द्वारा जारी किसी चैक को स्वीकार न करें जिन्होंने साख पत्र में निर्धारित सीमा पार कर ली है। साख पत्र धारकों को जैसे ही साख पत्र की और राशि दी जाती है, चैक भुनाने हेतु नये अनुदेश जारी किये जाने अपेक्षित होते हैं।

कोषों के स्थानीय निरीक्षणों के दौरान यह देखा गया कि 19 चैक आहरण करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा एक उप-डाकपाल द्वारा साख पत्र की निर्धारित सीमा से अधिक

₹ 8.07 करोड़ की राशि का आहरण किया गया। अतः साख पत्र सीमा से अधिक की निधियों के आहरण से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निष्प्रभावी हुई। विवरण तालिका 2.18 में दिया गया है।

तालिका 2.18
निधियों का साख पत्र की अपेक्षा अधिक आहरण (2012-13 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोष/उप-कोष का नाम	परिच्छेद संख्या	अधिक आहरण राशि	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम
1.			(-) 134.82	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, खण्ड-I, बिलासपुर
			(-) 17.01	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, खण्ड-II, बिलासपुर
			(-) 0.32	सहा०अभि०,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, कंदरोर
			(-) 16.71	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, घुमारवीं
			(-) 35.90	अधि०अभि०, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, घुमारवीं
			(-) 0.02	सहा०अभि०,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य-II बिलासपुर
			(-) 0.39	सहा०अभि०,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, स्वारघाट
			(-) 0.95	सहा०अभि०,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, जुखाला
2.	जिला कोष, हमीरपुर	5	(-) 0.18	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, सुजानपुर
3.	जिला कोष, केलांग	4	(-) 23.53	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, केलांग
4.	उप-कोष, बलदाडा	1	(-) 1.00	राज्य परियोजना प्रबन्धक, बलदाडा
5.	उप-कोष, अर्की		(-) 4.59	अधि०अभि०, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, अर्की
			(-) 1.58	सहा०अभि०,सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, अर्की
6.	जिला कोष, नाहन	2	(-) 32.00	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, नाहन
			(-) 3.51	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, पौंटा
			(-) 38.91	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, राजगढ़
			(-) 39.24	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, शिलाई
			(-) 0.15	अधि०अभि०, लो०नि०वि०, नाहन फाउण्डरी
			(-) 143.55	अधि०अभि०, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नाहन
			(-)313.07	अधि०अभि०, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नौहराधार
योग			807.43 या ₹ 8.07 करोड़	20 आहरण एवं संवितरण अधिकारी

स्रोत: वर्ष 2012-13 के लिए महालेखाकार (ले०व० ह०) द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोषगारों के परिचालन पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8.3 समूह बीमा योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण

जिला कोषगारों/कोषगारों की हिमाचल प्रदेश ऑनलाईन कोष सूचना प्रणाली में वर्ष 2011-12 हेतु उपलब्ध डाटा की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि बीमा निधि के सम्बन्ध में किया गया ₹ 16.68 लाख की राशि का भुगतान गलती से बचत निधि के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था तथा इसी भांति बचत निधि से बचत निधि के आधार पर भुगतान से जुड़ी ₹ 48.19 लाख की राशि सम्बंधित भुगतान छः जिला कोषगारों तथा एक उप-कोषगार द्वारा गलती से बीमा निधि में पुस्तांकित किया गया था जैसा कि

तालिका 2.19 में वर्णित है। गलत पुस्तांकन के परिणामस्वरूप बचत निधि पर देय ब्याज का गलत आकलन हुआ।

तालिका 2.19

समूह बीमा योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का गलत वर्गीकरण (2012-13 में जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन)

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला कोषगार/उप-कोषगार	परिच्छेद संख्या	बचत निधि में पुस्तांकित बीमा भुगतान	बीमा निधि में पुस्तांकित बचत निधि भुगतान	गलत वर्गीकरण की कुल राशि
1.	जिला कोषगार, बिलासपुर	2	8.35	41.65	50.00
2.	जिला कोषगार, हमीरपुर	4	2.40	1.30	3.70
3.	जिला कोषगार, कांगडा स्थित धर्मशाला	4	0.90	--	0.90
4.	जिला कोषगार, कुल्लू	2	2.48	0.38	2.86
5.	जिला कोषगार, मण्डी	2	0.60	--	0.60
6.	उप कोषगार, सुन्दरनगर	2	0.15	4.86	5.01
7.	जिला कोषगार, ऊना	3	1.80	--	1.80
योग			16.68	48.19	64.87

स्रोत: वर्ष 2012-13 के लिए महालेखाकार (ले0व ह0) द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोषगारों के परिचालन पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.8.4 पेंशन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

वर्ष 2011-12 हेतु हिमाचल प्रदेश ऑनलाईन कोष सूचना प्रणाली में उपलब्ध डाटा की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 21.02 करोड़ की राशि जिला कोष अधिकारियों/कोष अधिकारियों द्वारा पेंशनभोगी लेखा शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकृत की गई थी जैसा कि तालिका 2.20 तथा परिशिष्ट 2.15 में वर्णित है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लेखाओं में व्यय का गलत उल्लेख हुआ और अन्य राज्यों से ऋण को गलत उठाया गया।

तालिका-2.20

पेंशन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़)

क्रमांक	सही लेखा शीर्ष	व्यय का स्वरूप	लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत राशि को गलत पुस्तांकित किया गया	राशि
1.	2071-01-104-02 (1 नवम्बर 1966 से भुगतान उपदान)	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान	2071-01-104-01 (1 नवम्बर 1966 से पूर्व भुगतान)	2.42
2.	2071-01-101-03 (1 नवम्बर 1966 से सेवानिवृत्ति)	पेंशन	2071-01-101-01 (1 नवम्बर 1966 से पूर्व भुगतान)	18.38
3.	2071-01-102-02 (1 नवम्बर 1966 से भुगतान)	रूपंतरण	2071-01-102-01 (1 नवम्बर 1966 से पूर्व भुगतान)	0.22
योग				21.02

स्रोत: वर्ष 2012-13 के लिए महालेखाकार (ले0व ह0) द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोषगारों के परिचालन पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान/विनियोजन के अंतर्गत पंजीकृत ₹ 54.76 करोड़ का समग्र आधिक्य ₹ 648.32 करोड़ की बचतों द्वारा प्रति संतुलित ₹ 703.08 करोड़ के आधिक्य का निवल परिणाम था। अतः ₹ 703.08 करोड़ के अधिक व्यय का विधान सभा द्वारा नियमन अपेक्षित है।

अंतिम पांच वर्षों के दौरान दो अनुदानों अर्थात् 'लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन' तथा 'सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता' के अंतर्गत निरंतर अधिक व्यय रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान, ₹ 320.78 करोड़ का अधिक व्यय इन अनुदानों के अंतर्गत किया गया। इसके अतिरिक्त, अंतिम पांच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 03-न्यायिक प्रशासन, 15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना, 20-ग्रामीण विकास तथा 29-वित्त के अंतर्गत निरन्तर बचतें पाई गईं।

₹ 12.53 करोड़ की निधियां बजट अनुदान का व्ययगमन रोकने के कारण आहरित की गईं तथा इसे या तो सिविल निक्षेपों के अंतर्गत रखा गया अथवा निष्पादन एजेंसियों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख अथवा अधिक) प्राप्त समग्र ₹ 185.38 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय वहनार्थ मूल प्रावधान पर्याप्त थे और तीन मामलों में ₹ 95.31 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त साबित हुआ जिसमें ₹ 81.21 करोड़ का समग्र अनावृत्त अधिक व्यय रहा। पुनर्विनियोजन के अविवेकपूर्ण दृष्टांत भी थे, जिसके कारण 146 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 10 लाख से अधिक के आधिक्य/बचतें हुईं। आठ मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख अथवा अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का आधिक्य विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी को इंगित करता है। वर्ष 2008-13 के दौरान सार आकस्मिक बिलों पर आहरित किए गए ₹ 27.92 करोड़ विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत न करने के कारण जुलाई 2013 तक असमायोजित रहे।

2.10 सिफारिशें

सरकार को निम्नवत पर ध्यान देना चाहिए:

- बृहद् बचतों/आधिक्य से बचने के लिए वास्तविक वार्षिक बजट प्राक्कलनों को तैयार करना;
- जरूरतमंद विभागों द्वारा उनकी प्रभावी प्रयुक्ति हेतु बचतों को निर्धारित तिथि तक अभ्यर्पित करना;
- किए गए अधिक व्यय का नियमन करना;
- सभी विभागों द्वारा आवंटनों के प्रति व्यय का अनुश्रवण; तथा
- सार आकस्मिक बिलों पर आहरित राशि के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्तमान नियमों में यथा निर्धारित समय के अन्दर शीघ्र प्रस्तुत करना।

अध्याय - III

वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आन्तरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित मूल प्रबंधकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिये गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किये जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किए जाना चाहिए। तथापि, मार्च 2012 तक ₹ 1955.71 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बंध में देय 29987 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1339.06 करोड़ की कुल राशी के 18387 (61 प्रतिशत) उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च 2013 तक लम्बित थे जिनमें से ₹ 1.37 करोड़ का एक उपयोगिता प्रमाणपत्र नौ वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित था। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.1

31 मार्च 2013 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

(₹ करोड़)

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0 - 1	20361	1031.05	13422	708.00
2.	1 - 3	8549	899.35	4911	616.24
3.	3 - 5	1075	23.94	53	13.45
4.	5 - 7	1	-- *	--	--
5.	7 - 9	0	--	--	--
6.	9 व इससे ऊपर	1	1.37	1	1.37
	योग	29987	1955.71	18387	1339.06

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय, हिमाचल प्रदेश

* ₹3000 की राशि

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतः शिक्षा विभाग (14447 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 214.49 करोड़), ग्रामीण विकास (1858 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 541.83 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (1189 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 153.12 करोड़), उद्योग (273 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 29.58 करोड़), कला एवं संस्कृति (217 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 4.34 करोड़), शहरी विकास (85 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 183.98 करोड़), पशुपालन (37 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 25.39 करोड़), पर्यटन (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 9.18 करोड़), खेल एवं युवा सेवाएं (22 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 5.95 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (12 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 2.16 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (सात उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹ 36.06 करोड़) से सम्बन्धित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदानों को जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था, प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त कर लिया गया था।

3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बहुत से स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन में से अधिकतर निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन-देनों, परिचालनात्मक कार्यकलापों व लेखाओं, नियामक अनुपालना लेखापरीक्षा, आन्तरिक प्रबन्धन एवं वित्तीय नियन्त्रण की समीक्षा तथा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं आदि की समीक्षा की जांच हेतु की जाती है। राज्य में 14 स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने,

लेखापरीक्षा को लेखे प्रस्तुत करने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को जारी करने तथा इसको विधानसभा पटल पर रखने की स्थिति को **परिशिष्ट 3.2** में इंगित किया गया है।

वर्ष 2011-12 के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला के लेखे नौ महीने तक विलम्बित थे जबकि वर्ष 2012-13 के लेखे अगस्त 2013 तक प्राप्त नहीं हुए। अगस्त 2013 तक वर्ष 2012-13 के दस¹ निकायों के लेखे नहीं भेजे गए थे तथा कांगड़ा, मण्डी, चम्बा और बिलासपुर के चार जिला विधिक प्राधिकारियों के लेखे एक महीने से अधिक अवधि तक विलम्बित हुए। लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने से न पकड़ी जाने वाली अनियमितताओं का जोखिम रहता है तथा इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने और लेखापरीक्षा को शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी 13 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर अभी रखने हैं तथा 2011-12 के लेखाओं की प्राप्ति में विलम्ब (**परिशिष्ट 3.2**) के कारण एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी नहीं हो पाया। इनके विधानसभा पटल पर शीघ्र अति शीघ्र रखने की आवश्यकता है।

3.3 प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तों) के अन्तर्गत संस्थाओं/संगठनों जिनसे लेखापरीक्षा आकृष्ट हुई है, को पहचानने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों के लिए प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा के लिए विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता की विस्तृत सूचना, प्रदत्त सहायता का उद्देश्य तथा संस्थाओं का कुल व्यय जुटाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन, 2007 में प्रावधान है कि जो सरकारें तथा विभागाध्यक्ष निकायों अथवा प्राधिकारियों को अनुदान और/या ऋण संस्वीकृत करते हैं ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदान और/या ऋण अदा किए गए थे, का विवरण प्रतिवर्ष जुलाई के अंत में लेखापरीक्षा कार्यालय को भेजेंगे जिसमें (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी तथा (ग) निकाय अथवा प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित किया गया हो।

सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2012-13 के लिए अगस्त 2013 तक इस तरह का विवरण नहीं दिया था। इस कारण से लेखापरीक्षा विधानसभा/सरकार को उनके द्वारा संस्वीकृत/अदा किए गए अनुदानों के

¹ हि0प्र0 राज्य पशुचिकित्सा परिषद, शिमला, हि0प्र0 भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, शिमला तथा जिला विधि सेवा प्राधिकारी, हमीरपुर, कुल्लू, नाहन, रामपुर, शिमला, सोलन एवं ऊना।

ढंग जिसमें उनका उपयोग किया गया है, विशेष रूप से गैर-विचलन तथा गैर-दुरुपयोग के मामले पर आश्वासन देने में असमर्थ था।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण निकायों/संस्थाओं की पहचान कर लेखापरीक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं लाया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप राज्य की संचित निधि में से दिये गए ऐसे ऋणों एवं अनुदानों के व्यय की परिशुद्धता एवं प्राथमिकता पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने हेतु लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी।

3.4 दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार जून 2013 तक राज्य सरकार ने ₹82.77लाख के सरकारी धन से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 52 मामलों को सूचित किया जिन पर अन्तिम कार्रवाई लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.3 तथा इन मामलों का स्वरूप परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणी में लम्बित मामलों की संख्या 'चोरी एवं दुर्विनियोजन/हानि' जो इन परिशिष्टों से उजागर हुई को तालिका 3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2

दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी की रूपरेखा

(₹ लाख)

लम्बित मामलों की अवधि रूपरेखा			लम्बित मामलों का स्वरूप		
श्रेणी वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि	मामलों का स्वरूप/विशिष्टियां	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
0 – 5	7	10.76	चोरी	14	14.06
5 – 10	15	21.60			
10 – 15	9	39.81	दुर्विनियोजन/सामग्री की हानि	38	68.71
15 – 20	4	5.61			
20 – 25	2	0.80			
25 व इससे ऊपर	15	4.19			
योग	52	82.77	योग	52	82.77

विश्लेषण आगे इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण तालिका-3.3 में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

तालिका3.3

दुर्विनियोजन/हानियों, चोरी आदि के बकाया मामलों के कारण

(₹ लाख)

विलम्बित/बकाया लम्बित मामलों के कारण		मामलों की संख्या	राशि
i)	विभागीय एवं अपराधिक जांच के लिए प्रतीक्षित	19	23.23
ii)	वसूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	24	28.72
iii)	न्यायालय में लम्बित	4	26.61
iv)	वसूली की गई/बट्टे खाते डाले गए लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षित	5	4.21
योग		52	82.77

3.5 मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

‘उच्चत शीर्षों’ के रूप में ज्ञात कुछ मध्यस्थ/समायोज्य लेखा शीर्षों को प्राप्तियों और अदायगियों के लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में बुक नहीं किया जा सकता है, को प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेखे में संचालित किया जाता है। इन लेखा शीर्षों को माइनस डेबिट अथवा माइनस क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से समायोजित किया जाता है जब उनके अन्तर्गत राशि को उनके सम्बद्ध अन्तिम लेखा शीर्षों को बुक किया जाता है।

गत तीन वर्षों की मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत उच्चत शेषों की स्थिति परिशिष्ट3.5 में दी गई हैं। 2012-13 के अन्त में 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उच्चत के अंतर्गत ₹8.25 करोड़ (डेबिट) तथा 102-उच्चत लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹12.94 करोड़ (डेबिट) शेष थे। वर्ष 2011-12 की तुलना में चालू वर्ष में लघु शीर्ष 112-स्रोत पर कर कटौती उच्चत तथा 129- सामग्री खरीद समायोजन उच्चत लेखा के अंतर्गत क्रमशः ₹11.36 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹31.23 करोड़ (क्रेडिट) शुद्ध शेष की वृद्धि हुई।

यदि इन राशियों का निपटान नहीं होता है तो उच्चत शीर्षों के अंतर्गत शेषों का संचय होगा तथा सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होगी। इस प्रकार, उच्चत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान प्रबलता से किया जाना अपेक्षित होगा।

3.6 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800 का संचालन

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों को तभी संचालित किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को निरूत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी कर देता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹2028 करोड़ की समग्र राजस्व प्राप्तियों (कुल राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत) को 49 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। जिन मामलों में प्राप्तियों का सारभूत भाग (50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, का उल्लेख (परिशिष्ट 3.6) में किया गया है। इसी प्रकार, मुख्य शीर्ष 43 राजस्व एवं पूंजी के अन्तर्गत ₹522 करोड़ का समग्र व्यय कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजी) का 2.88 प्रतिशत सम्बन्धित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय/ प्राप्तियों के अन्तर्गत वृहद राशियों का वर्गीकरण वित्तीय विवरण के उचित तथा सही चित्रण को प्रभावित करता है।

3.7 निष्कर्ष

विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों एवं अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्रों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करने में विलम्ब से स्पष्ट है कि सरकार के विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना संतोषजनक नहीं थी।

लेखों को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करने से नहीं पकड़ी जाने वाली अनियमितताओं का जोखिम रहता है तथा इसीलिए लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने और लेखापरीक्षा को शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

निकाय/संस्थान जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कुल ₹10 लाख या अधिक के अनुदान या ऋण अदा किए गए थे, का विवरण न देने के कारण लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी ताकि लेखापरीक्षा राय व्यक्त की जाती।

₹82.77 लाख से अन्तर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 52 मामलों में से ₹23.23 लाख से अन्तर्ग्रस्त 19 मामलों पर विभागीय कार्यवाही तथा जांच आरम्भ नहीं की गई थी।

वर्ष 2012-13 के दौरान आधारभूत प्राप्तियों की राशियों (₹2028 करोड़) तथा व्यय (₹522 करोड़) को बहुप्रयोजन लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया।

3.8 सिफारिशें

सरकार को विचार करना चाहिए:

- अनुदानग्राही संस्थाओं को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण;
- लेखापरीक्षा की सुविधा हेतु स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की समय पर तैयारी;
- मुख्य स्कीमों की प्राप्तियों एवं व्यय को लघु शीर्ष-‘800-अन्य व्यय’ तथा ‘800-अन्य प्राप्तियां’ के अन्तर्गत जोड़ने के स्थान पर विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत प्राप्त राशियों व किए गए व्यय को पृथक रूप से दर्शाना; और
- पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अदा किए गए समग्र ₹ 10 लाख या अधिक के अनुदानों अथवा ऋणों वाले निकायों/संस्थाओं के विवरण को समय पर जुटाना।

शिमला
दिनांक:

(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

(शशि कांत शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	55673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना के अनुसार (2001)	0.61 करोड़
	ख 2011	0.69 करोड़
3	(क) जनसंख्या की सघनता (2001) (अखिल भारतीय सघनता=325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) *	109 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
	(ख) जनसंख्या की सघनता (2011) (अखिल भारतीय औसत-382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) *	123 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत= 27.5%)*	10%
5	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%)*	76.50%
	(ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 74%)*	83.78%
6	गिनी गुणांक [@]	
	क ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.28)	0.28
	ख शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.35
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2012-13	72076
8	सकल राज्य घरेलू उत्पादसंयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2003-04से2012-13)	13.28
ख	वित्तीय आंकड़े	
	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2003-04से 2012-13)	
	क राजस्व प्राप्तियां	14.63
	ख कर राजस्व	16.74
	ग कर-भिन्न राजस्व	16.78
	घ कुल व्यय	11.27
	ड. पूंजीगत व्यय	9.55
	च शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.50
	छ: स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	12.39
	ज वेतन एवं मजदूरी	11.78
	झ पेंशन	16.93

*दिल्ली, गोआ तथा पुदुचेरी के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी राज्यों पर आधारित।

[@] स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एन०एस०एस०ओ० आंकड़े, 61 वां राउण्ड), गिनी गुणांक (योजना आयोग व एन०एस०एस०ओ० आंकड़े का गैर-सरकारी आकलन, 61 वां राउण्ड 2004-05 एम०आर०पी० और 2009-10, 66 वां राउण्ड), जनसंख्या का घनत्व (भारत के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महापंजीयक का कार्यालय; गृह मामलों का मंत्रालय) तथा हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

परिशिष्ट-1.1

भाग-क

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (i) समेकित निधि;(ii) आकस्मिकता निधि; तथा (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नामक एक समेकित निधि होगी।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को वहन करने के लिए अग्रिमों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समेकित निधि से ऐसे व्यय और समकक्ष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रिमों की आकस्मिकता निधि से निधि को पूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेपों, उचन्त, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्तियों तथा संवितरणों, जो कि समेकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

परिशिष्ट-1.1

भाग-ख :वित्त लेखे की रूपरेखा

वर्ष 2012-13 के लिए वित्त लेखे को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणी को दर्शाता है। वित्त लेखे को बनाने की रूपरेखा निम्नांकित ढंग से की गई है:

	रूपरेखा
खण्ड I	
विवरणी 1	वित्तीय स्थिति की विवरणी
विवरणी 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरणी
विवरणी 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि)
विवरणी 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि) कार्य व स्वरूप द्वारा लेखा टिप्पणियां परिशिष्टA: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश
खण्ड II	
भाग I	
विवरणी 5	प्रगतिशील पूंजीगत व्यय की विवरणी
विवरणी 6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरणी
विवरणी 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरणी
विवरणी 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी
विवरणी 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की विवरणी
विवरणी 10	दत्तमत व प्रभारित व्यय की विवरणी
भाग II	
विवरणी 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 13	लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी
विवरणी 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों और उपयोग की विस्तृत विवरणी
विवरणी 18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरणी
विवरणी 19	चिह्नित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरणी
भाग III:परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय
IV	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीमों)
VII	कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
VIII	शेषों का सारांश
IX	सिंचाई स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्ण कार्य
XI	वेतन व गैर-वेतन भाग के पृथक्करण के साथ अनुक्षण व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-क

राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति

वित्त लेखों की विवरणियों से 2008-13 की अवधि में प्रकट हुई प्राप्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में प्रवृत्तियों का, जहां कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिता पर अभ्युक्तियों की गई हैं। राज्य के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में 13वें वित्तायोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों को भी बनाया। इसके अतिरिक्त, 13वें वित्तायोग ने यह भी सिफारिश की कि सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि को आवृत्त करते हुए उनके सम्बद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/नियमावलियों में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ 13वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं कर-भिन्न राजस्व तथा पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ को प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के संदर्भ में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निर्धारण, कि क्या संसाधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय पूर्णयोगों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संगणित किया गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार के निदेशक, आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन करने में उपयोग किया गया है।

¹सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति

गत पांच वर्षों हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़)	41483	48188	56355	63812	72076(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	22.1	16.16	16.95	13.23	12.95
स्रोत: आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।					

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्द	गणना आधार
पैरामीटर की उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष के राजकोषीय दायित्वों} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि}) 2] * 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{अथ शेष} + \text{ऋणों तथा अग्रिमों के अंतशेष}) 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण व अग्रिम-राजस्व प्राप्तियां-विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज अदायगियां
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियां घटाएं मुख्य शीर्ष 2048-ऋण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर समस्त योजनागत अनुदानों तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.2

भाग-ख

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2012-13 तक बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 44.4 प्रतिशत तक कम करना।
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति के 40 प्रतिशत से नीचे दीर्घावधि ऋण पर बकाया जोखिम भारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक वित्त लेखे के अनुसार उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 को भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सुव्यवस्थित राजकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण कद्दरने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तंत्र स्थापित किया जाएगा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1,1.3 तथा 1.9.2; पृष्ठ:1,13 व 34)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग-क: प्राप्तियाँ										
1. राजस्व प्राप्तियाँ	3,981	4,635	6,559	7,835	9,142	9,308	10,346	12,711	14,543	15,598
(i) कर राजस्व	984 (25)	1,252 (27)	1,497 (23)	1,656 (21)	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574(25)	3,643(29)	4,108 (28)	4,626 (30)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	437 (44)	542 (43)	727 (49)	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487(58)	2,101(58)	2,477 (60)	2,728 (59)
राज्य आबकारी	280 (29)	300 (24)	329 (22)	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500(19)	562(15)	707 (17)	810 (18)
वाहन कर	78 (8)	108 (9)	102 (7)	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134(5)	163(4)	176 (4)	196 (4)
स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	52(5)	75(6)	82(5)	93(6)	87 (4)	98 (4)	113(4)	133(4)	155 (4)	173 (4)
विद्युत कर एवं शुल्क	17 (2)	88 (7)	89 (6)	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39(2)	302(8)	185 (5)	262 (6)
भू-राजस्व	1 (-)	3 (-)	1 (-)	2 (-)	2 (-)	20 (1)	15(1)	5(0.1)	18 (11)	24 (-)
माल व यात्री कर	34 (3)	38 (3)	43 (3)	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89(3)	93(3)	94 (2)	101 (2)
अन्य कर	85 (9)	98 (8)	124 (8)	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197(8)	284(8)	296 (7)	332 (7)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	292 (7)	611 (13)	690(11)	1,337(17)	1,823 (20)	1,756(19)	1,784(17)	1,695(13)	1,915 (13)	1,377 (9)
(iii) संघीय व्हरों व शुल्कों में राज्यांश	450(11)	537(12)	493(7)	629(8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715(13)	1999 (14)	2282(14)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	2,255(57)	2,235(48)	3,879(59)	4,213(54)	4,567(50)	4,472(48)	5,126(50)	5,658(45)	6,521 (45)	7313 (47)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	---	--	646	--	-
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	28	26	22	23	26	21	34	73	25	21
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	4,009	4,661	6,581	7,858	9,168	9,329	10,380	13,430	14,568	15,619
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,762	2,677	1,781	2,080	1,849	2,249	2,553	2,411	1,984	3,371
ऑंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	3,473(92)	2,444(91)	1,753(98)	2,042(98)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)	1,904 (96)	3,239 (96)
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	--	--	--	-	--	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	289(8)	233(9)	28(2)	38(2)	51 (3)	12 (1)	69(3)	39	80 (4)	132 (4)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	7,771	7,338	8,362	9,938	11,017	11,578	12,933	15,841	16,552	18,990
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	5,033	5,030	4,933	5,265	6,223	6,760	6,821	8,507	9,237	9,146
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	12,804	12,368	13,295	15,203	17,240	18,338	19,754	24,348	25,789	28,136

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग ख. व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	5,588	5,793	6,466	7,644	8,292	9,438	11,151	13,946	13,898	16,174
योजनागत	840(15)	978(17)	1,182(18)	1,325(17)	1,202 (14)	877 (9)	1,238(11)	1,652(12)	1,701 (12)	2079 (13)
आयोजनेतर	4,748(85)	4,815(83)	5,284(82)	6,319(83)	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 (89)	12,294(88)	12,197(88)	14095 (87)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	2,483(44)	2,723(47)	2,818(42)	3,300(43)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377(39)	5,279(38)	5,690 (41)	6618 (41)
सामाजिक सेवाएं	1,933(35)	1,890(33)	2,309(36)	2,586(34)	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902(35)	4,979(35)	5,147 (37)	6131 (38)
आर्थिक सेवाएं	1,169(21)	1,177(20)	1,333(21)	1,755(23)	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 (26)	3,682(26)	3,049 (22)	3418 (21)
सहायता अनुदान व अंशदान	3(-)	3(-)	6(-)	3(-)	3 (-)	4 (-)	4 (-)	6(-)	12 (-)	7 (-)
11. पूंजीगत व्यय	785	654	821	1,110	1,414	2,079	1,943	1,789	1,810	1,955
योजनागत	781(100)	630(96)	820(100)	1,043(94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1,895(98)	1,774(99)	1,764 (97)	1859 (95)
आयोजनेतर	(-4)	24(4)	1(-)	67(6)	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)	46 (3)	96 (5)
सामान्य सेवाएं	23(3)	30(5)	52(6)	61(5)	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)	73 (4)	74 (4)
सामाजिक सेवाएं	304(39)	330(50)	369(45)	575(52)	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)	372 (21)	436 (22)
आर्थिक सेवाएं	458(58)	294(45)	400(49)	474(43)	769 (54)	1,182 (57)	1,270(65)	1,105(62)	1,365 (75)	1445 (74)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	20	24	14	26	14	90	70	227	493	469
13. जोड़ (10+11+12)	6,393	6,471	7,301	8,780	9,720	11,607	13,164	15,962	16,201	18,598
14. लोक ऋण की चुकौतियां	1,855	1,659	1,308	1,311	937	885	867	870	1,128	2,117
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छूने/इकर)	763 (41)	581 (35)	1,219 (93)	1,182 (90)	839	829	811	808	1,034	2056
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	152 (8)	95 (6)	23 (2)	--	42	--	--	--	--	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	940 (51)	983(59)	66 (5)	129 (10)	56	56	56	62	94	61
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	8,248	8,130	8,609	10,091	10,657	12,492	14,031	16,832	17,329	20,715
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-
18. लोक लेखा संवितरण	4,789	4,027	4,387	5,370	5,737	5,690	6,421	7,162	8,526	8,285
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	13,037	12,157	12,996	15,461	16,394	18,182	20,452	23,994	25,855	29,000

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग ग. घाटा										
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 1,607	(-) 1,158	(+) 93	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235	(+) 645	(-) 576
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,384	(-) 1,810	(-) 720	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,784	(-)2,532	(-) 1,633	(-) 2979*
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(-) 911	(-) 169	(+) 843	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582	(+) 497	(-) 609
भाग घ: अन्य आंकड़े										
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,473	1,641	1,563	1,669	1,703	1,894	1,956	1,950	2,130	2370
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	273	275	380	399	467	582	718	849	981	1203
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	250	120	13	01	--	--	--	--	--	-
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)		93	13	01	--	--	--	--	--	-
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)		27	-	-	--	--	--	--	--	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	7.13	2.34	0.32	0.89	--	--	--	--	--	-
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद [@]	20,721 (9.6)	24076 (16.29)	27127 (12.7)	30280 (11.6)	33,962 (12.2)	41,483 (22.1)	48188 (16.16)	56355 (16.95)	63812 (13.23)	72076 (12.95)
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	14437	16533	17432	18071	19,419	21,819	23,713	26,415	28,228	30442
29. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	4,682	4,751	3,587	2,976	2,632	2,291	1,949	3,910	3,316	3353
30. प्रत्याभूतिक अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,144	6,409	5,526	6,347	6,450	6,076	4,361	6,232	6,208	9455
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	14	39	15	30	20	17	29	11	13	12
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	46	58	25	160	121	96	108	86	930	115
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक										
I संसाधन गतिशीलता										
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.01	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03

* वास्तविकरूँ 2978.41

@ सरकार द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया है।

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
II व्यय प्रबन्धन										
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.30	0.27	0.27	0.29	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.26
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.6	1.4	1.11	1.12	1.06	1.25	1.27	1.26	1.11	1.19
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.90	0.89	0.87	0.85	0.81	0.85	0.87	0.86	0.86
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.3	0.37	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.34	0.35
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.23	0.24	0.25	0.28	0.29	0.31	0.30	0.27	0.26
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.10	0.11	0.13	0.15	0.18	0.15	0.11	0.11	0.11
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.10	0.11	0.12	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11	0.10
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)										
राजस्व घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 7.76	(-) 5.02	(+) 0.37	(+) 0.67	2.50	(-) 0.31	(-) 1.67	(-) 2.19	(+) 1.01	(-) 0.80
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 11.51	(-) 7.86	(-) 2.83	(-) 3.26	(-) 1.63	(-) 5.49	(-) 5.78	(-) 4.49	(-) 2.56	(-) 4.13
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 4.40	(-) 0.70	3.11	2.47	3.39	(-) 0.93	(-) 1.72	(-) 1.03	(+) 0.78	(-) 0.84
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	67.41	63.98	(-) 12.92	(-) 20.72	NA	(-) 5.71	(-) 28.92	(-) 48.78	NA	19.34
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)					(-) 0.025	(-) 0.049	(-) 0.059	(-) 0.058	(-) 0.024	0.041
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन										
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.70	0.69	0.64	0.60	0.57	0.53	0.50	0.47	0.44	0.42
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्राप्ति	3.63	3.57	2.66	2.31	2.12	2.34	2.29	2.07	1.94	1.95
प्रमात्रा विस्तार के प्रति प्राथमिक घाटा					1.741	(-) 0.153	(-) 0.823	(-) 0.284	(+) 0.250	(-) 0.44
ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां					1.02	0.92	0.94	0.22	0.23	0.26
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक										
निवेश पर प्रतिफल	0.50	0.58	28.61	1.80	0.52	89.58	73.49	64.11	85.65	100.09
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़)	(-) 2262	(-) 1585	(-) 191	(-) 281	(+) 113	(-) 1,423	(-) 2,642	(-) 2607	(-) 1,529	-3,284
वित्तीय परिसम्पत्तियां/दायित्व	0.53	0.51	0.54	0.57	0.60	0.68	0.67	0.66	0.70	0.70

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व व्यय: मूल पैरामीटर										
राजस्व व्यय (₹ करोड़)	5588	5793	6466	7644	8,292	9,438	11,151	13946	13898	16174
वृद्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	8.69	3.67	11.61	18.22	8.48	13.82	18.15	25.06	(-) 0.34	16.38
आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़)	4748	4815	5284	6319	7,090	8,561	9,913	12294	12197	14095
वृद्धि दर (प्रतिशत) आयोजनेतर राजस्व व्यय	26.44	1.41	9.74	19.59	12.20	20.75	15.79	24.01	(-) 0.79	15.56
योजनागत राजस्व व्यय (₹ करोड़)	840	978	1182	1325	1,202	877	1,238	1652	1701	2079
वृद्धि दर (प्रतिशत) योजनागत राजस्व व्यय	(-) 39.39	16.43	20.86	12.10	(-) 9.28	(-) 27.04	41.16	33.44	2.97	22.22
आयोजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	26.29	23.96	23.60	22.33	20.88	20.64	20.57	21.81	19.11	19.56
राजस्व व्यय/कुल व्यय ² (प्रतिशत)	87.68	89.86	88.73	87.32	85.43	81.95	85.16	88.63	85.78	86.97
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	74.27	74.41	72.37	71.97	72.94	73.76	75.30	77.02	75.29	75.79
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में आयोजनेतर राजस्व व्यय	119.27	103.88	80.56	80.65	77.55	91.97	95.81	96.72	83.87	90.36
राजस्व व्यय की तुलना में आयोजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	84.97	83.12	81.72	82.67	85.50	90.70	88.90	88.15	87.76	87.15
राजस्व व्यय की तुलना में योजनागत राजस्व व्यय	15.03	16.88	18.28	17.33	14.50	9.30	11.10	11.85	12.24	12.85
के साथ राजस्व व्यय की उत्लावकता										
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.91	0.23	0.914	1.575	0.70	0.63	1.123	1.48	(-) 0.015	1.26
राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.988	0.223	0.280	0.937	0.51	7.59	1.63	1.09	(-) 0.02	2.26
आयोजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.33	2.60	1.19	0.93	0.70	0.67	1.15	1.04	(-) 0.43	1.05
योजनागत राजस्व व्यय (अनुपात)	(-) 0.22	0.22	0.56	1.51	(-) 0.91	(-) 0.51	0.44	0.75	(-) 0.12	0.74

कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

² कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1 पृष्ठ 2)

भाग-क

वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
I-राजस्व प्राप्तियां		14542.86		15598.12	I-राजस्व व्यय	13897.97	14095.23	2079.02	16174.25	16174.25
(i) कर राजस्व	4107.92		4626.15		सामान्य सेवाएं	5690.00	6571.26	46.93	6618.19	
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1915.20		1376.88		सामाजिक सेवाएं	5147.45	4852.53	1278.55	6131.08	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राफ्यांश	1998.37		2282.02		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2990.15	2902	537.42	3439.42	
(iv) गैर योजनागत अनुदान	2646.86		2526.31		स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	797.30	791.10	160.59	951.69	
(v) राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	3342.38		4179.08		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	643.62	702.17	196.89	899.06	
(vi) केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	532.13		607.68		सूचना एवं प्रसारण	21.42	28.90	0.40	29.30	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	103.38	10.60	55.97	66.57	
					श्रम एवं श्रम कल्याण	44.21	44.77	6.47	51.24	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	536.81	360.85	316.94	677.79	
					अन्य	10.56	12.14	3.87	16.01	
					आर्थिक सेवाएं	3048.55	2664.27	753.53	3417.80	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमलाप	1101.85	731.94	464.46	1196.40	
					ग्रामीण विकास	357.53	257.06	109.87	366.93	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	261.32	274.02	6.76	280.78	
					ऊर्जा	150.88	230.41	0.84	231.25	
					उद्योग एवं खनिज	57.16	35.73	33.04	68.77	
					परिवहन	1062.18	1087.84	109.92	1197.76	
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	6.28	2.87	2.31	5.18	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	51.35	44.40	26.33	70.73	
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	11.97	7.18	-	7.18	
योग		14542.86		15598.12	योग	13897.97			16174.25	16174.25
II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा					II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष	644.89			(-)576.13	
योग:		14542.86		15598.12	योग	14542.86			15598.12	15598.12

प्राप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग- ख- पूंजीगत										
III- स्थायी अग्रिमों एवं रोकड़ शेष निवेश सहित अथ रोकड़ शेष		634.86		568.72	III- भारतीय रिज़र्व बैंक से अथ अधिविकर्ष					
IV- विविध पूंजीगत प्राप्तियां	--			-	IV- पूंजीगत परिव्यय	1809.83	95.53	1859.27	1954.80	1954.80
					सामान्य सेवाएं	73.30	7.18	66.38	73.56	
					सामाजिक सेवाएं	371.87	-	435.74	435.74	
					शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	97.73	-	144.90	144.90	
					स्वस्थ एवं परिवार कल्याण	29.19	-	54.79	54.79	
					जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	225.37	-	223.27	223.27	
					सूचना एवं प्रसारण	0.12	-	0.27	0.27	
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	13.22	-	6.52	6.52	
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.83	-	5.53	5.53	
					अन्य	0.41	-	0.46	0.46	
					आर्थिक सेवाएं	1364.66	88.35	1357.15	1445.50	
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	71.62	0.43	73.05	73.48	
					अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			0.37	0.37	
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	323.50	-	255.74	255.74	
					रुजो	206.50	50	214.21	264.21	
					उद्योग एवं खनिज	14.52	-	15.83	15.83	
					परिवहन	686.44	37.92	696.18	734.10	
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	62.08	-	101.77	101.77	
					योग	1809.83			1954.80	
V- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां		24.86		21.10	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	492.98			468.58	468.58
विद्युत परियोजनाओं से	1.22		--		विद्युत परियोजनाओं से	473.56			442.53	
सरकारी कर्मचारियों से	10.55		11.36		सरकारी कर्मचारियों को	6.13			8.21	
अन्य से	13.09		9.74		अन्य को	13.29			17.84	
VI- कम किया गया राजस्व अधिशेष		644.89		(-) 576.13	VI- कम किया गया राजस्व घाटा	--			--	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

प्रप्तियां					संवितरण					
2011-12		2012-13			2011-12		2012-13			
							गैर योजनागत	योजनागत	जोड़	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VII-लोक ऋण प्रप्तियां		1984.05		3371.30	VII-लोक ऋण की चुकौती	1127.72				2116.96
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	1903.87		3239.48		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		2055.92			
अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--				अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		-			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	80.18		131.82		केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकौती		61.04			
VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--				VIII- आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	-			
IX- आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	--				IX- आकस्मिकता निधि से व्यय					
X- लोक लेखा प्रप्तियां		9236.66		9145.77	X- लोक लेखा संवितरण	8526.07				8285.47
लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2099.97		2832.33		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां				1720.59	
आर्षकत निधियां	285.00		188.07		आर्षकत निधियां				182.95	
निक्षेप एवं अग्रिम	1780.24		1570.51		निक्षेप एवं अग्रिम				1726.79	
उन्नत एवं विविध	361.71		501.92		उन्नत एवं विविध				428.50	
प्रेषण	4709.74		4052.94		प्रेषण				4226.64	
XI- भारतीय रिज़र्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष	--	--			XI- अंत में रोकड़ शेष	568.72				(-) 295.05
					खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण				-	
					स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष				0.19	
					रिज़र्व बैंक के पास निक्षेप				(-) 561.71	
					रोकड़ शेष निवेश				266.47	
योग:		12525.32		12530.76	योग:	12525.32			12530.76	12530.76

परिशिष्ट-1.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1.1 तथा 1.9.1; पृष्ठ 234)

भाग-ख

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2013 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति			
परिसम्पत्तियां	31 मार्च, 2012 को	31 मार्च, 2013 को	
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय -	18610.82		20565.62
कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2448.06	2767.44	
अन्य पूंजीगत परिव्यय	16162.76	17798.18	
ऋण एवं अग्रिम -	951.40		1398.88
विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	808.62	251.16	
अन्य विकास ऋण	98.72	1106.80	
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	44.06	40.92	
आरक्षित निधि निवेश	---		
रोकड़ -	568.72		(-) 295.05
खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	2.14		-
भारतीय रिज़र्व बैंक में निक्षेप	(-) 382.28	(-) 561.71	
विभागीय रोकड़ शेष	0.16	0.16	
स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	
रोकड़ शेष निवेश	948.67	266.47	
प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य*	8692.54		9272.75
योग	28823.48		30942.20

* प्राप्तियों की तुलना में व्यय का संचयी आधिक्य भिन्न है, न कि चालू वर्ष हेतु राजकोषीय/राजस्व घाटे से।

दायित्व	31.03.2012 को	31.03.2013 को	
आंतरिक ऋण	18563.40		19746.95
ब्याज वाले बाजार ऋण	10146.61	11808.83	
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.07		
भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	282.71	234.28	
नाबार्ड से ऋण	1278.06	1479.72	
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	23.11	26.90	
केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	5063.00	5348.50	
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	23.30	21.07	
अन्य संस्थाओं से ऋण	1746.54	827.65	
केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम-	947.30		1018.07
आयोजनेत्तर ऋण	9.55	8.05	
राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	937.13	1009.89	
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	--	-	
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.49	-	
अन्य ऋण	0.13	0.13	
आकस्मिकता निधि	5.00		5.00
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6737.89		7849.63
निक्षेप	1757.82		1601.54
आरक्षित निधियां	220.58		225.70
उचन्त एवं विविध शेष	191.00		268.52
प्रेषण शेष	400.49		226.79
योग	28823.48		30942.20

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.4 ; पृष्ठ 6)

लिंग बजटिंग

1. 100 प्रतिशत नियतन की सीमा तक स्त्रियों की लाभार्थ स्कीमों का बजटिंग नियतन

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	2010-11	--	1.31	1.31	--	1.16
		2011-12	--	1.42	1.42	--	1.17
		2012-13	--	1.45	1.45	--	1.45
2	जागृती अभियान	2010-11	--	0.13	0.13	--	0.13
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.12	0.12	--	0.12
3	विधवा पुनर्विवाह	2010-11	--	0.23	0.23	--	0.18
		2011-12	--	0.31	0.31	--	0.20
		2012-13	--	0.35	0.35	--	0.26
4	महिला आयोग	2010-11	--	0.49	0.49	--	0.51
		2011-12	--	0.49	0.49	--	0.62
		2012-13	--	0.72	0.72	--	0.72
5	सबला पोषण	2010-11	1.86	1.85	3.71	1.86	1.85
		2011-12	3.21	3.21	6.42	3.21	3.21
		2012-13	6.66	3.00	9.66	6.66	3.00
6	सबल-गैर पोषण	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	1.82	1.82	--	1.82
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
7	इंदिरा गांधी मातृ संबल योजना	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	2.38	--	2.38	2.38	--
		2012-13	0.65	--	0.65	0.65	--
8	किशोरी शक्ति योजना	2010-11	0.42	--	0.42	0.42	--
		2011-12	0.25	--	0.25	0.25	--
		2012-13	0.98	--	0.98	0.98	--
9	बलात्कार के पीड़ितों को वित्तीय सहायता	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	0.50	0.50	--	0.50
10	नैतिक खतरे में पड़ी स्त्रियों को वैकल्पिक अवसर उपलब्ध करवाने हेतु स्कीम	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	--	--	--	--
		2012-13	--	1.00	1.00	--	1.00
	योग	2010-11	2.28	4.01	6.29	2.28	3.83
		2011-12	5.84	7.25	13.09	5.84	7.01
		2012-13	9.27	7.14	16.41	9.27	7.05

2. स्त्रियों के लाभार्थ स्कीमों को आंशिक बजटीय नियतन

क्रमांक	स्कीम का नाम	वर्ष	परिव्यय अंतर्गत			व्यय अंतर्गत	
			केन्द्र अंश	राज्य अंश	योग	केन्द्र अंश	राज्य अंश
1	मदर टेरेसा मातृ असहाय योजना	2010-11	--	2.76	2.76	--	2.76
		2011-12	--	2.98	2.98	--	2.98
		2012-13	--	4.24	4.24	--	4.24
2	विशेष पोषण कार्यक्रम	2010-11	24.66	15.30	39.96	24.66	15.30
		2011-12	28.19	20.40	48.59	28.19	16.19
		2012-13	29.66	29.40	59.06	29.66	29.40
3	माता शबरी सशक्तिकरण योजना	2010-11	--	--	--	--	--
		2011-12	--	0.66	0.66	--	0.66
		2012-13	--	0.66	0.66	--	0.66
	योग	2010-11	24.66	18.06	42.72	24.66	18.06
		2011-12	28.19	24.04	52.23	28.19	19.83
		2012-13	29.66	34.30	63.96	29.66	34.30

परिशिष्ट-1.6

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ10)

2012-13 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

राज्य में कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (लेखापरीक्षित बिना आंकड़े)			
भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2012-13	2011-12
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	361.30	311.38
	योग	361.30	311.38
सर्व शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्रार्थमिक शिक्षा संस्था	107.37	141.93
	योग	107.37	141.93
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	45.00	70.00
	योग	45.00	70.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	हि0प्र0 ग्राम सड़क विकास अभिकरण	--	310.30
	योग	--	310.30
एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	13.43	67.78
	योग	13.43	67.78
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	हि0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम	25.06	101.37
	योग	25.06	101.37
पर्यटक स्थलों का विकास	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	23.84	2.70
	योग	23.84	2.70
उत्पाद/अवसरचना	हि0प्र0 पर्यटन विकास बोर्ड	10.69	--
	योग	10.69	--
ग्रामीण आवास आईएवाई	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	29.00	23.09
	योग	29.00	23.09
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	37.50	--
	योग	37.50	--
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	5.92	11.01
	योग	5.92	11.01
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	4.27	10.24
	योग	4.27	10.24
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	हि0प्र0 में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	1.19	8.75
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित)	60.26	164.71
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (केन्द्रीय क्षेत्र)	0.57	0.61
	योग	62.02	174.07

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन अभिकरण	भारत सरकार द्वारा जारी	
		2012-13	2011-12
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल और स्वच्छता मिशन	16.67	4.70
	योग	16.67	4.70
ई-गवर्नेंस	एसआईटीईजी	6.05	0.90
	योग	6.05	0.90
एसटीडी नियंत्रण सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	हि0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण संस्था	8.88	12.90
	योग	8.88	12.90
विस्तार सुधारों हेतु राज्य को सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	9.31	14.48
	योग	9.31	14.48
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	4.40	4.24
	योग	4.40	4.24
राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	राज्य वन विकास अभिकरण	3.62	0.33
	योग	3.62	0.33
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	102.24	146.03
	योग	102.24	146.03
पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान	हि0प्र0 क्रीड़ा परिषद्	7.60	4.90
	योग	7.60	4.90
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	3.01	3.57
	योग	3.01	3.57
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अभिकल्प	चौधरी सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय	0.09	0.18
	योग	0.09	0.18
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	हि0प्र0 प्राथमिक शिक्षा समिति	20.35	--
	योग	20.35	--
अन्य	--	294.82	--
	योग	294.82	--
कुल योग		1202.44	

स्रोत: सी0जी0ए0 का सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 30)

केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकार कीलोक निजी भागीदारी परियोजनाओं को दर्शाती विवरणी

(i) कार्यान्वयन के अंतर्गतपरियोजनाएँ

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ 0टी0/बी0ओ0एल0टी0/ बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभाधी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
1	शहरी यातायात (बस स्टैंड)										
(i)	परवाणु बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	6.87	-	25	-	-	-	-	-	-
(ii)	ऊना बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	50.50	-	30	-	-	-	-	-	-
(iii)	हमीरपुर बस स्टैंड	डी0बी0ओ0टी0	65.90	-	30	-	-	-	-	-	-
2	टोस कचरा (शिमला शहर के लिए टोस कचरा प्रबन्धन)	डी0बी0ओ0टी0	16.04	भारत सरकार का अंश: 12.83 राज्य अंश: 1.60 यू0एल0बी0 1.60	20	-	3 लाख लगभग	-	-	1.60	यू0एल0बी0 अंश वहन करने के लिए राज्य सरकार को अनुरोध भेजा जा चुका है
3	अन्य नगरीय अवसंरचना										
i.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, संजौली	डी0बी0ओ0टी0	24.70	कुल परियोजना लागत रियायती द्वारा वहन की जाएगी	30	-	20,000 लगभग	-	-	-	-
ii.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, लिफ्ट शिमला	डी0बी0ओ0टी0	46.11		30	-	35,000 लगभग	-	-	-	-
iii.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, छोटा शिमला	डी0बी0ओ0टी0	11.68		30	-	12,000 लगभग	-	-	-	-
iv.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, विकास नगर, शिमला	डी0बी0ओ0टी0	--		40	-	8,000 लगभग	-	-	-	-
v.	पार्किंग-सह-वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स का विकास, पालमपुर, कांगडा	डी0बी0ओ0टी0	7.00		40	-	4,000 लगभग	-	-	-	-
vi.	पार्किंग का विकास, मण्डी	डी0बी0ओ0टी0	60.00		40	-	6,000 लगभग	-	-	-	-
vii.	पार्किंग का विकास, बिलासपुर	डी0बी0ओ0टी0	8.00		40	-	4,500 लगभग	-	-	-	-

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ 0टी0/बी0ओ0एल0टी0/ बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभार्थी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
4	पर्यटन परियोजनाएं										
(i)	शिवालिक से जाखू रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	12.00	-	40	-	-	--	-	-	16.03.2006 को अनुबंध हस्ताक्षरित
(ii)	न्यूगल (पालमपुर) रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	2.00	-	40	-	-	-	-	-	26.03.2012 को अनुबंध हस्ताक्षरित
(iii)	पलछान से रोहतांग रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	245.00	-	40	-	-	-	-	-	परियोजना प्रदान की गई और रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है
(iv)	भूतर से बिजली महादेव रज्जु मार्ग	बी0ओ0टी0	61.88	-	40	-	-	-	-	-	परियोजना प्रदान की गई और रियायत अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा रहा है

(ii) पूर्ण की गई परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मदें	प्रकार- बी0ओ0टी0/बी0ओ0ओ0टी0/बी0 ओ0एल0टी0/बी0ओ0ओ0 आदि	कुल परियोजना लागत	निवेश/निधियन का प्रतिरूप	परियोजना अवधि (वर्षों की संख्या)	राज्य/केन्द्र द्वारा दी गई अन्य रियायतें	लाभार्थी जनसंख्या	यदि 12वीं योजना में सम्मिलित	भारत सरकार द्वारा व्यवहार्य अंतराल निधियन	राज्य द्वारा अनुदान	अन्य टिप्पणी, यदि हो तो
क्षेत्र											
1	शहरी यातायात										
(i)	टुटीकण्डी बस स्टैंड	बी0ओ0टी0	16.00	6	17	-	-	-	-	-	-
(ii)	कांगडा बस स्टैंड	बी0ओ0टी0	9.50	-	17	-	-	-	-	-	-
2	पर्यटन परियोजनाएं (सोलंग नाला, मनाली में रज्जुमार्ग -सह-स्की केन्द्र)	बी0ओ0ओ0टी0	15.00	-	40	-	-	-	-	-	वाणिज्यिक परिचालन 23.01.2011 से आरम्भ
सामाजिक सेवा क्षेत्र											
3	स्वास्थ्य सेवाएं										
	आपतकालीन चिकित्सा यातायात सेवा	पी0पी0पी0	91.30	14.69	5	-	68 लाख	-	-	15.03	-

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8.2.2; पृष्ठ 31)

लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं में निवेश की स्थिति

क. पार्किंग कॉम्प्लेक्स

बिन्दु	1. संजौली, शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध	2. छोटा शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध	3. लिफ्ट, शिमला स्थित पार्किंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए रियायती अनुबन्ध
अनुबन्ध तिथि	04 फरवरी 2011	12 अक्टूबर 2010	26 फरवरी 2011
अधिनिर्णय की सूचना	18 नवम्बर 2010	05 अगस्त 2010	18 नवम्बर 2010
रियायती प्राधिकरण	नगर निगम, शिमला	नगर निगम, शिमला	नगर निगम, शिमला
रियायती	मैसर्ज टॉटिया संजौली पार्किंग प्रा0 लि0, कोलकता	मैसर्ज पी0के0 निर्माण कं0 वलिनी, शिमला (हि0 प्रा0)	मैसर्ज शिमला टोल्स एवं प्रोजेक्ट प्रा0 लि0
परियोजना प्रकार	अधिकल्पनिर्माण प्रचालन हस्तांतरण	खाका निर्माण प्रचालन हस्तांतरण	खाका निर्माण प्रचालन हस्तांतरण
निर्माण अवधि	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 12 महीने	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 12 महीने	अनुपालना तिथि के शुरू होने से 15 महीने
रियायत अवधि	30 वर्ष	30 वर्ष	30 वर्ष
1. रियायती द्वारा परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा	1. हस्तांतरण तिथि पर रियायती परियोजना स्थल, पार्किंग कॉम्प्लेक्स तथा परियोजना परिसम्पत्तियां रियायती प्राधिकरण को शून्य लागत पर सुपुर्द करेगा। 2. परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय एवं लागतों के प्रति रियायती अधिकारी उत्तरदायी होगा।
निष्पादन प्रतिभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 100.00 लाख। रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 40 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 75.00 लाख रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 30 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति	निर्माण निष्पादन प्रतिभूति: निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक बैंक गारण्टी ₹ 150.00 लाख रियायती अनुबन्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के दो महीने बाद तक ₹ 60 लाख के रूप में वैध बैंक प्रत्याभूति

	<p>राशि का निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा;</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>	<p>राशि का निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा;</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>	<p>करके।</p> <p>(ii) न्यून लम्बित बीमा दावों को कम करके ऋण का 90 प्रतिशत।</p> <p>घ) अगर गैर-राजनीतिक घटना एवं राजनीतिक घटना है, तो रियायती निम्नलिखित के निम्नतम राशि के बराबर के निस्सन भुगतान द्वारा रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>(i) रियायती द्वारा सृजित किए गए ऐतिहासिक निवेश (निवल मूल्यहास) पर आधारित परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत, या</p> <p>(ii) 100 प्रतिशत ऋण में से लम्बित बीमा दावे कम करके</p>
3. परियोजना से राजस्व सांझेदारी एवं राजस्व का प्रवाह	<p>परियोजना (₹0.95 करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>	<p>परियोजना (₹0.36 करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>	<p>परियोजना (₹एक करोड़) के विकास के लिए रियायती प्राधिकरण को भुगतान किया जाने वाला वार्षिक रियायती शुल्क रियायती द्वारा उद्घृत राशि होगी जो विगत वर्ष के वार्षिक रियायत शुल्क की तुलना में प्रत्येक दो वर्षों के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।</p>
4. लेखा एवं लेखापरीक्षा	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>	<p>दस परस्पर सहमत फर्मों के शासपत्रित लेखाकारों में से शासपत्रित लेखाकारों की फर्म द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में।</p>

ख. रज्जुमार्ग

विषय	1. न्यूगल (पालमपुर) में यात्री रज्जु मार्ग के विकास के लिए रियायती अनुबंध (अनुबंध तिथि 26.03.2012- बी0ओ0टी0 आधारित)	2. जाखू रज्जुमार्ग परियोजना के लिए रियायती अनुबंध (अनुबंध तिथि 16.03.2006-बी0ओ0टी0आधारित)	3. सोलंग (कुल्लू) में रज्जुमार्ग-सह-स्की केन्द्र परियोजना (अनुबंध तिथि 18.01.2003-बी0ओ0ओ0टी0 आधारित)
रियायत अवधि	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40वर्ष	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40 वर्ष	निर्माण अवधि सहित अधिकतम 40 वर्ष
1. रियायती द्वारा परिसंपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद शून्य मूल्य ख. रियायती प्राधिकरण को परियोजना परिसम्पत्तियों एवं परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में हुए व्यय व लागत के लिए रियायती प्राधिकरण उत्तरदायी होगा	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद शून्य लागत पर ख. रियायती प्राधिकरण को परियोजना परिसम्पत्तियों एवं परियोजना के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आई लागत व व्यय के लिए रियायती प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।	क. अनुबंध के अनुसार रियायत अवधि के बाद अवक्षयित अंकित मूल्य ख. परियोजना परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में आई लागत व व्यय के लिए संप्रवर्तक उत्तरदायी होगा। ऐसे हस्तांतरणों के लिए आवश्यकतानुरूप सरकार अपने स्तर पर अन्य सभी शोधन प्रभावी करेगी और ऐसी अन्य कार्रवाई करेगी।
निष्पादन प्रतिभूति	निष्पादन प्रतिभूति निर्माण अवधि के पश्चात छः माह के लिए वैध ₹10.00 लाख प्रत्याभूति के रूप में, जो कि रज्जु मार्ग के प्रतिस्थापन के पश्चात रियायती को प्रत्यापणीय होगी।	निर्माण अवधि निष्पादन प्रतिभूति बैंक प्रतिभूति के रूप में ₹10.00 लाख परिचालन अवधि निष्पादन प्रतिभूति रियायती प्राधिकरण को परियोजना निर्माण पूर्णता की प्राप्ति पर ₹10.00 लाख अथवा एक वर्ष की एम0जी0ए0 के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो। प्रतिभूति राशि डब्ल्यू0 पी0आई0 के बढ़ने के अनुसार आवधिक रूप से बढ़ेगी।	निर्माण अवधि निष्पादन प्रतिभूति बैंक प्रत्याभूति के रूप में ₹20.00 लाख। परिचालन अवधि निष्पादन प्रतिभूति प्रथम परिचालन वर्ष के लिए ₹10.00 लाख और आगामी वर्षों के लिए बैंक प्रत्याभूति का नवीकरण करने के बाद
भूमि	रियायती द्वारा अपनी लागत पर। तथापि, रियायती द्वारा व्यवस्थित की गई सरकारी भूमि/वन्य भूमि/निजी भूमि पर कोई भूमि पट्टा प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	रियायती को स्थल के अर्जन के लिए रियायत प्राधिकरण से मार्ग के अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए रियायती प्राधिकरण मार्ग के अधिकार और अनुज्ञप्ति शूल्क का भुगतान करेगा।	1. हिमाचल प्रदेश सरकार ऋण ग्रस्तता से मुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी -धारा-4 (टिप्पणी स्पष्टता का पी010) 2. अनुज्ञप्ति शूल्क में भूमि पट्टा किराये सम्मिलित किए जाने हैं।
2. रियायती प्राधिकरण के आकस्मिक दायित्व	पराभूत बल 1. जहां पराभूत बल एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना है, वहां रियायती प्राधिकरण द्वारा रियायती को आधी लागत की (बीमा आवरण से अधिक) प्रतिपूर्ति की जाएगी। 2. जब पराभूत बल राजनीतिक घटना है, तब रियायती प्राधिकरण द्वारा वास्तविक सीमा तक हुई पराभूत बल की लागत की रियायती को प्रतिपूर्ति की जाएगी। 3. (क) अगर निरसन गैर-राजनैतिक घटना के आधार पर है, तब रियायती निम्नलिखित के निम्नतम के बराबर की टर्मिनेटिड राशि के भुगतान रोकने द्वारा	पराभूत बल 1.निरसन सरकार की चूक की घटना के लिए प्रोत्साहक इस अनुबंध को निरस्त करने की स्थिति में प्रोत्साहक अनुच्छेद-3 की धारा 3.3 के अनुसार परियोजना परिसम्पत्तियों एवं परियोजना सरकार को हस्तांतरित करेगा तथा सरकार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार करेगी, सरकार निष्पादन प्रतिभूति या प्रचालना आवधिक प्रतिभूति निष्पादन प्रतिभूति प्रोत्साहक को लौटायेगी, जैसी भी स्थिति हो तथा परियोजना परिसम्पति के घटते मूल्य का 1.15 गुणा भुगतान करेगा।	पराभूत बल 1.निरसन सरकार की चूक की घटना के लिए प्रोत्साहक इस अनुबंध को निरस्त करने की स्थिति में अनुच्छेद-14 के अनुसार परियोजना परिसम्पत्तियों एवं परियोजना सरकार को हस्तांतरित करेगा तथा सरकार ऐसे हस्तांतरण को स्वीकार करेगी, सरकार निष्पादन प्रतिभूति या प्रचालना आवधिक प्रतिभूति प्रोत्साहक को जैसी भी स्थिति हो तथा परियोजना परिसम्पति के घटते मूल्य का 1.15 गुणा भुगतान करेगा।

	<p>रियायती प्राधिकरण से प्राप्त करने का हकदार होगा:</p> <p>i. परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत मूर्त परिसम्पत्तियों से परिसम्पत्तियों को कम करके अंकित मूल्य का 90 प्रतिशत।</p> <p>ii. देय ऋण के 90 प्रतिशत से लम्बित बीमा दावा कम करके</p> <p>(ख) यदि निरसन गैर राजनीतिक घटनाओं एवं राजनीतिक घटनाओं के कारण होता है।</p> <p>i. न्यून अग्राह्यपरिसम्पत्तियों को कम परियोजना परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य का 100 प्रतिशत में से मूर्त परिसम्पत्तियां कम करके।</p> <p>ii. देय ऋण के 100 प्रतिशत में से बीमा दावा कम करके</p>		
3.परियोजना से राजस्व सांझेदारी एवं राजस्व प्रवाह	<p>रियायत के प्रथम वर्ष के दौरान रियायती प्राधिकरण को रियायती ₹6.00 लाख की निम्नतम प्रत्याभूति राशि का भुगतान करेगा तथा यह परियोजना प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद 2-5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ेगा। सम्बन्धित तिमाही की शुरुआत के सात दिनों के अन्दर तिमाही आधार पर देय।</p>	<p>प्रचालन के प्रथम वर्ष या परियोजना पूर्णता के दिन के लिए निम्नतम प्रत्याभूति राशि परियोजना से अर्जित सकल राजस्व का ₹57 लाख या 15 प्रतिशत रियायती प्राधिकारी को प्रतिवर्ष, जो भी अधिक होगी। विगत वर्ष की तुलना में प्रत्याभूति राशि थोक मूल्य सूची के औसत मूल्य पर प्रतिवर्ष बढ़ेगी। सम्बन्धित तिमाही की शुरुआत के सात दिनों के अन्दर तिमाही आधार पर देय होगी। परियोजना के प्रारम्भ होने के समय ऐसा प्रथम भुगतान किया जायेगा।</p>	<p>बोली के अनुसार प्रोत्साहक अनुज्ञप्ति शुल्क कम से कम 38 वर्षों (बशर्ते इस अनुबंध के प्रावधान के अनुसार अनुबंध जल्दी समाप्त होता है) तक देने के लिए उत्तरदायी होगा। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2004 के प्रति वित्तीय बोली में निर्दिष्ट राशि प्रचालन के प्रथम वर्ष में देय अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में निर्णीत होगी।</p>
4.लेखापरीक्षा प्रबन्धन	<p>यदि आवश्यक हो स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वित्तीय हिसाब किताब की जांच के लिए नियुक्त किया जाएगा।</p>	<p>रियायती प्राधिकरण एवं रियायती द्वारा संयुक्त रूप से स्वतन्त्र लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाएगा।</p>	<p>जैसा कि बी0ओ0ओ0टी0 के अन्तर्गत प्रचालित अनुबंध में लेखापरीक्षा प्रबंधन के सम्बंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली, यद्यपि वित्तीय सूचना के अन्तर्गत यह वर्णित किया गया है कि वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे 180 दिनों के अन्दर जारी कर दिए गए।</p>

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 52)

विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के चार मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता
राजस्व दत्तमत्त					
1.	03	न्याय प्रशासन	109.79	14.78	
2.	04	सामान्य प्रशासन	122.34	1.30	
3.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	469.04	27.31	
4.	06	आबकारी एवं कराधान	49.01	7.48	
5.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	631.15	2.89	
6.	08	शिक्षा	3184.41	119.99	
7.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	922.89	62.12	
8.	11	कृषि	239.43	39.96	
9.	12	बागवानी	115.22	4.42	
10.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	46.71	6.89	
11.	16	वन एवं वन्य-प्राणी	338.14	9.67	
12.	18	उद्योग, धातु, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	64.17	3.04	
13.	20	ग्रामीण विकास	405.99	72.69	
14.	21	सहकारिता	23.30	1.57	
15.	23	विद्युत विकास	269.83	39.93	
16.	28	शहरी विकास, नगर तथा ग्रामीण योजना एवं आवास	179.40	8.28	
17.	29	वित्त	2826.94	32.62	
18.	30	विविध सामान्य सेवाएं	61.60	1.02	
19.	31	जनजातीय विकास	655.91	24.05	
20.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	451.08	22.54	
पूँजीगत- दत्तमत्त					
21.	01	विधान सभा	3.68	1.56	42
22.	04	सामान्य प्रशासन	2.87	2.62	91
23.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	46.11	2.00	
24.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल और भवन	546.35	45.41	
25.	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	146.98	11.94	
26.	19	समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	9.16	1.96	21
27.	29	वित्त	11.16	5.07	45
28.	31	जनजातीय विकास	166.51	8.54	
29.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	552.28	61.22	

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 53)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय
राजस्व- दत्तमत					
1.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2104.30	2139.87	35.57
2.	14	पशु पालन, डेयरी विकास और मत्स्यपालन	208.71	213.31	4.60
3.	19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	423.19	424.34	1.15
राजस्व-दत्तमत					
4.	29	वित्त	2296.91	2369.97	73.06
पूंजीगत- दत्तमत					
5.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	305.77	323.98	18.21
पूंजीगत-प्रभारित					
6.	29	वित्त	1937.30	2116.96	179.66
योग			7276.18	7588.43	312.25

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ56)

विगत वर्षों के प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितकरण अपेक्षित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजनों की संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32 10	887.80	वित्त विभाग से अपने स्तर पर उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19 अनुदान 2 विनियोजन	1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31, तथा 32 2 तथा 10	2237.64	
2011-12	6 अनुदान 1 विनियोजन	9, 10, 13, 15, 21 तथा 23 29	752.51	09 जुलाई 2013 को चर्चा के लिए बाकी है। वित्त विभाग से अपने स्तर पर उत्तर अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			3877.95	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 57)

2012-13 के दौरान प्रावधान में आधिक्य जिनका नियमितकरण अपेक्षित है

(₹)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत्त				
1.	01-विधान सभा	16,98,88,000	17,11,23,111	12,35,111
2.	02-राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	6,50,26,000	6,71,33,455	21,07,455
3.	10-लोक निर्माण-सडकें, पुल व भवन	2104,29,91,000	2139,86,85,297	35,56,94,297
4.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1387,90,21,000	1673,11,07,887	285,20,86,887
5.	14-पशु पालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	208,71,24,000	213,31,55,296	4,60,31,296
6.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	423,19,12,549	424,34,48,253	1,15,35,704
राजस्व-प्रभारित				
7.	02- राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद	4,12,43,000	4,18,27,354	5,84,354
8.	03- न्यायिक प्रशासन	29,29,33,000	29,35,50,586	6,17,586
9.	29- वित्त	2296,90,60,327	2369,96,73,574	73,06,13,247
पूंजीगत दत्तमत्त				
10.	03-न्यायिक प्रशासन	21,19,11,000	21,21,58,857	2,47,857
11.	11-कृषि	72,81,16,000	72,84,82,068	3,66,068
12.	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	305,77,23,000	323,98,62,146	18,21,39,146
13.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	20,56,00,000	27,55,61,800	6,99,61,800
14.	21-सहकारिता	85,27,000	11,42,14,000	10,56,87,000
15.	23-विद्युत विकास	393,56,01,000	481,09,19,000	87,53,18,000
पूंजीगत-प्रभारित				
16.	29- वित्त	1937,29,98,000	2116,96,21,383	179,66,23,383
योग		9229,96,74,876	9933,05,24,067	703,08,49,191 अर्थात् ₹703.08 करोड़

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 57)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹हजार)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचतें	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व दत्तमत्त					
1.	03-न्यायिक प्रशासन	108,07,56	95,00,75	13,06,81	1,71,64
2.	08-शिक्षा	3108,57,72	3064,42,12	44,15,60	75,83,48
3.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	901,74,32	860,77,07	40,97,25	21,14,39
4.	11-कृषि	208,19,25	199,46,92	8,72,33	31,23,32
5.	20-ग्रामीण विकास	377,89,00	333,30,27	44,58,73	28,09,99
पूंजीगत-दत्तमत्त					
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	538,11,00	500,93,90	37,17,10	8,24,17
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	533,17,07	491,06,63	42,10,44	19,11,30
योग		5775,75,92	5544,97,66	230,78,26	185,38,29 अर्थात् ₹185.38 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.9; पृष्ठ57)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिव्य
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	19	सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता	379.92	43.27	423.19	424.34	1.15
राजस्व-प्रभारित							
2.	29	वित्त	2249.67	47.24	2296.91	2369.97	73.06
पूंजीगत- दत्तमत्त							
3.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	15.76	4.80	20.56	27.56	7.00
योग			2645.35	95.31	2740.66	2821.87	81.21

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 57)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)	
1.		1	विधान सभा	2011-02-103-01	(-) 51.50	52.95
2.		5	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-103-02	(-) 659.22	144.95
3.	1.			2053-093-01	(-) 740.42	(-) 249.34
4.				2053-094-01	(-) 175.09	10.38
5.				2245-80-102-01	(-) 0.01	22.79
6.				6	आबकारी एवं कराधान	2045-104-02
7.		4216-01-106-08	(-) 117.55			(-) 22.88
8.		7	पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2070-104-01	(-) 4.81	(-) 63.41
9.				2055-116-01	28.62	41.06
10.		9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-02 (एन०पी०)	(-) 361.18	(-) 16.14
11.				2210-01-001-02	(-) 19.93	(-) 19.68
12.				2210-01-110-03	(-) 1120.97	(-) 149.72
13.				2210-01-200-01	(-) 410.22	26.53
14.				2210-02-001-02	(-) 366.22	(-) 103.46
15.				2210-03-110-01 (एन०पी०)	(-) 1904.11	170.35
16.				2210-03-110-01	(-) 199.00	189.33
17.				2210-04-101-02	(-) 609.59	15.70
18.				2210-06-101-07	(-) 108.32	(-) 10.59
19.				2211-101-01	(-) 503.29	(-) 46.09
20.				2235-60-200-10	110.00	(-) 110.30
21.				2210-05-105-04	(-) 15.61	51.44
22.				10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-05
23.		3054-03-103-06	500.00			30.35
24.	2.	3054-03-103-12	347.40			571.05
25.	3.	3054-03-103-13	(-) 294.40			847.75
26.	4.	3054-04-105-02 (एन०पी०)	159.50			570.01
27.	5.	3054-04-105-02	2300.00			(-) 217.74
28.	6.	3054-04-105-07	(-) 5508.18			7010.56
29.		2059-80-001-01	(-) 177.00			34.81
30.	7.	2059-80-053-03	(-) 964.79			(-) 386.91
31.	8.	2059-80-053-04	(-) 68.81			(-) 313.11
32.	9.	2059-80-053-06	5.00			(-) 780.82
33.		3054-03-103-04	(-) 103.95			35.95

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)	
34.			3054-03-103-05	(-) 159.39	46.23	
35.			3054-03-103-06	(-) 690.00	181.48	
36.	10.		3054-03-103-08	(-) 390.00	269.79	
37.			3054-03-103-10	(-) 1702.30	182.42	
38.	11.		3054-03-103-11	(-) 1699.05	(-) 3321.10	
39.	12.		3054-03-103-14	(-) 1752.06	1407.80	
40.			3054-04-105-03	(-) 3330.00	24.07	
41.	13.		3054-04-105-06	(-) 5508.18	(-) 8729.63	
42.			3054-80-001-01	(-) 252.26	(-) 32.44	
43.			4059-80-051-05	10.50	(-) 19.78	
44.	14.		5054-03-337-03	(-) 4800.00	448.93	
45.			5054-03-337-06	(-) 151.00	60.44	
46.			5054-03-337-04	115.17	46.80	
47.			5054-04-337-07	114.83	15.88	
48.	15.	11	कृषि	2401-001-01 (एन०पी०)	(-) 676.01	589.71
49.	16.			2401-001-01 (पी०)	600.00	(-) 600.30
50.			2401-103-01	(-) 56.61	(-) 14.27	
51.			2401-109-25	(-) 329.01	(-) 17.04	
52.			2402-102-01	(-) 137.92	(-) 16.67	
53.		12	बागवानी	2401-119-02	(-) 130.73	25.87
54.			2401-119-11	(-) 86.59	21.83	
55.			2401-119-19	(-) 15.97	59.22	
56.			2401-119-05	11.04	17.28	
57.		13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2215-01-005-01	107.56	(-) 59.30
58.	17.			2215-01-101-02	839.49	(-) 447.76
59.			2215-01-101-05	(-) 4.15	28.48	
60.	18.		2215-01-102-03	1609.29	(-) 573.63	
61.			2215-01-102-13	89.08	149.65	
62.	19.		2702-80-001-02	(-) 738.54	887.32	
63.			2701-80-001-08	3.55	44.07	
64.	20.		2215-01-001-01	(-) 589.93	263.80	
65.			2215-01-001-02	(-) 1794.66	74.57	
66.			2215-01-101-04	2.00	(-) 27.90	
67.	21.		2215-01-102-12	20.79	(-) 1285.21	
68.			2700-01-001-01	(-) 4.69	(-) 36.92	
69.			2701-11-001-01	0.50	(-) 12.85	
70.	22.		2702-80-001-01	(-) 2166.13	(-) 262.37	
71.	23.		2702-80-001-06	(-) 738.54	259.04	
72.			4215-01-102-16	(-) 1320.17	41.64	

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)			
73.	24.	14	पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्यपालन	2405-101-05-06	463.35	461.06		
74.		15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	2210-03-101-01	(-) 329.41	(-) 45.86		
75.				2210-03-103-01	(-) 31.19	(-) 13.43		
76.				2210-03-104-01	(-) 9.66	(-) 26.87		
77.				2210-06-101-13	(-) 35.39	(-) 18.09		
78.				2851-102-05	(-) 13.09	(-) 16.20		
79.		16	वन एवं वन्य जीवन	2402-102-12	(-) 162.18	21.81		
80.				2406-01-001-02	(-) 3054.24	119.86		
81.		18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-102-13	(-) 61.45	16.09		
82.	25.			6885-01-190-01	0.38	699.62		
83.		19	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	2235-02-102-03	12.05	12.54		
84.				2235-60-800-30	34.40	(-) 32.40		
85.	26.			2235-60-800-73	560.62	237.17		
86.				2235-02-102-05	(-) 60.78	31.72		
87.		20	ग्रामीण विकास	2515-102-01	(-) 865.55	127.58		
88.	27.	21	सहकारिता	4425-107-02	0.13	1056.87		
89.	28.	23	विद्युत विकास	6801-190-01	3363.94	8753.19		
90.		27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	2230-03-003-05	(-) 23.60	13.05		
91.		29	वित्त	2054-097-01	(-) 276.23	27.03		
92.	29.			2071-01-101-03	35182.25	537.26		
93.				2049-01-122-01	43977.52	46.17		
94.	30.			2049-01-101-11	2149.99	(-) 2150.00		
95.	31.			2049-01-101-14	1396.79	(-) 1396.80		
96.	32.			2049-01-101-15	3665.39	(-) 3665.40		
97.	33.			2049-01-101-16	1907.04	(-) 1907.05		
98.	34.			2049-01-101-17	1915.64	(-) 1915.65		
99.	35.			2049-01-101-18	1337.99	(-) 1338.00		
100.	36.			2049-01-101-19	890.99	(-) 891.00		
101.	37.			2049-01-101-51	(-) 179.14	(-) 253.77		
102.				2049-01-200-15	(-) 11.83	(-) 24.97		
103.				7610-201-01	(-) 21.35	(-) 14.65		
104.	38.			6003-109-11	122.79	18475.21		
105.				6003-108-02	(-) 72.16	53.94		
106.	39.			31	जनजातीय विकास	2059-01-796-11	0.93	(-) 550.84
107.						2059-80-796-01	0.92	(-) 46.45
108.		2210-03-796-02 (पी0)	24.94			(-) 42.75		
109.		2210-03-796-03	37.18			(-) 49.57		
110.		2401-796-01	(-) 5.06			(-) 13.68		

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
111.			2401-796-02	(-) 23.40	(-) 42.25
112.			2401-796-05	(-) 54.00	(-) 25.51
113.			2401-796-20	(-) 0.01	(-) 14.00
114.			2401-796-22	(-) 259.60	(-) 10.08
115.			2406-01-796-01	(-) 98.83	(-) 58.14
116.			2515-796-02	(-) 38.21	(-) 26.47
117.			2851-796-02	3.22	(-) 17.73
118.			3054-04-796-01	(-) 320.79	83.62
119.			3054-04-796-04	(-) 276.76	(-) 20.41
120.	40.		3054-04-796-05	2.67	(-) 1620.02
121.			2029-796-01	65.76	(-) 46.42
122.			2053-796-01	27.58	(-) 22.91
123.			2059-01-796-09	300.00	109.53
124.			2059-80-796-02	0.93	83.04
125.			2202-01-796-03	60.91	86.93
126.	41.		2202-02-796-03	70.22	561.72
127.			2210-06-796-09	23.49	(-) 16.09
128.			2215-01-796-01	269.94	(-) 23.04
129.			2403-796-02	(-) 9.92	10.89
130.			2702-80-796-03	2.00	37.32
131.	42.		3054-04-796-03 (एनपीओ)	(-) 316.61	331.26
132.			3054-04-796-03 (पीओ)	(-) 10.00	11.23
133.			4055-796-01	(-) 19.00	(-) 17.00
134.			4202-01-796-01	24.79	(-) 57.99
135.			4055-796-02	16.60	17.00
136.			5054-04-796-01	31.90	17.32
137.	32	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-04-789-01	(-) 0.19	86.23
138.			4215-01-789-02	(-) 147.63	(-) 75.15
139.			4215-01-789-04	(-) 455.26	26.52
140.			4702-789-03	(-) 286.30	57.49
141.	43.		5054-03-789-02	(-) 2200.00	(-) 566.47
142.			5054-04-789-01	90.30	(-) 142.68
143.			4215-01-789-07	455.26	(-) 22.35
144.			4702-789-02	182.56	(-) 62.11
145.			4711-01-789-01	60.94	(-) 17.75
146.			5054-03-789-04	11.40	(-) 10.97

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ 58)

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए प्रत्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे अधिक)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
दत्तमत्त					
1.	01	7610-201-04	223.36	133.82	60
2.	01	7610-201-06	15.00	15.00	100
3.	03	2014-00-105-04	485.03	442.71	91
4.	03	2059-01-053-40	84.00	84.00	100
5.	04	3435-03-103-01	50.00	35.44	71
6.	04	6216-80-190-01	254.00	254.00	100
7.	05	2029-00-103-03	100	95.54	96
8.	06	2040-101-01	564.01	434.89	77
9.	07	2070-00-108-02	188.00	174.61	93
10.	09	4210-03-105-01	300.00	200.02	67
11.	10	3054-04-105-03	5330.00	3330.00	62
12.	10	4059-01-051-08	450.00	450.00	100
13.	15	4202-01-201-08	100.00	100.00	100
14.	15	5002-01-120-01	100.00	100.00	100
15.	19	4225-80-800-03	50.00	50.00	100
16.	19	4235-02-190-02	90.00	90.00	100
17.	20	2501-06-800-04	995.00	904.45	91
18.	20	4216-02-800-01	80.00	71.59	89
19.	22	2236-02-101-06	30.00	28.63	95
20.	29	7610-00-201-01	36.00	21.35	59
21.	32	2202-02-789-04	171.00	171.00	100
22.	32	2202-02-789-05	113.00	113.00	100
23.	32	2501-06-789-02	370.00	346.51	94
24.	32	2515-789-17	137.00	137.00	100
25.	32	4215-01-789-06	927.00	727.00	78
26.	32	4402-789-03	25.50	25.50	100
27.	32	4702-00-789-09	272.00	182.00	67
28.	32	4711-01-789-07	27.45	27.45	100
29.	32	4711-01-789-10	260.80	159.10	61
30.	32	6225-01-789-02	30.00	16.50	55
योग			11858.15 अर्थात् ₹118.58 करोड़	8921.11 अर्थात् ₹89.21 करोड़	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ:परिच्छेद 2.3.12; पृष्ठ58)

वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख)

क्रमांक	अनुदान संख्या एवं शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्षक)	अभ्यर्पण की राशि	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	01-विधान सभा	पूर्व विधायकों को वाहन खरीद के लिए ऋण (7610-201-06)	15.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
2.	03-न्यायिक प्रशासन	तहर्वें वित्त आयोग के अधीन विरासती न्यायालय भवनों का अनुरक्षण (2059-01-053-40)	84.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
3.	04-सामान्य प्रशासन	हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को ऋण (6216-80-190-01)	254.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	कोषागार संगठन (4059-01-051-08)	450.00	100
संहिता औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत भवनों का निर्माण (4202-01-201-08)	100.00	100
निर्माण पर शून्य व्यय होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
6.	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002-01-120-01)	100.00	100
रेलवे लाईन के निर्माण पर शून्य व्यय होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
7.	19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़के/लड़कियों के छात्रावासों का निर्माण (4225-80-800-03)	50.00	100
कार्य कनिष्पादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
8.	19- सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	महिला विकास निगम (4235-02-190-02)	90.00	100
शून्य निवेश होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
9.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी पर व्यय (2202-02-789-04)	171.00	100
रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
10.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी पर व्यय(2202-02-789-05)	113.00	100
शिवरों एवं संगोष्ठियों के गठित न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
11.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	ऑन लाइन विभागों का कम्प्यूटरीकरण (2515-789-17)	137.00	100
मशीनरी एवं उपकरणों की न्यून खरीद के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
12.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत व्यय (4402-789-03)	25.50	100
कार्य के कम निष्पादन के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
13.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	मण्डी तथा हमीरपुर जिलों में (बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम)सीर खड्डका नहरीकरण बरसवाड़ से जाहू तक(4711-01-789-07)	27.45	100
कार्य निष्पादन न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अभ्यर्पित किया गया था।				
योग			1616.95 अर्थात् ₹16.17 करोड़	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: परिच्छेद2.3.12; पृष्ठ58)

30 मार्च 2013 को ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाता विवरण

(₹करोड़में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
1.	03	2014-न्याय प्रशासन	108.26	13.93	13
2.	05	2029-भू-राजस्व	157.86	13.72	9
3.	08	2202- सामान्य शिक्षा	3180.57	119.99	4
4.	09	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	795.89	54.01	7
5.	10	3054-सड़कें एवं पुल	1661.69	219.30	13
6.	10	5054- सड़क एवं पुलों पर परिव्यय	504.74	46.51	9
7.	11	2401- कृषि कर्म	168.43	36.16	21
8.	13	2702-लघु सिंचाई	390.95	32.15	8
9.	13	4701-माध्यमिक सिंचाई पर परिव्यय	48.95	10.19	21
10.	16	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	326.55	11.07	3
11.	20	2505- ग्रामीण विकास	55.24	18.16	33
12.	20	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	320.15	46.75	15
13.	23	2801-विद्युत	267.13	39.79	15
14.	29	2049-ब्याज भुगतान	2296.84	43.83	2
15.	29	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2784.71	38.39	1
16.	32	5054-सड़क एवं पुलों पर परिव्यय	198.38	22.06	11
योग			13266.34	766.01	

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ58)

वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण(₹20लाख अथवा इससे अधिक)

(₹करोड़में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	469.05	27.31	30.48	3.17
2.	07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	631.15	2.89	3.56	0.67
3.	12-बागवानी	115.22	4.42	4.62	0.20
4.	16-वानिकी एवं वन्य जीवन	338.14	9.67	11.07	1.40
5.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	64.17	3.04	3.25	0.21
6.	20-ग्रामीण विकास	405.99	72.69	73.96	1.27
7.	29-वित्त	2826.94	32.62	38.39	5.77
पूंजीगत-दत्तमत्त					
8.	10-लोक निर्माण-सड़के, पुल एवं भवन	546.35	45.41	51.01	5.60
योग		5397.01	198.05	216.34	18.29

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.15; पृष्ठ59)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या तथा नाम	स्कीम/सेवा लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2013 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2013 में किया गया व्यय	2012-13 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2013	मार्च 2013
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3054-04-105-03	20.00	20.00	20.24	99	99
2.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	4216-01-106-01	12.31	10.91	15.45	80	71
3.	10- लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	5054-04-337-07	18.62	16.45	28.30	66	58
4.	11-कृषि	2401-00-800-14	10.96	10.96	20.02	55	55
5.	13- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-21	16.40	14.99	18.50	89	81
6.	14-पशु पालन, डेयरी विकास उत्पादन एवं मत्स्यपालन	2403-00-101-01	12.99	12.99	16.13	81	81
7.	21-सहकारिता	4425-00-107-02	10.57	10.57	10.57	100	100
8.	23-विद्युत विकास	6801-00-190-02	17.20	17.20	26.01	66	66
9.	25-सड़क एवं जल परिवहन	3055-00-190-01	50.00	50.00	73.26	68	68
10.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-10	32.50	32.50	32.50	100	100
11.	31-जनजातीय विकास	6801-00-796-11	13.10	13.10	13.10	100	100
12.	32-अनुसूचित जाति उपयोजना	2225-01-789-10	11.65	11.65	11.65	100	100
13.	32- अनुसूचित जाति उपयोजना	6801-00-789-02	39.64	39.64	61.80	64	64
14.	32- अनुसूचित जाति उपयोजना	6801-00-789-03	22.25	22.25	22.25	100	100

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद2.4.1; पृष्ठ60)

(i) 2008-13 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2008-09	258	8.18	251	6.47	97	7	1.71
2009-10	209	7.30	195	3.74	93	14	3.56
2010-11	260	8.95	237	5.18	91	23	3.77
2011-12	244	4.97	235	1.48	96	9	3.49
2012-13	277	16.64	244	1.25	88	33	15.39
योग	1248	46.04	1162	18.12		86	27.92

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	आयुर्वेद	52	16,65,33,265
2.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19	11,25,02,327
3.	स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन	4	20,200
4.	श्रम एवं रोजगार	6	25,000
5.	भाषा कला एवं संस्कृति	5	73,045
	योग	86	27,91,53,837 अर्थात् ₹27.92 करोड़

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 61)

31 मार्च 2013 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(₹)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	कोष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अंत शेष
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
1.	102-नगरपालिका निधि	अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
2.	102- नगरपालिका निधि	नगरपालिका, रुना	(-) 71,776	--	--	(-) 71,776
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
3.	102- नगरपालिका निधि	नगरपालिका, चम्बा	(-) 7,801	--	--	(-) 7,801
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
4.	109-पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नालागढ़	(-) 29,211	--	--	(-) 29,211
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
5.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बैजनाथ	(-) 44,756	--	--	(-) 44,756
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
6.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, बंजार	(-) 26,000	--	--	(-) 26,000
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
7.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, पांवटा	(-) 12,794	--	--	(-) 12,794
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
8.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, देहरा	1,16,011	24,191	1,64,393	(-) 24,191
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
9.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नगर	1,66,218	--	2,09,005	(-) 42,787
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
10.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, धर्मपुर	52,527	--	63,426	(-) 10,899
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
11.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, हमीरपुर	(-) 3,528	--	2,71,782	(-) 2,75,310
8448- स्थानीय निधि निक्षेप						
12.	109- पंचायत निकाय निधि	पंचायत समिति, नारकण्डा	52,777	--	61,215	(-) 8,438
8449-अन्य निक्षेप						
13.	120-विविध निक्षेप	प्राचार्य डी0ए0वी0 महाविद्यालय, कांगड़ा	9,79,452	7,23,91,199	7,37,40,754	(-) 3,70,103
योग			11,54,681	7,24,15,390	7,45,10,575	(-) 9,40,504 अर्थात् ₹(-)9.41 लाख

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ परिच्छेद 2.8.4; पृष्ठ 69)

पेंशनभोगी शीर्षों के अंतर्गत व्यय का अवर्गीकरण (जांच प्रतिवेदन 2011-12)

(₹)

क्रमांक	जिला निधि/निधि का नाम	परिच्छेद संख्या	व्यय की प्रकृति			लेखा शीर्ष जिसके अंतर्गत नियत किया गया
			डी०सी०आर०जी०	पेंशन	लघुकरण	
1.	डी०टी० बिलासपुर	2	1,67,537	--	5,76,883	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०) 2071-01-102-00 (लघुकरण)
2.	एस०टी० घुमारवीं	2	1,33,338	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
3.	डी०टी० चम्बा	3	--	1,33,030	--	2071-01-101-02 (पेंशन)
4.	एस०टी० डलहौजी	3	1,58,325	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
5.	एस०टी० भरमौर	1	6,41,419	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
6.	एस०टी० तीसा	2	26,730	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
7.	एस०टी० सिहंता	1	13,81,780	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
8.	डी०टी० हमीरपुर	1	9,33,385	20,45,633	---	2071-01-102-02 (पेंशन) 2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
9.	एस०टी० नदौन	3	49,095	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
10.	एस०टी० इन्दौर	3	15,359	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
11.	डी०टी० नुरपुर	2	50,16,270	---	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
12.	एस०टी० फतेहपुर	2	1,48,015	---	---	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
13.	एस०टी० खुं डीया	1	67,423	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
14.	डी०टी० किन्नौर	3	--	---	16,35,360	2071-01-102-01 (लघुकरण)
15.	एस०टी० पूह	2	6,20,985	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
16.	एस०टी० सांगला	2	1,99,353	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
17.	एस०टी० मोरंग	2	15,19,756	---	---	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
18.	एस०टी० निचर	3	9,91,645	---	---	2071-01-104-01-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
19.	डी०टी० कुल्लू	3	--	7,82,382	---	2071-01-105-01 (पेंशन) 2071-01-101-02 (पेंशन)
20.	एस०टी० निरमण्ड	1	4,68,400	---	---	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
21.	एस०टी० उदयपुर	3	2,20,048	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
22.	एस०टी० धुनाग	2	62,160	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
23.	एस०टी० कोटी	1	7,15,428	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
24.	एस०टी० ओट	1	49,288	---	---	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
25.	एस०टी० बलदाडा	3	7,873	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
26.	राजधानी कोष	4	8,69,865	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
27.	डी०टी० शिमला	1	--	18,03,72,374	--	2071-01-101-02 (पेंशन) 2071-01-105-01 (पेंशन)
28.	एस०टी० रोहडू	1	22,30,994	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
29.	एस०टी० ननखरी	2	10,42,315	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
30.	एस०टी० जुगा	5	22,278	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
31.	एस०टी० नेरवा	2	31,85,905	--	--	2071-01-104-00 (डी०सी०आर०जी०)
32.	एस०टी० चिरगांव	1	9,34,938	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
33.	एस०टी० पछड़	4	71,489	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
34.	एस०टी० अकी	2	43,923	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
35.	एस०टी० रामशहर	1	6,33,312	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
36.	डी०टी० ऊना	3	--	4,55,470	--	2071-01-101-02 (पेंशन)
37.	एस०टी० हरोली	4	94,891	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
38.	एस०टी० बंगाना	1	8,60,484	--	--	2071-01-104-01 (डी०सी०आर०जी०)
39.	एस०टी० अम्ब	1	5,92,655	--	--	2071-01-104-00/01 (डी०सी०आर०जी०)
योग			2,41,76,661 अर्थात् ₹ 2.42 करोड़	18,37,88,889 अर्थात् ₹ 18.38 करोड़	22,12,243 अर्थात् ₹ 0.22 करोड़	

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 71)

31 मार्च 2013 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
		2010-11	1	25.00	1	25.00
			2	50.00	2	50.00
2	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	4	2.75	-	-
		2007-08	9	18.42	-	-
		2008-09	6	0.79	-	-
		2009-10	4	5.29	-	-
		2010-11	3	4.00	-	-
		2011-12	15	173.47	-	-
			41	204.72	-	-
3	2202- सामान्य शिक्षा	2009-10	78	210.73	75	21.58
		2010-11	5143	17448.16	2558	9312.73
		2011-12	17946	21506.68	11814	12114.59
			23167	39165.57	14447	21448.89
4	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2008-09	3	1.05	-	-
		2009-10	1	2.33	-	-
		2010-11	2	277.57	1	217.57
		2011-12	21	377.75	21	377.75
			27	658.70	22	595.33
5	2205- कला एवं संस्कृति सेवाएं	2006-07	157	18.57	-	-
		2007-08	229	46.55	-	-
		2008-09	343	41.76	-	-
		2009-10	29	190.80	-	-
		2010-11	104	211.21	104	211.21
		2011-12	113	222.81	113	222.81
			975	731.70	217	434.02
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
6	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2009-10	1	412.80	1	412.80
		2010-11	1	21.60	-	-
		2011-12	669	3950.54	1	170.00
			671	4384.94	2	582.80

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
7	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	-	-
		2010-11	3	1500.00	-	-
		2011-12	5	3023.00	5	3023.00
			27	5675.58	5	3023.00
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		698	10060.52	7	3605.80
	शहरी विकास					
8	2217- शहरी विकास	2008-09	21	2872.57	12	2192.49
		2009-10	24	6189.00	21	6128.00
		2010-11	41	3739.15	21	3076.09
		2011-12	43	10497.27	26	5525.50
			129	23297.99	80	16922.08
9	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	-	-
		2010-11	4	600.00	2	276.00
		2011-12	1	600.00	1	600.00
			9	2400.00	5	1476.00
	योग (शहरी विकास)		138	25697.99	85	18398.08
10	2220- सूचना एवं प्रचार	2010-11	1	13.38	-	-
		2011-12	-	-	-	-
			1	13.38	-	-
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
11	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2006-07	10	599.17	5	554.00
		2007-08	21	719.33	7	231.00
		2008-09	33	1121.92	22	470.36
		2009-10	32	1587.00	15	943.80
		2010-11	34	2497.32	21	1534.54
		2011-12	22	7166.00	22	7166.00
			152	13690.74	92	10899.70
12	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	18	50.53	-	-
		2007-08	50	603.65	38	503.59
		2008-09	98	510.95	84	463.96
		2009-10	141	707.45	93	590.63
		2010-11	265	1447.83	263	1441.23
		2011-12	624	1425.76	619	1412.46
			1196	4746.17	1097	4411.87

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
13	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2010-11	1	0.27	-	-
			1	0.27	-	-
	योग (सामाजिक सुरक्षा एवं अधिकारिता)		1349	18437.18	1189	15311.58
14	2230- श्रम एवं रोजगार	2010-11	1	5.00	-	-
		2011-12	1	5.00	1	5.00
			2	10.00	1	5.00
	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं					
15	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	1	3.66	1	3.66
		2010-11	1	7.65	1	7.65
		2011-12	3	15.31	3	15.31
			5	26.62	5	26.62
16	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2009-10	4	170.57	2	65.57
		2010-11	3	82.01	2	71.45
		2011-12	3	51.53	3	51.53
			10	304.11	7	188.55
	योग (सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं)		15	330.73	12	215.17
17	2401- फसल कर्म	2010-11	1	6.50	-	-
		2011-12	32	890.00	27	825.50
			33	896.50	27	825.50
18	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	1	7.25	-	-
		2009-10	7	105.00	-	-
		2010-11	18	197.74	18	197.74
		2011-12	18	2290.95	18	2290.95
			45	2650.94	37	2538.69
19	2404- डेयरी विकास	2011-12	3	500.00	-	-
			3	500.00	-	-
20	2405- मत्स्यपालन	2011-12	9	688.80	1	0.80
			9	688.80	1	0.80
21	2408- खाद्य भण्डारण एवं माल गोदाम	2010-11	5	19.88	1	2.49
		2011-12	15	36.90	8	20.40
			20	56.78	9	22.89
22	2425- सहकारिता	2010-11	33	24.56	8	7.06
		2011-12	58	170.46	44	100.96
			91	195.02	52	108.02

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
	ग्रामीण विकास					
23	2216-आवास	2007-08	6	79.56	2	25.28
		2008-09	18	398.59	18	398.59
		2009-10	93	515.60	93	515.60
		2010-11	65	1176.24	58	1104.70
		2011-12	60	1330.65	60	1330.65
			242	3500.64	231	3374.82
24	2501- विशिष्ट कार्यक्रम	2007-08	6	159.12	-	-
		2008-09	18	141.53	18	141.53
		2009-10	29	406.20	20	366.13
		2010-11	46	710.52	27	562.00
		2011-12	61	1648.71	61	1648.71
			160	3066.08	126	2718.37
25	2505- ग्रामीण रोजगार	2008-09	2	816.89	2	816.89
		2009-10	2	224.04	2	224.04
		2010-11	-	-	-	-
		2011-12	18	4930.67	9	284.87
			22	5971.60	13	1325.80
26	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2008-09	408	11637.91	162	1908.92
		2009-10	478	10133.60	409	9520.61
		2010-11	605	15945.28	564	15682.28
		2011-12	383	19765.40	353	19652.67
			1874	57482.19	1488	46764.48
	योग (ग्रामीण विकास)		2298	70020.51	1858	54183.47
28	2801- विद्युत	2011-12	2	212.00	2	212.00
			2	212.00	2	212.00
29	2810- ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत	2011-12	2	255.00	-	-
			2	255.00	-	-
30	2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2005-06	1	0.03	-	-
		2006-07	499	27.99	-	-
		2007-08	65	17.38	-	-
		2008-09	-	-	-	-
		2009-10	110	1039.44	86	469.95
		2010-11	110	1076.57	87	728.23
		2011-12	101	1759.94	100	1759.83
			886	3921.35	273	2958.01

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
31	3055-पथ परिवहन	2011-12	3	7325.60	-	-
			3	7325.60	-	-
32	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2010-11	1	13.07	-	-
			1	13.07	-	-
33	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2010-11	1	5.20	-	-
		2011-12	3	16.81	-	-
			4	22.01	-	-
34	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2010-11	7	74.51	7	74.51
		2011-12	16	706.62	16	706.62
			24	918.13	24	918.13
35	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	2008-09	1	49.59	1	49.59
		2009-10	7	273.52	7	273.52
		2010-11	20	469.09	20	469.09
		2011-12	51	1197.16	51	1197.16
			79	1989.36	79	1989.36
36	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन (वन्य लेखा)	2008-09	1	1.20	-	-
		2009-10	2	57.01	-	-
		2010-11	5	97.80	-	-
		2011-12	24	787.82	7	508.42
			32	943.83	7	508.42
37	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (वन्य लेखा)	2011-12	32	9552.01	32	9552.01
		2010-11	4	25.00	-	-
		2011-12	4	25.00	4	25.00
			40	9602.01	36	9577.01
	कुल योग		29987	195571.40	18387	133906.16

परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 72 तथा 73)

स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की प्रास्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	लेखे प्रस्तुत करने में विलम्ब (महीनों में)	अवधि जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करना	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब
1.	हि0प्र0 पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	2005-06 के बाद से	2011-12	2 महीने	2011-12	अभी रखा जाना है	9 महीने
2.	हि0प्र0 राज्य विधि सेवाएं प्राधिकरण, शिमला	विधि सेवाएं प्राधिकरण	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
3.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, शिमला	अधिनियम, 1987	2011-12	½ महीना	2011-12	तदैव	तदैव
4.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, रामपुर	की धारा 18(2)	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
5.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, सोलन	के अनुरूप लेखा	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
6.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, नाहन	परीक्षा प्रचालित	2011-12	एक महीना	2011-12	तदैव	तदैव
7.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, ऊना	की जा रही है।	2011-12	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
8.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, हमीरपुर		2012-13	1½ महीने	2011-12	तदैव	तदैव
9.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, धर्मशाला स्थित कांगडा		2012-13	एक महीना	2011-12	तदैव	तदैव
10.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, चम्बा		2012-13	1½ महीना	2011-12	तदैव	तदैव
11.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, मण्डी		2012-13	एक महीने	2011-12	तदैव	तदैव
12.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर		2011-12	2 महीने	2011-12	तदैव	तदैव
13.	जिला विधि सेवाएं प्राधिकरण, कुल्लू		2011-12	9 महीने	अभी जारी किए जाने है*	--	--
14.	हि0प्र0 भवन एवं निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड, शिमला	2011-12 के बाद	2011-12	9 महीने	अभी जारी किए जाने है*	--	--

*लेखे 9 महीनों के विलम्ब के बाद प्रस्तुत किए गए थे।

परिशिष्ट- 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 74)

दुर्विनियोजन/हानि तथा चोरी आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्ष तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15		15 से 20		20 से 25		25 वर्ष से अधिक		मामलों की संख्या	
		सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए	सी	ए
1	शिक्षा	2	2.55	3	2.9	--	--	--	--	--	--	1	0.59	6	6.04
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि	--	--	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4	बागवानी	1	1.54	1	0.06	1	1.29	--	--	--	--	--	--	3	2.89
5	भू-राजस्व	--	--	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	1	2.57
6	पुलिस	1	0.08	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	3	1.59
7	मत्स्यपालन	1	1.28	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	1.28
8	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
9	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
10	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.1
11	योजना निदेशक	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
12	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
13	वन	1	0.63	1	2.38	--	--	--	--	--	--	2	0.40	4	3.41
14	लोक निर्माण	--	--	--	--	4	5.44	3	3.04	1	0.55	7	2.14	15	11.17
15	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	--	--	1	0.89	2	7.71	--	--	1	0.25	1	0.06	5	8.91
	योग:	7	10.76	15	21.6	9	39.81	4	5.61	2	0.80	15	4.19	52	82.77

सी: मामलों की संख्या

ए: राशि (लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद3.4;पृष्ठ 74)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा

(रुंलाख)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
शिक्षा	4	3.57	2	2.47	6	6.04
ग्रामीण विकास	2	4.68	0	0.00	2	4.68
कृषि	0	0.00	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	0	0.00	1	2.57	1	2.57
बागवानी	1	0.06	2	2.83	3	2.89
मत्स्यपालन	1	1.28	0	0.00	1	1.28
पुलिस	0	0.00	3	1.59	3	1.59
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	0	0	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
योजना निदेशक	1	2.97	0	0	1	2.97
स्वास्थ्य	0	0	1	0.95	1	0.95
वन	0	0	4	3.41	4	3.41
लोक निर्माण	2	0.77	13	10.40	15	11.17
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	14	14.06	38	68.71	52	82.77

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 75)

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत उच्चत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उच्चत	25.24	20.24	24.12	15.61	32.12	23.87
शुद्ध	5.00 डेबिट		8.51 डेबिट		8.25 डेबिट	
102-उच्चत लेखा शीर्ष (सीविल)	1,15.37	99.53	1,14.34	78.29	138.36	125.42
शुद्ध	15.84 डेबिट		36.05 डेबिट		12.94 डेबिट	
107-नकद समायोजन उच्चत लेखा	3.26	2.42	0.04	0.02	0.02	0.00
शुद्ध	0.84 डेबिट		0.02 डेबिट		0.02 डेबिट	
109-रिजर्व बैंक उच्चत-मुख्यालय	(-)1.32	(-)0.10	(-) 0.68	1.19	1.28	1.76
शुद्ध	1.22 क्रेडिट		1.87 क्रेडिट		0.48 क्रेडिट	
110-रिजर्व बैंक उच्चत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	4.19	0.20	11.78	0.93	92.33	92.31
शुद्ध	3.99 डेबिट		10.85 डेबिट		0.02 डेबिट	
112-स्रोत पर काटा गया कर उच्चत	2,39.60	2,69.19	2,03.84	2,20.58	227.46	255.56
शुद्ध	29.59 क्रेडिट		16.74 क्रेडिट		28.10 क्रेडिट	
129-सामग्री क्रय समायोजन उच्चत लेखा	58.09	3,58.47	1,52.66	3,72.84	80.40	331.81
शुद्ध	3,00.38 क्रेडिट		2,20.18 क्रेडिट		2,51.41 क्रेडिट	

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद3.6; पृष्ठ76)

2012-13 के दौरान लघु शीर्ष800- 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	प्रतिशतता
1	0045 वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	198.88	331.72	59.95
2	0057 आपूर्ति एवं निपटान	0.02	0.02	100.00
3	0058 स्टेशनरी एवं मुद्रण	3.60	6.16	58.44
4	0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	36.14	45.71	79.06
5	0211 परिवार कल्याण	0.02	0.02	100.00
6	0217 शहरी विकास	6.05	6.05	100.00
7	0230 श्रम तथा रोजगार	3.65	6.74	54.15
8	0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	3.80	5.76	65.97
9	0250 अन्य सामाजिक सेवाएं	0.12	0.12	100.00
10	0407 पौधारोपण	0.02	0.02	100.00
11	0408 खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	0.07	0.07	100.00
12	0425 सहकारिता	2.83	3.24	87.34
13	0506 भूमि सुधार	0.33	0.33	100.00
14	0515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.01	3.10	64.83
15	0575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.38	0.38	100.00
16	0700 प्रमुख सिंचाई	0.28	0.28	100.00
17	0801 विद्युत	637.21	637.15	100.01*
18	0851 ग्राम एवं लघु उद्योग	0.26	0.52	50.00
19	0852 उद्योग	6.17	6.17	100.00
20	1054 सड़कें और पुल	10.89	10.94	99.54
21	1055 सड़क परिवहन	0.92	0.92	100.00
22	1425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1.30	1.30	100.00
23	1452 पर्यटन	0.20	0.26	76.92
24	1456 नागरिक आपूर्ति	0.03	0.03	100.00
	योग	915.17	1067.00	85.77

*₹0.06 करोड़ का प्रत्यक्ष वापसी के कारण आधिक्य

परिशिष्ट-4

शब्दावली

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
1.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
2.	राज्य सकल घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके तथा अन्य चालू कीमतों पर अन्य सभी कारकों से उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की मूल्य-सापेक्षता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।
4.	विकास व्यय	व्यय के आंकड़ों को विकास एवं गैर विकास व्यय में विश्लेषित किया गया है। राजस्व लेखों, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बद्ध समस्त व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं तथा सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय का निर्माण करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर होने वाले व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में निरूपित किया जाता है।
5.	ऋण धारणीयता	ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे में चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।
6.	ऋण स्थिरीकरण	स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती हैं कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार की लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।
7.	गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

क्रम संख्या	शब्द	विवरण
8.	उधार निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग किया जाता है।
9.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता को आवृत्त करने के लिए है। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।
10.	गारंटियां	गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चूक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।